ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

योजना

फरवरी, 2003

मूल्य: 7 रुपये

राजमार्ग क्रांति

कौटिल्य पुरस्कार योजना—2002

योजना आयोग के कार्य से संबंधित तकनीकी विषयों पर हिंदी में मूल पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई 'कौटिल्य पुरस्कार योजना' के अंतर्गत वर्ष 2001 के दौरान लिखी गई/ प्रकाशित पुस्तकों को दिसम्बर 2002 में पुरस्कार प्रदान किए गए। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार, मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर दिए जाते हैं जो कौटिल्य पुरस्कार विनियमों के अधीन प्रतिवर्ष गठित की जाती है।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण चंद्र पंत द्वारा वर्ष 2001 के संबंध में 18,000/- रुपये का प्रथम पुरस्कार तथा एक प्रमाण-पत्र जयपुर के डा. सुरेन्द्र कटारिया को उनकी पुस्तक 'आर्थिक नीति एवं प्रशासन' के लिए दिया गया। 12,000/- रुपये का द्वितीय पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के प्रो. मधुसूदन त्रिपाठी को उनकी पुस्तक 'कौटिल्य तथा नियोजन' के लिए तथा 8,000/- रुपये का तृतीय पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र जयपुर के ही श्री रामविलास तथा डा. जे.एस. यादव को संयुक्त रूप से लिखी गई उनकी पुस्तक 'कृषि विपणन एवं बाजार नियोजन' के लिए दिया गया।

पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए श्री पंत ने कहा, ''तकनीकी शब्दों को आत्मसात करने की चुनौती आज केवल भारतीय भाषाओं के समक्ष ही नहीं है अपितु दुनिया के हर देश के सामने है। चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस और रूस की भाषाओं ने भी प्रचलित तकनीकी शब्दों को आत्मसात किया है। हमारे देश में भी यह प्रक्रिया चल रही है। चूंकि भारतीय भाषाओं के विकास में हिंदी मुख्य स्थान रखती है, अतः हिंदी के विकास से सारी भाषाओं का विकास होगा।''

कौटिल्य पुरस्कार-वितरण समारोह में बाएं से दाएं : श्रीमती रेवा नय्यर (सलाहकार (राजभाषा), योजना आयोग), श्री कृष्ण चन्द्र पंत (उपाध्यक्ष, योजना आयोग) तथा श्री निशिकांत सिन्हा (सचिव, योजना आयोग)

योजना

वर्ष : 46 अंक 11 फरवरी, 2003 माघ-फाल्गुन, शक-संवत् 1924

प्रधान संपादक
विश्वनाथ रामशेष

कार्यकारी संपादक
अंजनी भूषण

उप संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 538 ए, योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
23096666/2510, 2508, 2566

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

विज्ञापन एवं वितरण प्रबंधक
अनिल कुमार दुग्गल

आवरण
नवल किशोर

इस अंक में

• भारत में राजमार्ग क्रांति : उच्चतर विकास की ओर ऊंची उड़ान	श्याम सुन्दर सिंह चौहान	6
• हर गांव को सड़क	नवीन पंत	13
• भारतीय उद्योग नई छलांग लगाने की तैयारी में	आर.सी. झमटानी	16
• आधारभूत सुविधाओं से राजस्थान में शहरों का कायाकल्प	पी.आर. त्रिवेदी	24
• शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन की भूमिका	सी. जयन्ती	26
• राष्ट्रीय जल-ग्रिड कितना आवश्यक	कुंवर सुनील सत्यम	31
• वर्मीकल्चर से पर्यावरण-मित्र खाद	बजरंगलाल जेठू	36
• जहां चाह, वहां राह—कहानी रालेगण सिद्धी की	मनोज कुमार पाण्डेय	40
• स्वास्थ्य-चर्चा	—	42
• नए प्रकाशन	—	45
• वर्ष 2002 में प्रकाशित लेखों की सूची	—	46

योजना हिन्दी के अतिरिक्त **असमिया, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगू** तथा **उर्दू** भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। नई सदस्यता के नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :-
विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110 066 टेलीफोन : 26100207, 26105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु.; **द्विवार्षिक** : 135 रु.; **त्रैवार्षिक** 190 रु.; विदेशों में **वार्षिक** दरें : **पड़ोसी देश** : 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश** : 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से सम्बद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

संपादकीय

विगत वर्षों में उद्योग एवं कृषि, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, संचार आदि के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां कितनी ही उल्लेखनीय क्यों न रही हों, आधारभूत संरचना विकास के मामले में भारत की स्थिति किसी तरह संतोषजनक नहीं कही जा सकती। आधारभूत ढांचे में सड़कों का विशेष महत्व है। भारत के विशाल आकार को देखते हुए देश के प्रमुख राजमार्गों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता है जो केवल सरकारी साधनों से जुटा पाना संभव नहीं। एक समुचित सड़क-नीति के अभाव में पहले निजी क्षेत्र को इस ओर आकृष्ट करना कठिन था परंतु 1997 में घोषित नई सड़क-नीति के बाद से इस क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ी है और राजमार्ग निर्माण द्वारा देश के आर्थिक विकास में गति लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके द्वारा एक तीव्रगामी परिवहन सुविधा तो विकसित होगी ही, कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार के अवसरों का भी तेजी से विकास होगा। 'भारत में राजमार्ग क्रांति' नामक लेख इसके विविध पहलुओं पर दृष्टिपात कर रहा है।

गांवों को शहर से जोड़ने वाली संपर्क-सड़कों के निर्माण के बिना यह क्रांति अधूरी सिद्ध होगी। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 'ग्राम सड़क योजना' के तहत जो निर्माण कार्य प्रस्तावित है, उसमें से 2700 करोड़ रुपये के खर्च से 8,391 सड़क परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं जिससे 12,508 गांव मुख्य सड़क से जोड़ दिए गए हैं। 'हर गांव को सड़क' लेख इसी सरोकार से प्रेरित है।

भारत में प्रतिवर्ष 200 करोड़ टन फसल अपशिष्ट सहित 2000 करोड़ टन ठोस एवं द्रवयुक्त अपशिष्ट पदार्थ घरों एवं उद्योगों से निकलते हैं जिनके अनियमित निस्तारण से भू-प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। 'वर्मीकल्चर' विधि द्वारा ठोस अपशिष्ट से कार्बनिक खाद बनाकर इस समस्या का आंशिक हल किस प्रकार करें—इस संबंध में जानकारी दी गई है 'वर्मीकल्चर से पर्यावरण-मित्र खाद' शीर्षक लेख में।

जल का प्राकृतिक वितरण हमारे देश में सब जगह समान नहीं है। कहीं सूखे की स्थिति व्याप्त है तो कहीं लोग बाढ़ की समस्या से आहत हैं। राष्ट्रीय जल-ग्रिड की संकल्पना इसी समस्या के समाधान के लक्ष्य से प्रेरित है। देश की सभी प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने की यह परियोजना सफल तभी हो सकती है, जब देश का प्रत्येक राज्य तथा विभिन्न क्षेत्रीय एवं राजनीतिक दल इसके लिए व्यापक सहमति एवं सहयोग की भावना प्रदर्शित करें। इसी राष्ट्रीय जल-ग्रिड की आवश्यकता से हम आपको परिचित करा रहे हैं।

'जहां चाह, वहां राह' नामक हमारे अत्यंत लोकप्रिय कॉलम में चर्चा है महाराष्ट्र के रालेगढ़ सिद्धि नामक गांव में सुप्रसिद्ध श्री अन्ना हजारे द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की, तो 'नए प्रकाशन' में आप 'विकलांगों के लिए रोजगार' के अवसरों से परिचित हो सकेंगे। 'स्वास्थ्य चर्चा' में बहरेपन की बेहतर समझ एवं प्रशिक्षण पर पाठकों को उपयोगी जानकारी देने का प्रयास किया गया है।

'योजना' के नवम्बर एवं दिसम्बर अंकों पर पाठकों की अति उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हुईं जिन्हें 'आपकी राय' के माध्यम से हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है प्रस्तुत अंक भी हमारे सुधी पाठकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा।

नए वर्ष की शुभकामनाएं जनवरी अंक के माध्यम से नहीं दे सके थे। देरी के लिए क्षमायाचना के साथ हमारे सभी पाठकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

—संपादक

आपकी राय

(संदर्भित अंक—नवम्बर-दिसम्बर)

'योजना' मार्गदर्शक है

मैं 'योजना' पत्रिका का कई वर्षों से नियमित पाठक हूं। एक विद्यार्थी होने के कारण मैंने 'योजना' को सदैव एक मार्गदर्शक के रूप में पाया है। सदैव की भांति 'योजना' का दिसम्बर अंक स्वयं में उत्कृष्टता और परिपूर्णता लिह हुआ था। अंक में प्रकाशित लेख 'भारत में बौद्धिक अधिकार' जहां बदलते विश्व परिदृश्य में भारत की थाती अक्षुण्ण रखने के लिए जागरूक करने का प्रयत्न है वहीं 'महिला उत्पीड़न का सिलसिला कब तक?' 'पालिथीन प्रदूषण' जैसे लेख वर्तमान समय के ज्वलंत मुद्दों को सटीक ढंग से उठाते हैं। इनके अतिरिक्त 'योजना' के स्थाती स्तम्भ—'स्वास्थ्य चर्चा' और 'जहां चाह, वहां राह' नवीनतम विषयों की जानकारियों से परिपूर्ण थे। साथ ही 'संपादकीय' स्वयं में पूरी 'योजना' की झांकी प्रस्तुत करता प्रतीत होता है। आशा है पत्रिका की सर्वोत्कृष्टता निरंतर बनी रहेगी।

—नीरज कुमार, बिजनौर (उ.प्र.)

बाल श्रम एक गंभीर समस्या

नवम्बर अंक में 'काम के बोझ तले दबा बचपन—कारण और निवारण' पढ़ा। सटीक, सारगर्भित, ज्ञानवर्धक प्रतीत हुआ। निश्चित रूप से बाल-श्रम ने आज बच्चों की स्थिति भयावह बनाकर रख दी है। इस गंभीर स्थिति से न केवल बच्चों का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है अपितु शिक्षित बच्चों के अभाव में राष्ट्र का भविष्य भी अंधमय होने लगता है। अत: यह आज सबका दायित्व है कि न सिर्फ बच्चों के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास हेतु अपितु राष्ट्र विकास हेतु भी बाल-श्रम को रोकने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। साथ ही जो श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं वे भी अपना दायित्व पूर्ण गंभीरता एवं ईमानदारी से पूरा करके बाल-श्रम को रोकने का प्रयास करें तभी इस दिशा में कुछ सार्थक परिणाम प्राप्त हो सकेंगे।

—शैलेन्द्र कुमार, बुलन्दशहर (उ.प्र.)

सर्वश्रेष्ठ पत्र

जीवन-शैली पर आत्ममंथन आवश्यक

नवम्बर अंक में मृदुला सिन्हा जी का आलेख 'बड़ों की व्यस्तता: बच्चों का बोझ' पढ़कर महानगरों की जीवन-शैली से सचमुच मन व्यथित हो उठा है। निस्संदेह मानव जीवन की 'प्रथम-बेला' (बचपन) की उज्ज्वलता को आधुनिक अर्थलिप्सा की प्रवृत्ति ने अत्यंत मलिन कर दिया है।

महाकवि वाल्मीकि ने लिखा है 'नास्ति मातृसमो गुरू' अर्थात माता के समान उत्तम शिक्षक कोई नहीं होता। वस्तुत: मां संतानों के विलक्षण संस्कार एवं प्रतिभा रूपी गंगा की गंगोत्री है। वस्तुत: आज का मनुष्य उस भारतीय जीवन-शैली को ही विस्मृत करता जा रहा है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। शहरी जीवन-शैली एक विकृत जीवन-पद्धति का साक्षात प्रतिबिम्ब बनती जा रही है और बालकों का कोमल मन इन सबसे प्रभावित हो रहा है। मैं समझता हूं कि आज हम सबका प्रथम दायित्व मानव समाज को एक स्वस्थ, संस्कारी और संवेदनशील मानव-संतति प्रदान करना है और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने गुरूतर उत्तरदायित्वों को आत्मसात करते हुए बच्चों के स्वस्थ पालन-पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

—मुक्ति नाथ झा, लखनऊ (उ.प्र.)

अतुलनीय अंक

सर्वप्रथम आपको तथा आपके पूरे प्रकाशन विभाग को बच्चों पर विशेष नवम्बर, 2002 अंक प्रकाशित करने के लिए कोटिश: धन्यवाद। वैसे तो 'योजना' का हर आगामी अंक अपने पूर्ववर्ती अंक से श्रेष्ठ होता है लेकिन 'योजना' का नवम्बर, 2002 अंक अतुलनीय होने के साथ ही साथ श्रेष्ठ भी है।

जहां एक ओर मृदुला सिन्हा का 'बड़ों की व्यस्तता : बच्चों का बोझ' आधुनिक भारतीय समाज का बिल्कुल सटीक चित्रण करता नजर आता है वहीं दूसरी ओर प्रकाश मनु का 'बाल साहित्य : मौजूदा परिदृश्य और चुनौतियां' पाठकों को अनायास ही बचपन की यादों की ओर खींच ले जाता है। इनके अतिरिक्त जहां प्रशांत अग्निहोत्री का 'काम के बोझ तले दबा बचपन—कारण एवं निवारण' बच्चों के अंधकारमय भविष्य की ओर संकेत करता है वहीं उमेश चन्द्र अग्रवाल का 'देश में बाल संरक्षण एवं कल्याण की रणनीति और प्रभाव' बच्चों के भविष्य का उज्जवल होने का संकेत देता है जो काफी उत्साहवर्धक है।

इन सबके अलावा 'धर्म आधारित पर्यटन का उत्कृष्ट उदाहरण 'माता वैष्णव देवी' और 'भारतीय खेल : दशा एवं दिशा' भी मनभावन लगे।

—चन्द्रशेखर सिंह 'लड्डू', दिल्ली

एक काव्य प्रतिक्रिया

अंक पढ़ा। बच्चों पर केन्द्रित रचनाओं पर एक काव्य प्रतिक्रिया प्रेषित है।

बेसब्र-ओ-बेताब हैं, इस दौर के बच्चे।
अपने ही में जवाब हैं, इस दौर के बच्चे॥
गुम हो गई है जो किताबों के ढेर में।
बचपन की वह किताब हैं, इस दौर के बच्चे॥
सच हों, न हों, पलते हैं मां-बाप के दिल में।
कल के हसीन ख्वाब हैं, इस दौर के बच्चे॥
जिनकी न अपनी शामो-सुबह, जमीं आस्मां।
वो चांद-आफताब हैं, इस दौर के बच्चे॥
छुप जाते हैं बड़े-बड़ों के ऐब भी जिनमें।
वो कारगर नकाब हैं, इस दौर के बच्चे॥

—देवेन्द्र कुमार पाठक, कटनी (म.प्र.)

'दशा' नहीं 'दिशा' पर ध्यान दें

अंक में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई बाल साहित्य, बाल श्रम एवं बाल संरक्षण जैसे ज्वलंत लेखों को पढ़ा तो ऐसा लगा की वर्तमान समय में संपूर्ण भारत की बाल विकास में उत्पन्न समस्याओं का इस पत्रिका में समावेश हो गया हो जिसके लिए मैं पत्रिका और लेखकों को धन्यवाद देना चाहूंगा।

परंतु अधूरापन यह लगा कि इसमें 'दशा' (बाल समस्या) पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया अपेक्षाकृत 'दिशा' (उपाय) के। आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के कारण भारत में बाल विकास में उत्पन्न समस्याएं तो स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होती हैं परंतु इससे निपटने हेतु ठोस उपाय एवं सबसे महत्वपूर्ण उन पर क्रियान्वयन होना है। सिर्फ दशा की चिंता बेमानी होगी।

—अंकुर गुप्ता 'विक्की', मुट्ठीगंज (इलाहाबाद)

बच्चे ही राष्ट्र का भविष्य

नवम्बर 2002 अंक पढ़ा। पढ़कर बच्चों के शिक्षा एवं भारत में ग्रामीण बच्चों के शिक्षा एवं विकास की बेहद रोचक जानकारी प्राप्त हुई। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

देश में ग्रामीण बच्चों के लिए जो संरक्षण एवं कल्याण की रणनीति और प्रभाव है वह तो अच्छा है लेकिन इसे सिर्फ कागजों तक सीमित न कर हमारे ग्रामीण आंचलिक क्षेत्रों में लागू किया जाए क्योंकि यही बच्चे हमारे राष्ट्र का गौरव हैं। ये बच्चे ही हमारे राष्ट्र का भविष्य एवं कर्णधार हैं। उनके बचपन और सर्वाधिक संवेदनशील और सृजनात्मक अवस्थाओं के दौरान उनका लालन-पालन करने के लिए प्रत्येक भारतवासी को वचनबद्ध होना चाहिए ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके तथा अपनी मात्रभूमि के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान करें।

अगले अंकों में बच्चों के विकास के लिए ऐसे ही लेख प्रस्तुत करते रहें ताकि हमारे राष्ट्र का भविष्य और अधिक उज्जवल हो सके।

—विक्रम सिंह पटेल, अंजनियां, मण्डला (म.प्र.)

एकेडमीशियन्स IAS

सी–50, अल्कापुरी, अलीगंज, लखनऊ, दूरभाषः 331560, 757086
E mail add: raheessingh@rediffmail.com

Selcetions: IAS- More than 100, PCS- More then 300

इतिहास– प्रख्यात इतिहासविद **रहीस सिंह** द्वारा जिनके निर्देशन में छात्र IAS में 67% तक अंक तथा PCS में 74.75% तक अंक प्राप्त कर चुके हैं।

रहीस सिंह द्वारा लिखी गयी पुस्तकें जिन्हें छात्र सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए अनिवार्य मानते हैं–

- ☐ **हड़प्पा सभ्यता**
- ☐ **मध्यकालीन भारत मुगल**
- ☐ **स्वातंत्रयोत्तर भारत (1947-64)**
- ☐ **मध्यकालीन भारत (दिल्ली सल्तनत)**
- ☐ **आधुनिक भारत (1707-1857)**
- ☐ **गांधी नेहरू टैगोर : एक अध्ययन**

हिन्दी–ख्यातिलब्ध साहित्यकार, आलोचक, कथाकार, उपन्यासकार एवं संपादक द्वारा जिनके निर्देशन में छात्र 75% तक अंक प्राप्त कर चुके है

सामान्य अध्ययन– विशेषज्ञों के पैनल द्वारा

दर्शनशास्त्र–लेखक, विषय विशेषज्ञ एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा

अन्य– समाज शास्त्र एवं समाज कार्य

कोर्सेज : फाउन्डेशन कोर्स (1 वर्ष), मेन, मेन–कम–प्री एवं प्री। पत्राचार की सुविधा उपलब्ध

हमारी रणनीति : लेक्चर, क्लास डिस्कशन, डिक्टेशन, क्वेश्चन सेशन व फ्रेम वर्किंग, टेस्ट

लोक प्रशासन

By **Atul Lohiya**

(A person who believes in hard work and scientific approach)

UGC-NET
QUALIFIED IN TWO SUBJECTS
HISTORY & PUB. ADMINISTRATION

लोक प्रशासन ही क्यों?

क्योंकि आप एक लोक प्रशासक बनने जा रहे हैं।

— परीक्षा की चुनौतियों एवं बदलती परिस्थितियों के अनुरूप विषय
— इसकी महत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि जारी
— भविष्य में सामान्य अध्ययन के अनिवार्य भाग के रूप में लोक प्रशासन को शामिल किए जाने की अधिकतम संभावना
— वर्तमान समय में भी **अंकों के खेल** में सबसे आगे –
आपका अध्ययन 600 अंकों के लिए, लेकिन आप **हल कर** सकेंगे एक हजार से अधिक अंकों के प्रश्न
(वैकल्पिक विषय - 600 + निबंध - 200 + G.S. (Polity) - 90 + G.S. (Social Problem) + G.S. Current Affairs + **साक्षात्कार**
— और अब **परिणाम में भी सबसे आगे** –
IAS 2001 के TOP-20 में सर्वाधिक (7) लोक प्रशासन से
— लोक प्रशासन न पढ़ें, तब भी उसका 60-70 प्रतिशत सिलेबस सामान्य अध्ययन के भाग के रूप में हर परीक्षार्थी के लिए पढ़ना अनिवार्य।
— प्रत्येक परीक्षार्थी द्वारा जिज्ञासावश भी अधिकांश सिलेबस का अध्ययन, जैसे - भर्ती, प्रशिक्षण, अलग कमेटी, वेतन एवं सेवा शर्तें आदि।

क्या है कोई विकल्प इससे बेहतर?

लोक प्रशासन का चयन - उचित निर्णय और व्यावसायिक दृष्टिकोण

तो आइये करें - लोक प्रशासन के अध्ययन की शुरूआत, 'अतुल लोहिया' के साथ।

अतुल लोहिया ही क्यों?

क्योंकि केवल हम कराते हैं लोक प्रशासन का सम्पूर्ण एवं समग्र अध्ययन।

— UPSC के साथ UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand PCS की भी तैयारी
— **अध्यापन की शैली** - विशिष्ट व वैज्ञानिक
(दो घंटे से लेकर 200 घंटे तक एक कड़ी के रूप में पढ़ाने का दावा)
— **नोट्स** - वैज्ञानिक तरीके से तैयार पूर्णतः संशोधित व परिमार्जित, Pre. और Mains के लिए अलग-अलग। संदर्भ : 80 से 85 स्रोत।
— केवल हमारे नोट्स से UPSC (Pre.) और UPPCS (Pre.) 2001 एवं 2002 में लगभग 90 प्रतिशत प्रश्न आए।
— **Revision Notes** - चार्ट के रूप में उपलब्ध कराने वाले एकमात्र शिक्षक।
— हम देते हैं प्रत्येक क्लास का 40 प्रतिशत समय प्रश्न अभ्यास में और शेष समय **विषय की बेहतर समझ एवं छात्रों की परिपक्व सोच** के विकास में।
— इसके अतिरिक्त आप प्राप्त कर सकते हैं –
प्रतियोगी वातावरण, कुशल परिचर्चा समूह, और भी...

लोक प्रशासन

Mains के साथ-साथ
Pre. के लिये भी
बेहतर विकल्प

'अतुल लोहिया'

शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध
MAINS - 2,000/-
MAINS + PRE. - 3,000/-
डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त

There's never a wrong time, To do the Right thing

AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

FLAT No. 301, TOP FLOOR, A-14, BHANDARI HOUSE COMM. COMPLEX, BEHIND BATRA CINEMA, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009 • Ph.: 27655134. CELL.: 9810651005

भारत में राजमार्ग क्रांति
उच्चतर विकास की ओर ऊंची उड़ान

○ श्याम सुन्दर सिंह चौहान

हरित-क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत-क्रांति से दुग्ध उत्पादन, पीत-क्रांति से तिलहन उत्पादन, नीली-क्रांति से मत्स्य उत्पादन तथा भूरी-क्राति से ऊन उत्पादन में उल्लेखनीय और विशिष्ट उपलब्धियां हासिल कर लेने एवं संचार क्रांति से भारत को 'वैश्विक ग्राम' का एक महत्वपूर्ण भागीदार बना देने के बाद अब राजमार्ग-क्रांति से भारत के विभिन्न भागों को विश्वस्तरीय सड़कों से जोड़े जाने का अति महत्वपूर्ण एवं महत्वकांक्षी कार्य प्रारंभ किया गया है।

सड़कें प्रत्येक देश की जीवनरेखाएं होती हैं। इनसे केवल माल और यात्री ही एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं लाया-ले जाया जाता, बल्कि ये विभिन्न संस्कृतियों, एवं वैचारिक-विभिन्नताओं को एक साथ मिलाने का भी कार्य करती हैं। आर्थिक विकास की प्रक्रिया सड़कों से ही होकर गुजरती है। सड़कों के मामले में इतना ही पर्याप्त नहीं है कि लंबाई या नेटवर्क की दृष्टि से या सघनता की दृष्टि से वे अधिकता में हों, बल्कि सड़कों के मामले में यह भी महत्वपूर्ण है कि उनकी सतह मजबूत हो और उनकी चौड़ाई इतनी हो कि यातायात को उसकी गति के अनुरूप आने-जाने दे। अच्छी तरह से विकसित विश्वस्तरीय राजमार्गों के प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं :

- वाहन परिचालन लागत में बचत
- तीव्रगामी एवं आरामदायक यात्रा
- ईंधन उपयोग में बचत
- शीघ्र नाशवान वस्तुओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में शीघ्रता से व्यापार लाभ
- अनुरक्षण लागत की कमी
- सुरक्षित यात्रा
- दुर्घटना रहित यात्रा से जान-माल की कम हानि
- राजमार्ग के किनारे एवं निकटस्थ क्षेत्रों का तीव्र विकास
- औद्योगीकरण एवं कृषि व्यावसायीकरण को बढ़ावा
- आतंकवादी गतिविधियों, आंतरिक असंतोष एवं डकैती, अपहरण जैसी वारदातों को रोकने में आसानी

सड़कें प्रत्येक देश की जीवनरेखाएं होती हैं। इनसे केवल माल और यात्री को ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जाया नहीं जाता, बल्कि ये विभिन्न संस्कृतियों एवं वैचारिक-विभिन्नताओं को एक साथ मिलाने का भी कार्य करती हैं। आर्थिक विकास की प्रक्रिया सड़कों से ही होकर गुजरती है।

भारत में सड़कों का जाल

भारत में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 33 लाख कि.मी. है। इसमें से राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 58,112 कि.मी. है। तालिका-1 से ज्ञात होता है कि 1951 से 1991 तक की चालीस वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में लगभग 12 हजार कि.मी. की ही वृद्धि हो सकी है। 1991 से 2001 की दस वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में 24.11 हजार कि.मी. की वृद्धि हुई। इसका एक प्रमुख कारण अनेक प्रांतीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाना है। प्रांतीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने से उनकी गुणवत्ता में कोई सुधार काफी लंबे समय तक दिखाई नहीं दिया है।

औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, संचार आदि के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां कितनी ही उल्लेखनीय क्यों न रही हों, सड़कों के मामले में भारत की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती थी

G.S.

IAS/PSC
2003/2004
प्रारम्भिक + मुख्य
(हिन्दी माध्यम)

By
R.Kumar
& Team

To the point, **पर्याप्त मात्रा, उच्च गुणवत्ता के साथ वैज्ञानिक तरीके से लिखा गया नोट्स**

जाँच के लिए कोई दो कक्षा निःशुल्क

दिल्ली और पटना में नामांकन जारी

Hostel Facility arranged, Separately for Boys & Girls

GS एवं इतिहास का पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध, विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें:

HEAD OFFICE
102,103 Jaina House,
Behind Safal Mother Dairy,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9
Ph.: (O) 27651392 (R) 27252444
Cell.: 9810664003

IAS TUTORIALS

BRANCH OFFICE
Info Campus
S-2, 2nd Floor,
Chandi Vyapar Bhavan,
Above Bombay Dyeing Showroom
Exhibition Road, PATNA -1
Ph.: 204295,200932

जबकि तीव्रतर आर्थिक विकास हेतु उच्च कोटि की सड़कें होना परमावश्यक है।

नई सड़क-नीति

भारत के विशाल आकार को देखते हुए देश के प्रमुख राजमार्गों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता है। आधारिक अवसंरचना के एक अति प्रमुख क्षेत्र सड़कें लगभग संपूर्ण योजनाकाल में सरकारी क्षेत्र में रही है। इनके विकास, निर्माण तथा अनुरक्षण की लागत बहुत अधिक होने के कारण इनके लिए बजटीय स्रोतों से यथोचित संसाधन नहीं जुटाए जा सके। यही कारण है कि सड़कों की हालत खस्ता रहीं। सरकारी स्तर पर निजी क्षेत्र को सड़कों के विकास में शामिल किए जाने का प्रयास कम से कम योजनाकाल के पहले चालीस वर्षों में तो नहीं ही किया गया। वर्ष 1991 से देश में आर्थिक सुधारों तथा उदारीकरण की जो लहर चली, उसमें सड़क लगभग उपेक्षित-सा रहा। सड़क क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी न हो पाने का एक प्रमुख कारण किसी प्रकार की कोई सड़क नीति न होना था। इस बाधा को दूर करने के लिए भारत सरकार के भू-तल परिवहन मंत्रालय ने सड़क-नीति बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया। लंबे विचार-विमर्श के बाद नई सड़क नीति-1997 घोषित की गई। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :-

- 'निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण' (BOT) मार्ग से राजमार्ग में निजी निवेश की अनुमति जिसकी अधिकतम अवधि 30 वर्ष होगी;
- राजमार्ग निर्माण की सभी निविदाएं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा-बोली बोलने के मार्ग का अनुसरण करेंगी ताकि बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के ठेके देने में अधिक पारदर्शिता बरती जा सके;
- निजी क्षेत्र द्वारा निर्माण किए गए राजमार्गों, पुलों, उपमार्गों के प्रयोग पर वाहनों से लिए जाने वाले शुल्क की दरें सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी, तथापि निर्माणकर्त्ता कंपनी अधिक यातायात आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित दरों से नीची दर पर शुल्क (टोल) वसूल सकती है;
- सड़क-पुल-उपमार्ग निर्माण एवं इसके किनारे की भूमि अधिग्रहण एवं उपयोगिताओं का पुनर्स्थान निर्धारण सरकार अपनी लागत पर करेगी, जहां संभव हो वहां निजी कंपनी अपने स्तर से भी भूमि अधिग्रहित कर सकती है;
- राजमार्ग परियोजना में 74 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी भागीदारी प्रस्तावों को तो स्वचालित मार्ग से अनुमति प्राप्त हो जाएगी। 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी प्रस्तावों पर प्रत्येक मामले में अलग-अलग विचार किया जाएगा;
- सुनिश्चित यातायात प्रवाह के रूप में सरकारी सहायता सुलभ रहेगी;
- बजटीय संसाधनों तथा निजी निवेश से दो लेन वाले राजमार्गों को चार लेन/छः लेन वाले राजमार्गों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु सरकार द्विमार्गीय रणनीति का अनुसरण करेगी। एक ओर जहां दिल्ली-कोलकाता, कोलकाता-चेन्नई, चेन्नई-मुंबई, मुंबई-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 'स्वर्ण-चतुर्भुज' को विकसित करने की गलियारा एप्रोच अपनाई जाएगी वहीं दूसरी ओर, सरकार नई परियोजनाओं पर विस्तृत संभावना अध्ययनों को पूरा करने, सड़क किनारे की सुविधाएं प्रदान करने, किनारे की भूमि उपभोग का अधिकार निजी कंपनियों को प्रदान करने एवं पर्यावरणीय अनुमति देने की प्रक्रिया का सरलीकरण करेगी;
- सड़क निर्माण हेतु किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी इक्विटी शेयरों तथा डिबेंचरों में किया गया निवेश आयकर अधिनियम की धारा-88 के अंतर्गत आयकर में 20 प्रतिशत (अब 15 प्रतिशत) छूट के लिए अनुमन्य होगा;

तालिका-1

भारत में सड़कों का विकास

(लंबाई 000 कि.मी.)

वर्ष	गैर-नगरीय सड़कें				नगरीय सड़कें	देश में सड़कों की कुल लंबाई
	राजमार्ग		* अन्य सड़कें	कुल गैरनगरीय सड़कें		
	राष्ट्रीय	प्रांतीय				
1951	22.00	43.0	335.0	400.0	**	400.0
1961	23.80	62.0	292.8	478.9	46.4	525.00
1971	23.80	80.0	741.1	844.9	72.1	917.00
1981	29.00	94.4	1243.3	1366.7	123.3	1490.00
1991	31.00	127.0	1711.0	1872.0	165.0	2027.00
1995	34.00	131.0	1835.0	2000.0	180.0	2180.00
2001 (अनुमानित)	58.11	145.0	2886.89	3090.0	210.0	3300.00

* इसमें परियोजनाओं की सड़कों, जनपदीय सड़कों, ग्रामीण सड़कों की लंबाई शामिल है।

** नगरीय सड़कों की लंबाई अन्य सड़कों की लंबाई में शामिल है।

- अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्तीयन हेतु विदेशी संस्थागत निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार के निवेशों से अर्जित आय को किसी विशिष्ट कोष में रखे जाने पर इस आय के 40 प्रतिशत पर आयकर नहीं लगेगा;
- अवसंरचनात्मक विकास निधियों की लाभांश से अर्जित आय, पूरी तरह से कर मुक्त होगी। इसी प्रकार अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास, परिचालन और अनुरक्षण हेतु स्थापित उद्यमों को दी गई दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ को भी कर मुक्त रखा गया है;
- राजमार्ग परियोजनाओं में उतरने वाली कंपनियां परिचालन के पहले 12 वर्षों में किन्हीं भी पांच वर्षों के लिए कर-अवकाश की सुविधा का लाभ ले सकेंगी। इसके अतिरिक्त अगले पांच वर्षों के लिए कर देयताओं में 30 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी;
- सड़क-निर्माण के विशिष्ट उपकरणों पर आयात शुल्क की दर 65 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत होगी;
- निजी क्षेत्र द्वारा विकसित राजमार्गों पर कोई बिक्रीकर या चुंगी नाका नहीं होगा, यातायात स्वयं उद्यमी द्वारा विनियमित किया जाएगा;
- सड़क अथवा उसके किनारे की अधिगृहित भूमि का किसी के द्वारा किया गया अतिक्रमण दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए सरकार कानून बनाने जा रही है। राजमार्गों के अतिक्रमणों को रोकने के लिए एक सांविधिक संस्था की भी स्थापना की जा रही है;
- परियोजना पूरी करने वाले उद्यमी (परिचालनकर्ता) को राजमार्ग के किनारे रेस्टोरेन्टों, मोटलों, पेट्रोल/डीजल पम्पों, बाजारों आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति होगी ताकि परियोजना को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके;

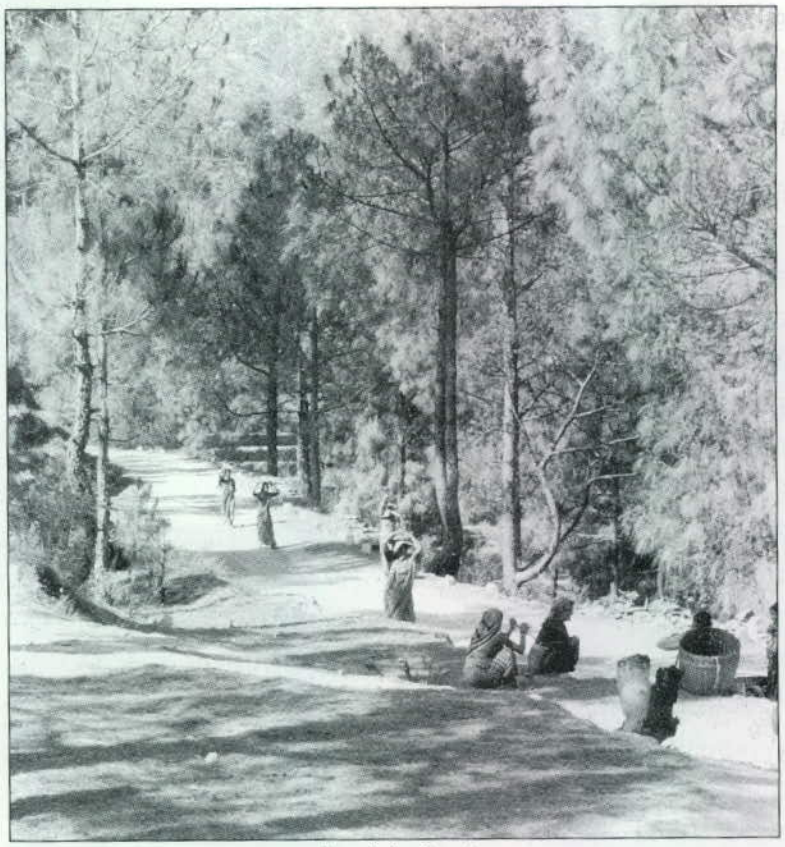

बोझा ढोती महिलाएं

- राजमार्ग पर प्रवेश/निकास बिंदुओं पर माल को लादने-उतारने, माल-भंडारण की सुविधाएं, यातायात नगरों के विकास, चिकित्सा सुविधाओं के विकास एवं वाहनों की मरम्मत और सर्विस स्टेशनों आदि जैसी सुविधाएं परिचालनकर्ताओं द्वारा ही मुहैया कराई जाएंगी;
- असाधारण परिस्थितियों में निश्चित प्रतिबद्धता (*Force Majeure*) के तहत निजी परिचालनकर्ताओं को होने वाली क्षति की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। इसके लिए सरकार रियायतों की अवधि बढ़ा सकती है;
- 'निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण' परियोजनाओं में परिचालनकर्त्ताओं को यथोचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस मामलों में यद्यपि सरकार का वित्तीय दायित्व सीमित ही होगा, तथापि राजस्व में कमी से होने वाली भरपाई सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार की जाएगी;
- जहां तक विनियमितीकरण कार्यों का प्रश्न है, वे कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ही किए जाएंगे। प्रारंभिक वर्षों में प्रयोग शुल्क की उच्चतम दर तथा बाद के वर्षों में शुल्क संशोधन का फार्मूला समझौते का अंग होगा;
- प्रयोग शुल्क की दरें प्रतिवर्ष थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधित की जा सकेंगी। यदि मुद्रास्फीति की दर किसी वर्ष चार बिंदु या इससे अधिक तक बढ़ जाती है तो प्रयोग शुल्क की दरों को वर्ष में दो बार भी संशोधित किया जा सकेगा;
- परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा कर लेने का दायित्व निजी परिचालनकर्ताओं का होगा। यदि परियोजना समय से पूरी नहीं हो पाती तो इसकी जवाबदेही निजी परिचालनकर्ता की होगी। यदि यह विलंब सरकार या कार्यान्वयन एजेंसी के कारण होता है तो

परियोजना पूर्ण होने की अवधि का विस्तार किया जाएगा।

निजी क्षेत्र की सहभागिता

उपर्युक्त सड़क नीति को कार्यरूप देते हुए सरकार ने सड़क क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता प्रोत्साहित करने के लिए राजमार्ग विकास में उतरने वाली निजी कंपनियों को निम्नलिखित रियायतें देने की घोषणा की है :

- राजमार्गों के निर्माण में निवेश करने वाले उद्यमियों को परियोजना के आर्थिक दृष्टि से चालू हो जाने के पहले पांच वर्ष तक की अवधि के लिए आयकर में 100 प्रतिशत की छूट, अगले 20 वर्षों की अवधि में ऐसे निवेश से अर्जित आय पर आयकर में 30 प्रतिशत की छूट। इस प्रकार इस क्षेत्र के उद्यमियों को 'निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण' (BOT) की संपूर्ण अवधि के दौरान मात्र पांच वर्षों में ही पूरा आयकर देना होगा;
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 'निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण' वाला राजमार्ग परियोजनाओं को 40 प्रतिशत का पूंजीगत अनुदान देना;
- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अभिन्न अंग वाली गतिविधियों को कार्यरूप देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन;
- राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने के लिए विशिष्ट भारी मशीनों के आयात शुल्क में छूट;
- एक्सप्रेस-वे, बड़े पुलों, नए उपकरणों तथा मार्गों पर ऊंची दर से शुल्क लगाने के लिए भू-तल परिवहन मंत्रालय अधिकृत;
- राजमार्ग परियोजनाओं की अभिन्न अंग वाली आवासीय एवं अन्य विकास क्रियाओं के होने वाले लाभ को यदि राजमार्ग परियोजनाओं में ही निवेश कर दिया जाता है तो इस पर कर-रियायतें अवसंरचना क्षेत्रक को अनुमन्य कर-रियायतों के समान ही होगी;
- दो लेन वाले राजमार्गों को चार-लेन/छह लेन में बदले जाने पर विभिन्न प्रकार के वाहनों से ली जाने वाली शुल्क दरें इस प्रकार निर्धारित की गईं हैं :

(क) कार, जीप, वैन:	40 पैसे प्रति कि.मी.
(ख) हल्के वाणिज्यिक वाहन:	70 पैसे प्रति कि.मी.
(ग) ट्रक, बस	1.40 रुपये प्रति कि.मी.
(घ) भारी निर्माण मशीनें:	तीन रुपये प्रति कि.मी.

- शुल्क की वास्तविक दरों का निर्धारण परियोजना की लागत, वित्तीय व्यवहार्यता तथा जनता की स्वीकार्यता के आधार पर अलग-अलग मामलों के लिए पृथक से किया जाएगा;
- टोल (शुल्क) दरों को थोक मूल्य-सूचकांक से संबद्ध किया जाएगा।

विकास कार्यक्रम

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सड़कों के महत्व को समझा और महसूस किया है। उनकी दूरदर्शितापूर्ण सोच ने ही राजमार्ग क्रांति की संकल्पना को जन्म दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम प्रधानमंत्री की पहल पर प्रारंभ किया गया एक अति महत्वकांक्षी एवं बड़ा कार्यक्रम है। प्रारंभ में इसे दो चरणों में लागू किया जा रहा है। पहले चरण में 'स्वर्ण-चतुर्भुज' योजना के तहत 5846 कि.मी. लंबी सड़कों को चार-लेन वाली विश्वस्तरीय सड़कों में बदला जा रहा है। दूसरे चरण में उत्तर-दक्षिणी (कश्मीर से कन्याकुमारी) तथा पूर्व-पश्चिम (सिलचर से पोरबंदर) गलियारों की 7300 कि.मी. लंबी सड़कों को चार लेन वाला बनाया जाएगा। पहले चरण का कार्य 31 दिसंबर, 2003 तथा दूसरे चरण का कार्य 31 दिसंबर, 2007 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन दोनों परियोजनाओं में कुल 14000 कि.मी. लंबी सड़कों को विश्वस्तरीय राजमार्गों के रूप में बदलने के लिए 44 उप-मार्गों तथा 470 पुलों का भी निर्माण करना पड़ेगा।

इतने बड़े स्तर के कार्य हेतु बहुत बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी। आधारिक अवसंरचना के व्यावसायीकरण पर डॉ॰ राकेश मोहन समिति के अनुसार, सन् 2001 से 2006 के बीच केवल राजमार्गों के निर्माण एवं विकास हेतु 61,000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। सुपर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं विकास हेतु इसी अवधि में 32,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का आकलन था। सन् 2001 से 2006 तक अनुरक्षण हेतु 11300 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है।

यह कार्य किसी भी दशा में सरकार केवल अपने संसाधनों से पूरा नहीं कर सकती। इसके लिए निजी तथा बहुपक्षीय वित्तीयन एजेंसियों का सहयोग आवश्यक है। सड़क क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने के लिए राष्ट्रीय सड़क नीति-1997 घोषित की जा चुकी है और उसी के अनुरूप सरकार ने सड़क-निर्माण के क्षेत्र में उतरने वाली निजी कंपनियों के लिए अनेक छूटों की घोषणा भी कर दी है।

इसी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के वित्तीयन हेतु निम्नलिखित कार्ययोजना तैयार की गई है :-

- पेट्रोल/डीजल पर एक रुपया प्रति लीटर की दर से लगाए गए (सन् 1998 से) उप-कर से: 20,000 करोड़ रुपये
- विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा जे बी आई सी जैसी बहुपक्षीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों से: 20,000 करोड़ रुपये
- बाजारी उधारों से: 10,000 करोड़ रुपये
- निजी क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश से: 4000 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के पहले चरण 'स्वर्ण-चतुर्भुज' को पूरा करने के लिए डीजल/पेट्रोल पर उपकर लगाकर तथा बाजारों से उधार लेकर 16846 करोड़ रुपये जुटा लिए गए हैं। 7862 करोड़ रुपये बाह्य सहायता (विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक) के रूप में प्राप्त हुए हैं, निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण व्यवस्था के तहत 1690 करोड़ रुपये का निवेश निजी क्षेत्र कर रहा है जबकि 2 हजार करोड़ रुपये एन्युटी मार्ग से प्राप्त होने हैं 1902 करोड़ रुपये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपने स्तर पर उपलब्ध करा रहा है।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के पूर्ण हो जाने पर भारत के प्रमुख राजमार्ग विश्वस्तरीय हो जाएंगे। इससे यात्रियों तथा माल का परिवहन तीव्रगामी तथा सुगम हो जाएगा। हो सकता है कि परियोजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों-पुलों-उपमार्गों के उपयोग हेतु वाहन चालाकों को टोल टैक्स देने से परिवहन लागतें बढ़ी हुई दिखाई दें, किंतु साफ-सुथरी गड्ढा मुक्त सड़कों पर ईंधन की कम खपत तथा वाहन अनुरक्षण व्यय की लागत में कमी आने से परिवहन की कुल वास्तविक लागत, वर्तमान की, तुलना में काफी कम होगी।

इतना ही नहीं सड़क निर्माण की इस परियोजना का प्रभाव अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर भी व्यापक रूप से पड़ेगा जैसे :

- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के पहले चरण हेतु 100 लाख टन सीमेंट, 8.6 लाख टन इस्पात की आवश्यकता होगी। इससे मंदी के शिकार सीमेंट उद्योग तथा इस्पात उद्योग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे;
- सड़क निर्माण की रोजगार संभव्यता तो और भी अधिक व्यापक है। एक सरकारी आकलन के अनुसार राजमार्गों के निर्माण से 40 व्यक्ति प्रति दिन प्रति कि.मी. की दर से रोजगार का सृजन होगा। इस प्रकार दस वर्षों की अवधि (1997-2007) में 7.3 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित होगा;
- सड़कों का निर्माण अत्याधुनिक तरीके से करने के लिए निर्माण कंपनियों को 5100 टिप्पलर्स, 1020 ट्रैक्टर्स, 170 एक्जकेवटर्स, 140 ग्रेडर्स, 280 रोड रोलर्स, 35 बैचिंग प्लांटों, 100 ट्रांजिट मिक्सर्स तथा 100 डीजल जनरेटर सैटों की आवश्यकता होगी। इससे सड़क निर्माण मशीनरी उद्योग लाभान्वित होगा;
- नवनिर्मित राजमार्गों के किनारे आवासीय बस्तियों, रेस्टोरेंटों, होटलों, ईंधन स्टेशनों, यातायात नगरों, मोटर गैराजों आदि के निर्माण से सीमेंट, इस्पात, एवं अन्य निर्माण सामग्री की खपत बढ़ेगी तथा बड़ी मात्रा में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजना है। केन्द्रीय सड़क राज्यमंत्री मेजर जनरल बी.सी. खंडूरी के शब्दों में, 'हमारा प्रयास राष्ट्रीय राजमार्गों के एक ग्रिड को सृजित करने का है ताकि देश का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्गों से 50 कि.मी. से अधिक दूर न हो'। यह परियोजना सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सहभागिता का अनूठा उदाहरण है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष योगेन्द्र नारायण के अनुसार, 'नई नीति उच्चस्तरीय अच्छे सार्वजनिक-निजी संबंधों का मार्ग प्रशस्त करेगी। जिसके प्रतिफल सड़क नेटवर्क को विकसित करने एवं अनुरक्षण करने में सहायता मिलेगी'।

कठिनाइयां और निराकरण

जितना बड़ा काम उतनी ही बड़ी कठिनाईयां और बाधाएं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के बड़े आकार तथा इसे पूर्ण करने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन जुटाने में आने वाली कठिनाईयों को देखते हुए कुछ लोगों को इसे समय से पूरा होने में संदेह हो सकता है। जहां तक संसाधन जुटाने का सवाल है तो नई राष्ट्रीय सड़क नीति तथा तदनुसार अनेक रियायतों की घोषणा करके निजी क्षेत्र के प्रवेश का मार्ग खोल दिया गया है तथापि इसके बावजूद भारत की सड़कों को विश्वस्तरीय बनाने में कतिपय प्रमुख कठिनाईयां और उनका संभावित निराकरण निम्नलिखित प्रकार है।

- **अल्पकालीन दृष्टिकोण :** सड़क क्षेत्र की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि सड़कों का निर्माण तो कर दिया जाता है, जो कि समस्या के प्रति अल्पकालीन दृष्टिकोण है, किंतु सड़कों के अनुरक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती। जैसा कि भारत अवसंरचना रिपोर्ट-2002 स्पष्ट करती है, 'सड़कों में, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारित समय से चल रहा है और अनेक राज्य अपने प्रांतीय राजमार्गों तथा जनपदीय सड़कों के सुधार पर काफी धन खर्च भी कर रहे हैं। लेकिन अल्पकालीन दृष्टिकोण के विरूद्ध संघर्ष अभी भी जारी है। सारा ध्यान अविरत आधार पर लोगों को अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराने पर न दिया जाकर सड़कों के निर्माण पर दिया जाता है। नई बनी सड़कों की ऊबड़-खाबड़ सतह इस विसंगति को उजागर करती है'। इस दृष्टिकोण को बदलना होगा। जितना जरूरी सड़कों का निर्माण करना या उन्हें चौड़ा करके अधिक यातायात वहन करने योग्य बनाना है, उतना ही जरूरी उनकी रख-रखाव करना भी है।
- **वित्तीय अविरतता का अनुश्रवण :** परियोजना का आकार बहुत बड़ा होने के कारण इस बात की संभावना सदैव बनी रहेगी कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण परियोजना की प्रगति धीमी पड़ जाए। इस मामले में परिवहन पर विश्व बैंक की एक हालिया टिप्पणी कारगर भूमिका निभा सकती है, 'कार्यक्रम की वित्तीय अविरतता के सघन अनुश्रवण की आवश्यकता होगी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 'निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण' समझौतों, बॉण्ड निर्गमन या सरकार द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों से उधार लेना जैसे वित्तीयन विकल्पों का स्वाद चख लेने से प्राप्त अनुभव के यथोचित विश्लेषण की आवश्यकता होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अधिकाधिक स्वायत्तता देकर इसकी साख को सुधारा जा सकता है। और निजी वित्तीयन हेतु नए अवसर खोले जा सकते हैं'।

● **राजस्व अर्जन :** परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन जुटा लेना निश्चित ही एक बड़ा और कठिन कार्य है, किंतु इससे भी कठिन कार्य परियोजना के लिए जुटाए गए वित्त के पुनर्भुगतान से जुड़ी बाध्यताओं को पूरा करने का हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके द्वारा जारी बॉण्डों की परिपक्वता राशि का पुनर्भुगतान करना होगा। इसी प्रकार भारत सरकार को बहुपक्षीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों का भी पुनर्भुगतान करना होगा। यद्यपि डीजल/पेट्रोल उपकरण की प्राप्तियों का एक भाग बॉण्डों के पुनर्भुगतान हेतु निर्धारित कर दिया गया है तथापि सरकार को इसकी सुनिश्चित व्यवस्था करनी होगी कि निवेशकों को उनका धन समय पर वापस मिल जाए।

सड़कों को चार लेन/छह लेन का बना दिए जाने पर या पुल, उप-मार्ग बन जाने पर उससे गुजरने वाले वाहनों से शुल्क की वसूली से पर्याप्त राजस्व प्राप्त हो सकता है। इसके लिए लोक लुभावन नीति से बचते हुए जनता के एक वर्ग द्वारा सड़कों-पुलों-उप-मार्गों के प्रयोग का शुल्क भुगतान के विरोध को नजरअंदाज करते हुए परियोजना की लागत को ध्यान में रखकर लगाए गए शुल्क की वसूली करनी होगी। यह एक संतोष की बात है कि इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित कतिपय प्रखंडों जैसे—आगरा-दिल्ली, जयपुर-दिल्ली एवं पानीपत-जालंधर पर वसूलियां काफी बड़ी सीमा तक संतोषजनक है।

● **पर्यावरणीय परिरक्षा से जुड़े मुद्दे:** पारंपरिक तौर पर भारत के लगभग सभी राजमार्गों, यहां तक कि जनपदीय सड़कों के किनारे बड़े पैमाने पर छायादार वृक्ष लगाए गए हैं। जब भारत में मोटरचालित वाहन सड़कों पर नहीं उतरे थे और सड़कें भी कच्ची थी तो ये वृक्ष बैलगाड़ियों, हाथी-घोड़ों-ऊंटों पर चलने वाले यात्रियों तथा पैदल यात्रियों को शीतलता तथा फल उपलब्ध कराते थे। अब सड़कों पर मोटरचालित वाहनों के चलने से ये वृक्ष वाहनों से निकलने वाले धुएं से उत्सर्जित कार्बन डाई-ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को निष्क्रिय करने का कार्य करते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के अंतर्गत दो-लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाले विश्वस्तरीय राजमार्गों में बदलने के लिए सड़कों के किनारे के वृक्षों को काटा जा रहा है। कहीं-कहीं तो ये वृक्ष 100-150 वर्ष पुराने थे। इससे पहले से ही खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके पर्यावरण को भारी क्षति पहुंच रही है। नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने पर अब ऐसा लगने लगा है मानो रेगिस्तान में यात्रा कर रहे हों। सड़कों के किनारे के पेड़ों और वनस्पतियों के समाप्त हो जाने से वाहनों से उत्सर्जित कार्बन डाई-ऑक्साइड को अवशोषित किए जाने का साधन चूंकि समाप्त हो गया है इसलिए इस राष्ट्रीय राजमार्गों के आस-पास के वायुमंडल में कार्बन डाई ऑक्साइड तथा ठोस पदार्थ कणों की मात्रा बढ़ रही है जो पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि कर सकती है। स्पष्ट है कि इस परियोजना की सामाजिक लागत बहुत ऊंची आएगी। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण हेतु नवनिर्मित सड़कों के किनारे हरित पट्टी विकसित करने का कार्य उसी संस्था/कंपनी द्वारा कराए जाने का दायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए जिसने इस प्रखण्डों का निर्माण किया है।

● **आधी-अधूरी क्रांति :** भारत के विशाल आकार तथा विगत दस वर्षों के दौरान वाहनों की संख्या में हुई वृद्धि को देखते हुए केवल 14000 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। यह सही है कि देश के कुल नेटवर्क में मात्र 2 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाले राष्ट्रीय राजमार्गों से देश के कुल सड़क यातायात का 40 प्रतिशत यातायात गुजरता है लेकिन यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि 60 प्रतिशत सड़क यातायात संभालने वाले प्रांतीय राजमार्ग तथा जनपदीय सड़कें परिवहन व्यवस्था ही नहीं बल्कि संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विगत 10-15 वर्षों में मध्य आकार के नगरों तथा कस्बों में व्यापारिक गतिविधियों में बहुत अधिक तेजी आई है। जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालयों तथा अन्य कस्बों में व्यावसायिक वाहनों-बसों एवं ट्रकों, मोटरकारों-जीपों तथा ट्रैक्टरों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। उस अनुपात में सड़कों का आकार नहीं बढ़ सका है। परिणाम यह है कि इन मार्गों पर प्राय: यातायात जाम की स्थिति रहती है, दुर्घटनाएं अधिक होती हैं तथा वाहनों की टूट-फूट भी अधिक होती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रांतीय राजमार्गों तथा जनपदीय सड़कों का भी सुधार किए जाने की आवश्यकता है। आधी-अधूरी सड़क क्रांति से काम नहीं चलेगा। इस दिशा में केन्द्र की भांति राज्यों को भी आगे आना पड़ेगा तथा अपने-अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कों को चौड़ा करके उनकी स्थिति सुधारनी होगी।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सड़कों और राजमार्गों के महत्व को देखते हुए उनमें सुधार की आवश्यकता तो बहुत पहले से महसूस की जा रही थी। विगत दो दशकों

(शेष पृष्ठ 15 पर)

हर गांव को सड़क

○ नवीन पंत

प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त, 2000 को सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की घोषणा की थी। दिसम्बर 2001 में इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम, 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' शुरू किया गया जिसका उद्देश्य है अगले पांच वर्षों के दौरान देश के एक लाख 60 हजार गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना। पिछले दो वर्षों के दौरान 2700 करोड़ रुपये के खर्च से 8,391 सड़क परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं जिससे 12,508 गांव मुख्य सड़क से जोड़े जा सके हैं।

सड़कें सभ्यता, कृषि, व्यापार के विस्तार और एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र के निवासियों के समीप लाने में उसी तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिस तरह नसें (रक्त वाहिकाएं) शरीर में सर्वत्र रक्त पहुंचाने में करती हैं। मनुष्य ने सभ्यता के विकास के साथ जो पहला काम किया वह था सड़कों का निर्माण। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए सर्वत्र सड़कों का निर्माण कराया। इन सड़कों को 'बणिक पथ' कहते थे क्योंकि मुख्य रूप से इन सड़कों का उपयोग व्यापारी करते थे। अशोक के बाद के हिन्दू नरेशों ने भी इस परम्परा का अनुसरण किया।

शेरशाह सूरी ने बंगाल को उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र से जोड़ने वाली एक विशाल सड़क का निर्माण किया। सूरी के बाद मुगल शासकों ने सड़क और विश्रामस्थलों (सरायों) के निर्माण की इस परंपरा को जारी रखा। मुगल शासक इन सरायों का इस्तेमाल अपनी डाक-व्यवस्था के संचालन के लिए भी करते थे। बाद में अंग्रेजों ने सैनिक प्रयोजनों के लिए देश के दूर हिस्सों में सड़कें बनवाईं। उन्होंने शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत आदि करके उसे 'ग्रांड ट्रंक रोड' नाम दिया।

आजादी के बाद देश में अनेक नई सड़कों का निर्माण किया गया। देश के प्रमुख राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के लिए नई सड़कें बनाई गईं, पुरानी सड़कों में सुधार किया गया और दूर-दराज के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए भी कुछ सड़कें बनाई गईं। साधनों की कमी के कारण ऐसी सड़कें कम बनीं, और वे गुणवत्ता में स्तरीय नहीं थीं।

आज तक केन्द्र सरकार ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण में कभी सीधे दिलचस्पी नहीं ली। उसने केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों को इस कार्य के लिए थोड़ी-बहुत सहायता अवश्य दी किंतु सभी गांवों को अच्छी टिकाऊ सड़कों के जरिए मुख्य मार्गों से जोड़ने की कोई योजना तैयार नहीं की गई।

देश की लगभग 75 प्रतिशत जनता आज भी गांवों में बसती है। सभी मौसमों में परिवहन के लिए उपयुक्त सड़कों के अभाव में एक ओर किसान को अपनी उपज का लाभप्रद मूल्य नहीं मिल पाता और दूसरी ओर उसे अपनी जरूरत का अधिकांश सामान महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। पक्की सड़क के अभाव में गांव वासी गंभीर रूप से बीमार लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा के लिए शहर नहीं ले जा सकते और अच्छी सड़कों के अभाव में कोई डाक्टर आसानी से गांव आने को तैयार नहीं होता। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, कृषि वैज्ञानिक आदि भी गांव जाने को तैयार नहीं होते। अच्छी सड़कों की कमी के कारण कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों को बेमौसम की सब्जी मटर, गाजर, शिमला मिर्च, फल जैसे कि सेब, अनार, आड़ू, खुमानी औने-पौने दामों में बेचनी पड़ती है। दुर्गम स्थानों से ऐसे माल को मंडियों या नगरों तक लाने

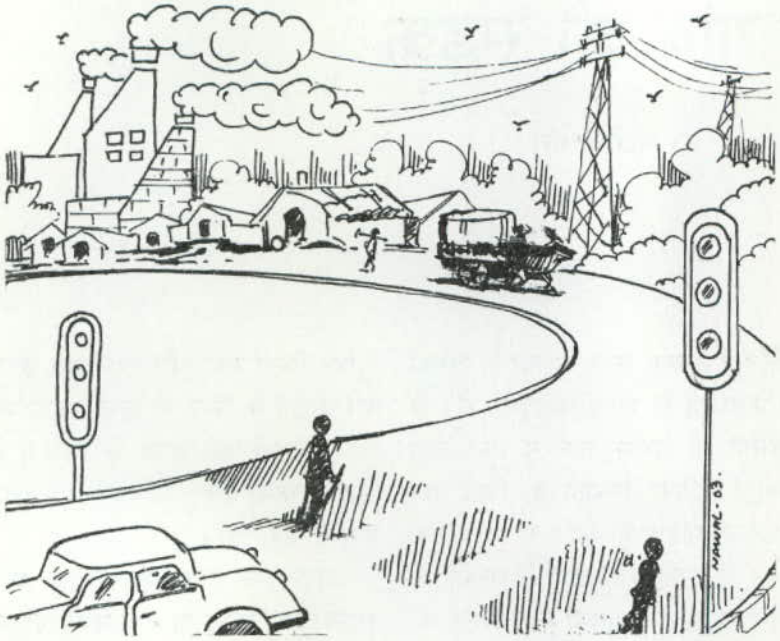

में इतना खर्च आता है कि वह प्रतियोगिता में ठहर नहीं पाता।

सड़कों के अभाव में ग्रामीण और शहरी भारत के बीच जबर्दस्त खाई बढ़ी है। गांव निवासी न तो देश की प्रगति में बराबर के भागीदार बन सकते हैं और न ही विकास के पूरे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गांवो को अच्छी पक्की सड़कों से जोड़ना विकास के लिए अति आवश्यक है। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हुआ है, फिर भी अभी 40 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां के लिए पक्की हर मौसम में चलने योग्य सड़कें नहीं हैं। बरसात के चार महीनों में ऐसे गांवों का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह समाप्त हो जाता है।

इस समस्या के समाधान के लिए प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त, 2000 को सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की घोषणा की थी। दिसम्बर 2001 में इस घोषणा को लागू करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम, 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' शुरू किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अगले पांच वर्षों के दौरान देश के एक लाख 60 हजार गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना है। इस पर 60 हजार करोड़ रुपये खर्च आएगा। यह कार्यक्रम सभी 28 राज्यों और संघ क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है।

कार्यक्रम के पहले चरण में सन 2003 तक यानी इस वर्ष के अन्त तक एक हजार या इससे अधिक आबादी वाले सभी गांवों को पक्की सड़कों द्वारा राजमार्ग से जोड़ दिया जाएगा। कार्यक्रम के दूसरे चरण में, जो सन 2007 तक पूरा होगा, 500 से 999 तक आबादी वाले सभी गांवों को पक्की सड़कों द्वारा जोड़ दिया जाएगा। पर्वतीय, रेगिस्तानी और जनजातीय क्षेत्रों में 250 आबादी वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा।

इन सड़कों का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा। सड़क-निर्माण के लिए प्रत्येक जिले में एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। ये सड़कें कठोर मानकों के अनुसार बनाई जाएगी और सड़क-निर्माण करते समय जल-निकासी की उचित व्यवस्था की जाएगी।

सड़कों का निर्माण सुयोग्य और अनुभवी ठेकेदारों द्वारा कराया जाएगा। उन्हें यह कार्य नौ महीनों के भीतर पूरा करना होगा। उपयुक्त मामलों में यह अवधि तीन महीने बढ़ाई जा सकती है। जो ठेकेदार मानकों के अनुसार निर्धारित समय में काम पूरा नहीं कर सकेंगे, उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। ठेके में मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप निर्धारित राशि के बढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। अत: विवादों की गुंजाइश कम है। हर निर्माण कार्य का तीन चरणों—प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर और अंतिम स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा।

उन्हीं सड़कों का निर्माण कार्य हाथ में लिया जाएगा, जिनके लिए भूमि उपलब्ध है। सड़क-निर्माण के लिए कोई भूमि अधिगृहित नहीं की जाएगी। सड़क-निर्माण में अधिकाधिक स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। सड़क निर्माण के बाद उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी पंचायतों की होगी।

'प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना' एक सपना है। इसे यथार्थरूप प्रदान करने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएंगे। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना के कार्यान्वयन से देश में विकास की गति तेज होगी, गरीबी में कमी आएगी और सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोत्तरी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क-निर्माण न केवल ग्रामीण विकास कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है, यह गरीबी हटाओ कार्यक्रम का भी आवश्यक अंग है।

सरकार ने इस कार्यक्रम की वित्त व्यवस्था

इस योजना के कार्यान्वयन से देश में विकास की गति तेज होगी, गरीबी में कमी आएगी और सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण न केवल ग्रामीण विकास कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि यह गरीबी हटाओ कार्यक्रम का भी आवश्यक अंग है।

के लिए हाईस्पीड डीजल पर लगने वाले शुल्क का 50 प्रतिशत इस कार्यक्रम को देने का निर्णय किया है। सन 2001-02 में इस कार्यक्रम को डीजल पर लगे शुल्क का आधा, यानी 2500 करोड़ रुपये दिए गए। अनुमान है कि अगले वर्षों के दौरान इस राशि में कुछ वृद्धि होगी। तथापि, सरकार को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अच्छी खासी रकम की और व्यवस्था करनी होगी, और सरकार उसके लिए तैयार है।

योजना का मुख्य उद्देश्य नई सड़कों का निर्माण करना है, पुरानी सड़कों की मरम्मत करना नहीं। तथापि, उन सड़कों को भी कार्यक्रम के अंतर्गत लिया जा सकता है जो निर्धारित स्तर और मानकों के अनुरूप नहीं बनी हैं। ऐसी सड़कों को ठीक करते समय निर्धारित जनसंख्या मानकों का ध्यान रखा जाएगा। इन सड़कों को स्तरीय बनाते समय उन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों तक बढ़ाया जाएगा।

हर राज्य और संघ क्षेत्र इस समयबद्ध कार्यक्रम को लागू करने के लिए उपयुक्त एजेंसियों की पहचान करेगा। ये एजेंसियां जिला स्तर पर कार्यक्रम को लागू करेंगी। हर जिले में एक कार्यक्रम कार्यान्वयन यूनिट स्थापित की जाएगी। इस यूनिट में उपलब्ध कर्मचारियों में से या डेप्युटेशन पर कुशल तकनीकी कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। इस कार्य के लिए अलग से कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। कार्यक्रम कार्यान्वयन यूनिट प्रत्येक विकास खंड के लिए 'मास्टर प्लान' तैयार करेगी। उसमें विकास खंड की जनसंख्या, सड़कों की गांव को जोड़ने की क्षमता, नई सड़कों के निर्माण और पुरानी को स्तरीय बनाने के प्स्ताव आदि शामिल होंगे। बाद में इन्हें जिला 'मास्टर प्लान' में मिलाकर इसे 'जिला ग्रामीण सड़क योजना' कहा जाएगा।

राज्य सरकारें जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) के साथ संपर्क रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगी। केंद्र सरकार इन्हीं एजेंसियों को धन जारी करेगी। 'मास्टर प्लान' को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (जिग्राविए) मंजूर करेगी। राज्य स्तर पर इस कार्य के लिए बनी स्थाई समिति इस 'प्लान' की समीक्षा करेगी और उसे मंजूरी देगी। राज्य स्तर पर बनी स्थाई समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सड़क निर्माण के कार्य में कोई बाधाएं-समस्याएं न आएं। केंद्र स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में नियुक्त उच्चस्तरीय समिति राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करने के बाद उन्हें अपनी सिफारिशों के साथ ग्रामीण विकास मंत्री को पेश करेगी।

सड़क निर्माण का कार्य कार्यक्रम कार्यान्वयन यूनिट संपन्न कराएगी। सड़कें ऐसी बनाई जाएंगी कि कम से कम पांच वर्ष तक उनकी मरम्मत न करानी पड़े। सड़क के दोनों और फलदार और अन्य उपयोगी वृक्ष लगाए जाएंगे। सड़क निर्माण के दौरान तीन बार उसके फोटो खींचे जाएंगे। सड़क निर्माण में इस्तेमाल की गई समस्त सामग्री परीक्षित और उच्च कोटि की होगी।

पिछले दो वर्ष के भीतर 8,391 सड़क परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इससे 12,508 गांव मुख्य सड़क से जुड़ गए हैं। इस पर 2700 करोड़ रुपये खर्च आया। इसके अलावा सड़क निर्माण के लिए 7553.28 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की जा चुकी है। लगभग 56,200 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य हाथ में लिया जा चुका है जिससे 37,225 गांवों को लाभ पहुंचेगा। ❑

(स्वतंत्र लेखक।)

(पृष्ठ 12 का शेष)

में देश में मोटरचालित वाहनों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो जाने के बावजूद सड़कों की चौड़ाई तथा सतह की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो सका था। आर्थिक उदारीकरण से भारत में तीव्र गति से चलने वाले तथा सामान्य से दुगुना तक माल ढोने की क्षमता वाले वाहन तो सड़कों पर आ गए लेकिन सड़कों की हालत जस की तस रही। अब सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों को विश्वस्तरीय बनाने का संकल्प किया है जो समग्र सड़क क्रांति की दिशा में एक अच्छा प्रयास है। यह सही है कि सड़कों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसलिए यह कार्य केवल सरकारी संसाधनों से नहीं किया जा सकता। इसमें निजी, कार्पोरेट जगत, घरेलू एवं विदेशों की भागीदारी बढ़ानी होगी। पचास के दशक के उत्तरार्द्ध में भारत के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देने के लिए जो कार्य स्व. पं. जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उसी प्रकार देश की परिवहन व्यवस्था को विकसित कर 8 प्रतिशत वार्षिक की आर्थिक विकास दर प्राप्त करने की पहल प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की है। इससे बिन्दु-से-बिन्दु तक तीव्रगामी परिवहन सुविधा तो विकसित होगी ही, कृषि-उद्योग-व्यापार का भी तेजी से विकास होगा। ❑

(लेखक अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष, राजकीय कालेज, छर्रा, अलीगढ़ (उ.प्र.) में कार्यरत हैं।)

भारतीय उद्योग नई छलांग लगाने की तैयारी में

○ आर.सी. झमटानी

दसवीं पंचवर्षीय योजना विकास रणनीति के लिहाज से पिछली योजनाओं से हटकर है। विकास दर में बढ़ोत्तरी के लिए उद्यमियों की जबर्दस्त क्षमता को बाहर लाकर इसमें जो नई पहल की गई है वह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने का कार्य आगे बढ़े, सारे देश में फैले तथा इसके लाभ दूर-दूर तक स्पष्ट दिखाई दें, दसवीं योजना की कार्यसूची में ये लक्ष्य सबसे प्रमुख स्थान पर हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना विकास-रणनीति की दृष्टि से पिछली योजनाओं से हटकर है। एकदम मौलिक, नई और जोरदार पहल इसकी विशेषताएं हैं। इन उपायों से निश्चय ही उद्यमियों की जबर्दस्त ताकत बाहर आएगी जिससे भारत की आर्थिक विकास दर में भारी बढ़ोत्तरी होगी। जैसे यह योजना हमारी नियोजन प्रक्रिया के पिछले दौर की अविच्छिन्न कड़ी नहीं है, वैसे ही पुराने आंकड़ों पर आधारित इसके विकास-दर अनुमान भी पुराने पड़ चुके हैं। इसलिए योजना में निर्धारित सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत की विकास दर के लक्ष्य के बारे में आलोचकों की राय पढ़ और सुन कर आश्चर्य होता है। इससे यही साबित होता है कि लोग कुल मिलाकर 'अतीत के बंदी' होते हैं और नई उभरती टेक्नोलॉजी तथा घरेलू एवं विदेशी सामाजिक और व्यापारिक वातावरण में बदलावों से प्रभावित नहीं होना चाहते।

उभरता व्यावसायिक माहौल

एक ओर बढ़ती आर्थिक और सामाजिक आकांक्षा तथा दूसरी ओर बाहरी स्थितियों, खासतौर पर विश्व व्यापार संगठन से संबंधित बाजार शक्तियों की वजह से एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी माहौल तेजी से उभर रहा है। लागत और गुणवत्ता की दृष्टि से मूल्य-संवर्धन की मांग बढ़ी है। उपभोक्ता रुचियों और प्राथमिकताओं में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता आ रही है। वातावरणीय प्रभाव की जीवनचक्र-विश्लेषण पर आधारित उपयुक्त औद्योगिक प्रक्रियाएं अपनाने हेतु नियामक दबाव बनाए जा रहे हैं। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो उत्पादकता और कार्यकुशलता में लगातार सुधार की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं।

तुलनात्मक लाभ की परम्परागत अवधारणा को विश्व स्तर पर बाजारों के एकीकरण से लगातार चुनौती मिल रही है। आधुनिक टेक्नोलॉजी, पूंजी संसाधन और बाजार तक विश्व-आधारित पहुंच आज अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिके रहने का महत्वपूर्ण मानदंड बन गया है।

किसी देश की घटक फर्मों की तकनीकी उद्यमिता संबंधी और प्रबंधकीय क्षमताओं का सकल योग तुलनात्मक लाभ है। परिवहन और टेक्नोलॉजी में सुधारों से अब यह संभव हो गया है कि व्यावसायिक प्रक्रियाएं विभाजित की जाएं और निवेशगत और नीतिगत माहौल से प्राप्त स्वाभाविक लागत-लाभ के आधार पर उप-प्रक्रियाएं अन्य देशों में स्थापित की जाएं। वैसे आज कोई भी देश अपने-आपको तेजी से भूमंडलीकृत होते राष्ट्र समुदाय से पूरी तरह अलग नहीं रख सकता। इसलिए एक गतिशील नीतिगत माहौल को खतरा नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इससे अवसरों के नए द्वार खुलते हैं और देश से बाहर समृद्ध बाजारों पर कब्जा करने का शानदार मौका उपलब्ध होता है। अनुमान है कि अगर औद्योगिक देश श्रमप्रधान उत्पादों के संरक्षण को समाप्त करने की अपनी नीति त्याग दें तो विकासशील देश निर्यात से 700 अरब रुपये तक की विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। अगर विकसित देश अपने बाजारों को खोल दें तो

विकासशील देशों की केवल वस्त्र, परिधान और अन्य श्रम-प्रधान उत्पादों से होने वाली आमदनी ही 500 अरब डालर से अधिक हो सकती है।

भारत की क्षमता

भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में एक है जिसका क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर और आबादी करीब एक अरब है। यहां भौगोलिक, सांस्कृतिक, जलवायु संबंधी और प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन-संबंधी ऐसी व्यापक विविधताएं पाई जाती हैं जो दुनिया के विरले देशों में ही देखने को मिलती हैं। संसदीय लोकतंत्र का हमारा लंबा इतिहास विदेशी निवेश के लिए पारदर्शी और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित कराता है। मुक्त और जीवंत प्रेस, स्वतंत्र न्यायपालिका, सुदृढ़ कानूनी एवं लेखांकन प्रणाली तथा व्यापार और प्रशासन की मुख्य भाषा के रूप में अंग्रेजी का उपयोग हमारे देश के व्यावसायिक माहौल की कुछ आकर्षक विशेषताएं हैं। भारत के पूंजी बाजार की समृद्धि का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां 9000 से अधिक कम्पनियां सूचीबद्ध हैं और बाजार पूंजीकरण 2 अरब अमेरिकी डालर से अधिक है। देश की इस सुदृढ़ता का प्रमाण दुनिया की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा यहां अपनी गतिविधियों के विस्तार से लगाया जा सकता है।

फार्चुन-500 कम्पनियों द्वारा भारत में अपनी गतिविधियों का विस्तार

• ए.बी.बी.	• जी.एम.
• फोर्ड	• एच.पी.
• शार्प	• फिएट
• क्यूमिन्स	• एमर्सन इलेक्ट्रिक
• जी.ई.	• टोयोटा
	कोडक

औद्योगिक क्षेत्र की रणनीति

दसवीं योजना में तीव्र औद्योगिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत और समन्वित रणनीति बनाई गई है। निवेश की दृष्टि से आर्थिक सुधारों को और अधिक व्यापक तथा सशक्त बनाए जा रहे हैं ताकि ऐसा अनुकूल माहौल बने जिसमें निजी क्षेत्र न केवल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में बल्कि अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना, संचालन, रख रखाव और औद्योगिक क्षेत्र में भी अपनी क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इस रणनीति की महत्वपूर्ण बातें हैं निजी क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के कारगर नियमों के जरिए निजी क्षेत्र को समान अवसर उपलब्ध कराना, वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना और कार्यकुशलता बढ़ाने के नीतिगत उपाय करना। इन सबको समग्रता में देखने की आवश्यकता है क्योंकि ये आपस में जुड़े हैं।

उभरता बाहरी माहौल

विश्व व्यापार संगठन	क्षेत्रीय व्यापार संगठन
• मुक्त व्यापार	• उत्तर अटलांटिक मुक्त व्यापार संगठन (नाफ्टा)
• शुल्क	• यूरोपीय संघ
• मात्रात्मक प्रतिबंध	• दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन
• विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	
बाजार पहुंच	**पर्यावरण-संगत उत्पादों और प्रक्रियाओं को प्राथमिकता**
• मानक	• पर्यावरण
• मान्यता	• स्वास्थ्य
• प्रमाणन	• सुरक्षा

अनुकूल माहौल

दसवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास रणनीति का झुकाव हमारे जीवन्त क्षेत्र को सक्षम बनाने की ओर है ताकि यह उद्यमिता की अपनी पूर्ण क्षमताओं को प्राप्त कर उत्पादन, रोजगार और आमदनी बढ़ाने में योगदान कर सके। जब तक देश का आर्थिक माहौल निजी क्षेत्र की भागीदारी ऊंचे स्तर तक बढ़ाने के लिए अनुकूल नहीं होता तब तक औद्योगिक विकास में खास प्रगति होने की संभावना बहुत कम है। अतीत में हमने अंतर्मुखी नीतियां अपनाकर जिस तरह का माहौल बनाया हुआ था उससे सीमाशुल्क प्रतिबंधों, कोटा संबंधी पाबंदियों, शुल्क की ऊंची दरों के जरिए संरक्षण जैसे कृत्रिम उपायों से आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिला। अब अंतर्मुखी अर्थव्यवस्था को बहिमुर्खी बनाने की प्रक्रिया सुचारु रूप से चल सके और इसमें किसी तरह का व्यवधान न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए दसवीं योजना में सरकार ने औद्योगिक विकास के रास्ते में वर्तमान पाबंदियों को हटाने और नई पहल को तेज करने के लिए बड़ी सूझ-बूझ से कदम उठाए हैं। इससे शेष विश्व की तरह हमारे देश में भी अनुकूल माहौल बनेगा।

निजी पहल बाजार-संबंधित घटकों तथा उनसे जुड़ी समष्टिगत आर्थिक नीतियों पर निर्भर रहती है। निवेश-अनुकूल माहौल बनाने के लिए आवश्यक है कि आर्थिक सुधारों का पर्याप्त विस्तार किया जाए और उन्हें सशक्त बनाया जाए। केन्द्र, राज्य और पंचायत संस्था जैसे स्थानीय संगठनों के स्तर पर भी ऐसी ही पहल आवश्यक है। दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की कार्यसूची में श्रम संबंधी नीतियों में कठोरता समाप्त करने, जमीन-जायदाद संबंधी कानूनों में सुधार करने, संपत्ति संबंधी अधिकारों की सुरक्षा

और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने, संपत्ति का हस्तांतरण सुनिश्चित करने जैसे कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा जिन कानूनों में सुधार किए जाने हैं वे हैं—दीवालियापन और तालाबंदी संबंधी कानून, सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगाने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधान तथा चुंगी एवं अन्य शुल्क/नियंत्रण संबंधी कानून। सुधारों की कार्यसूची में प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था के अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करने के प्रयासों के तहत विश्व स्तर का भौतिक, वित्तीय और सामाजिक ढांचा तैयार करने, समान अवसर उपलब्ध कराने तथा व्यावसायिक तौर-तरीकों में ईमानदारी लाने के उपायों के साथ-साथ विभिन्न उपक्षेत्रों के बीच कृत्रिम अवरोध दूर करने की जोरदार पहल भी शामिल है। योजना में बाजार-पहुंच संबंधी प्रतिबंधों, डम्पिंग, एक-दूसरे के व्यावसायिक हितों का नुकसान, खासतौर पर विकसित देशों द्वारा इसके लिए अपनाए जाने वाले हथकंडों की ओर भी ध्यान दिया गया है।

विकसित देशों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क विकासशील देशों के विनिर्मित सामान के आयात के अत्यंत प्रतिकूल हैं। इससे विकासशील देशों के लिए निचले स्तर पर प्रसंस्करण संबंधी गतिविधियां संचालित करना और कठिन हो गया है। गैर-शुल्क उपायों, जिसमें एंटी डम्पिंग के मामले, सामाजिक सुरक्षा, तकनीकी मानक और सब्सिडी भी शामिल है, के उपयोग से विकासशील देशों के लिए अवसर कम हुए हैं। परंपरागत प्रणाली दुनिया के तमाम देशों के लिए लाभप्रद हो इसके लिए नए सिरे से संतुलन बनाने के प्रयासों के तहत विकसित देशों के बाजारों तक पहुंच बढ़ानी होगी और विकासशील देशों को आधुनिकीकरण के लिए टेक्नोलॉजी मुहैया करानी होगी ताकि उनकी उत्पादकता तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में वृद्धि हो। दसवीं योजना में बहुपक्षीय वैचारिक विचार-विमर्श से देश की व्यापारिक समझौता-वार्ता क्षमता को सुदृढ़ करने का भी लक्ष्य रखा गया है।

क्षमता-निर्माण

जहां अंतर्मुखी नीतिगत माहौल ने देश में विविधतापूर्ण वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक आधार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं आज इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। हमारे उद्योगों का बड़ा हिस्सा ऐसे कारखानों और संयंत्रों का है जो उचित आकार के नहीं हैं और पुरानी पड़ चुकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय उद्योगों में लगाई जाने वाली पूंजी और श्रम उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है। प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी में सुधार बहुत जरूरी है। दसवीं योजना में उद्योगों के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी उत्पादन टेक्नोलॉजी, प्रक्रियाएं और तौर-तरीके अपनाने पर जोर दिया गया है।

इस समय भारत के निर्यात में कच्चा माल और निम्नस्तरीय टेक्नोलॉजी के उपयोग से बनने वाला सामान शामिल रहता है। निर्यात किए जाने वाले विनिर्मित सामान का 80 प्रतिशत इसी तरह की वस्तुओं का होता है। इसके विपरीत 1985 से 1996 के दौरान ऐसे सामान का विश्वस्तरीय औसत 43 से 35 प्रतिशत के बीच था। उच्च टेक्नोलॉजी-आधारित वस्तुओं का निर्यात बहुत मामूली रहा। 1985 से 1996 की अवधि के दौरान जहां इस तरह की वस्तुओं के निर्यात व्यापार के विश्व औसत में 7.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई वहीं भारत के निर्यात में केवल 1.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। निर्यात किए जाने वाले कुल विनिर्मित सामान में उच्च टेक्नोलॉजी-आधारित वस्तुओं का निर्यात चीन के मुकाबले पांच गुना कम और दक्षिण कोरिया तथा ताइवान के मुकाबले दस गुना कम रहा। इसलिए आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी में सुधार से हमारे निर्यात में विविधता आएगी और मूल्यसंवर्धन होगा जिससे निर्यात व्यापार में अधिक लचीलापन आएगा।

विश्वस्तरीय ढांचा

देश का बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं है बुनियादी ढांचे के मालिकाना नियंत्रण और प्रबंधन पर निजी क्षेत्र का एकाधिकार इस तरह से रखा गया है कि बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को

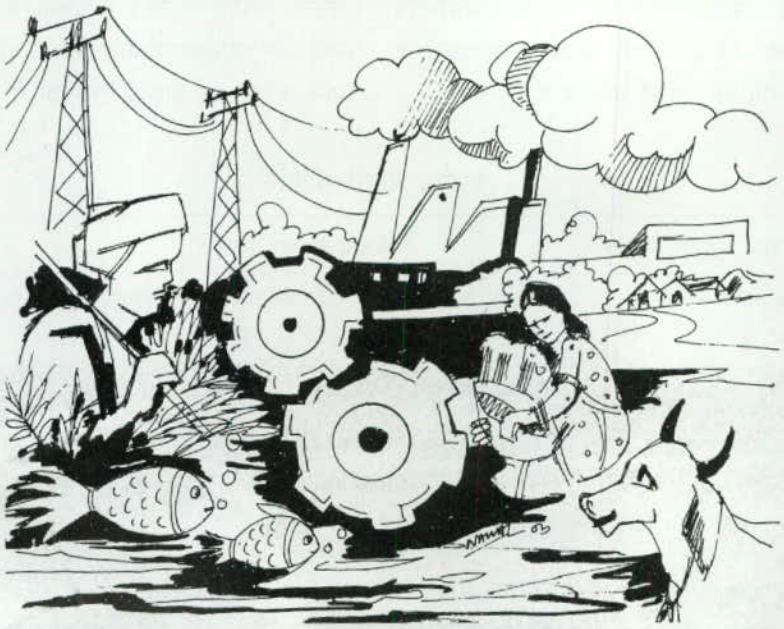

बढ़ावा मिले जिससे निजी क्षेत्र के संसाधनों में बढ़ोत्तरी हो और उसकी उत्पादक कार्यकुशलता का लाभ सभी सबद्ध लाभार्थियों, सेवाओं का उपयोग करने वालों, सेवा उपलब्ध कराने वालों और सरकार को मिले। हालांकि समूचे बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और दायरे में बढ़ोत्तरी के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन निजी पहल को बढ़ावा देने का नीतिगत-ढांचा पूरी तरह जगह नहीं बना सका है। बहरहाल, यह कार्य बहुत बड़ा है और अकेले सार्वजनिक क्षेत्र इसे पूरा नहीं कर सकता। इस क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता के बिना औद्योगिक विकास को वांछित गति से बढ़ाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ राज्यों ने जिनमें महाराष्ट्र और आंध्र-प्रदेश प्रमुख हैं, अत्याधुनिक आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए नए तरीके के मॉडल बनाए हैं। हाल के निवेशक सर्वेक्षण में इन राज्यों में निवेश संबंधी माहौल को ही अधिक महत्व नहीं दिया गया है बल्कि इन राज्यों में निवेश प्रवाह, खासतौर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह भी बढ़ा है। हालांकि ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो सभी स्थितियों में उपयुक्त बैठे, लेकिन जिस तेजी से अन्य राज्यों, खासतौर पर पूर्वोत्तर के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों ने इस तरह की पहल की है, उसकी सफलता से देश में औद्योगिक विकास की रफ्तार तय होगी। जहां तक कार्यकुशलता बढ़ाने तथा संसाधन उत्पन्न करने में मदद का सवाल है, दसवीं योजना में बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बहुत ही भिन्न नीतिगत परिदृश्य बताया गया है। केन्द्र और राज्य दोनों ही के मंत्रालयों/विभागों के लिए सुधार से जुड़े प्रोत्साहन इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है।

संसाधन-आधार में बढ़ोत्तरी

10 प्रतिशत वार्षिक की औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश-योग्य संसाधन जुटाने के बड़े प्रयास करने होंगे। संसाधन-आधार बढ़ाने के लिए मोर्चों पर कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के अनुत्पादक उपक्रमों में हो रहे नुकसान को रोकने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी और इसके रास्ते में आने वाली तमाम बाधाओं को हटाना होगा।

साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर संसाधन प्राप्त करने की भी योजना है।

देश का बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं है। बुनियादी ढांचे के मालिकाना नियंत्रण और प्रबंधन पर निजी क्षेत्र का एकाधिकार इस तरह से रखा गया है कि बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिले निजी क्षेत्र के संसाधनों में बढ़ोत्तरी हो और उसकी उत्पादक कार्यकुशलता का लाभ सभी सबद्ध लाभार्थियों, सेवाओं का उपयोग करने वालों, सेवा उपलब्ध कराने वालों और सरकार को मिले।

इसके लिए सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश करना होगा ताकि संसाधन प्राप्त हो सकें और उन्हें अधिक कुशल प्रबंधन के लिए हस्तांतरित किया जा सके। विनिवेश की सुस्त रफ्तार को ध्यान में रखते हुए संक्रमण काल से गुजर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन के मुद्दे पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

सब्सिडी के बोझ को भी कम करने की आवश्यकता है। उर्वरक क्षेत्र और सार्वजनिक वितरण-प्रणाली को संयुक्त रूप से 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी प्राप्त हो रही है। निहित स्वार्थ वाले जो लोग इसे जारी रखने के पक्ष में हैं उनसे निपटने के लिए सशक्त कदम उठाने के साथ-साथ कारगर मूल्य-नीति बनानी भी आवश्यक है।

अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए योजना में भारतीय घरेलू क्षेत्र की व्यापक बचत क्षमता का उपयोग करने और इस राशि को कुशल वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से उद्योगों को हस्तांतरित करने की योजना में स्वस्थ भारतीय पूंजी और वित्तीय बाजार-विकास की बात कही गई है। संसाधन-आधार बढ़ाने के लिए निवेशकों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। वित्तीय क्षेत्र में हाल में जो घोटाले हुए हैं उनसे इस तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए गठित नियामक संस्थाओं की ओर से पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता उजागर हो गई है। कार्पोरेट प्रशासन में तब तक सुधार नहीं किया जा सकता जब तक आर्थिक व्यवहार के विश्वसनीय और पारदर्शी नियम न बनें और उन पर औद्योगिक संगठन अमल न करें।

विदेशी निवेश (पोर्टफोलियो निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) के मुद्दे पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश न केवल एक अतिरिक्त वित्तीय साधन है बल्कि इससे देश में जो टेक्नोलॉजी आती है और विदेशी बाजारों तक पहुंच बनती है, उसका उत्पादकता और गुणवत्ता की दृष्टि से बड़ा महत्व है।

कार्यकुशलता वृद्धि

दसवीं योजना में कार्यकुशलता बढ़ाने संबंधी नीतियों जैसे बाजार शक्तियों को मुक्त रूप से कार्य करने की छूट दे दी जाएगी। जब तक नीतिगत कारणों से ऐसा करना आवश्यक न हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

के माध्यम से खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं के दाम कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समानता को ध्यान में रखकर तय की जाएंगी। गैर व्यापारिक वस्तुओं की कीमतें उनकी संसाधन लागत पर आधारित होंगी। आधारभूत ढांचे से संबंधित सेवाओं, बिजली, नगरपालिका सेवाओं जैसे क्षेत्रों में लागत का निर्धारण दीर्घावधि सीमांत उत्पादन लागत के आधार पर होगा। प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और निर्देश एवं नियंत्रण नीति का स्थान बाजार आधारित उपाय और अप्रत्यक्ष नीतियां ले लेंगी। दसवीं योजना की नीति के प्रत्येक बिंदु को कार्यरूप देने की तैयारी कर ली गई है।

अप्रत्यक्ष करों का युक्तिकरण

शुल्कों की बदलती दरों वाले बहुस्तरीय ढांचे का उद्योगों पर उसी तरह से प्रभाव पड़ता है जिस तरह ऊपर से गिरने वाला पानी रिसकर नीचे तक पहुंचता है। इससे उप-क्षेत्रों में कमियां भी बढ़ती हैं। इस कमजोरी का फायदा उठाना एक पूर्णकालिक कार्य होता जा रहा है जिससे उद्योग कमजोर पड़ रहे हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि उपभोक्ता के लिए उपयोगिता बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। दसवीं योजना में इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने के प्रयास किए गए हैं। इसके लिए विकास पर आधारित वित्तीय प्रणाली के विकास की योजना बनाई गई है ताकि कर ढांचा एकसमान बने और उसमें कर्ज संबंधी पूर्वानुमान लगाने की क्षमता बढ़े। इससे उद्योगों का समन्वित विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा।

बौद्धिक संपदा अधिकार

भारत व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों की संधि पर हस्ताक्षर कर चुका है। देश में उपयुक्त पेटेंट प्रणाली कायम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इससे बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उम्मीद की जा सकती है।

मानक, मान्यता और प्रमाणन

विकासशील देशों के उपक्रमों को नई उत्पादन और व्यापार व्यवस्थाओं से बाहर रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसका संबंध कई ढांचागत बाधाओं और आपूर्ति के क्षेत्र की अड़चनों से है।

उत्पादक क्षमता के स्थापित हो जाने के बावजूद विदेशी बाजारों तक पहुंच बनाने में समस्याएं आती हैं क्योंकि उत्पादों को आयात करने वाले बाजार द्वारा निर्धारित अनेक तकनीकी मानदंडों, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। व्यापार में तकनीकी बाधाओं संबंधी समझौते में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि तकनीकी कायदे-कानून और मानदंड व्यापार में अनावश्यक बाधा न बनें। लेकिन इसके लिए देशों को मानदंड बनाने की प्रक्रिया में पूरी तरह सहभागी होना पड़ेगा। इसके लिए उनके पास पूरी तरह से विकसित आधारभूत ढांचा और प्रमाणन प्रणाली, माप-तौल व्यवस्था, तकनीकी सहायता, मान्यता प्रदान करने वाली प्रणाली और उद्योगों को सूचना सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था होना जरूरी है।

दसवीं योजना में जिस विशेष क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है वह है गुणवत्ता नियंत्रण। इसके अंतर्गत मान्यताप्राप्त व्यावसायिक एजेंसियां प्रमाण-पत्र जारी कर सकेंगी। इसके लिए संस्थागत संबंध बनाने की भी आवश्यकता पड़ेगी और जानकारी, कौशल तथा तकनीकों का हस्तांतरण करना आवश्यक होगा।

उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार उद्योगों को ढालने के लिए भारतीय उद्योगों को अपने बाजार में बदलती रुचिओं और प्राथमिकताओं के प्रति जागरूक बनना होगा। बदलते फैशन के साथ-साथ गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में सावधान होना भी जरूरी है। कपड़ा और परिधान उद्योग में पर्यावरण सुरक्षा संबंधी इकोलेबल या इसी तरह की कोई अन्य शर्त लगाने से कई विकासशील देशों के कपड़ा उद्योग पर असर पड़ सकता है।

इस तरह की स्थिति से बचने के लिए दसवीं योजना में जिस विशेष क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है वह है गुणवत्ता नियंत्रण। इसके अंतर्गत मान्यताप्राप्त व्यावसायिक एजेंसियां प्रमाण-पत्र जारी कर सकेंगी। इसके लिए संस्थागत संबंध बनाने की भी आवश्यकता पड़ेगी और जानकारी, कौशल तथा तकनीकों का हस्तांतरण करना होगा। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ हम तभी तालमेल कायम करने की उम्मीद कर सकते हैं जब हम अपने गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार ढालने में सक्षम होंगे। मानदंडों में तालमेल बिठाने के मुद्दे पर बहुविषयक मंच में गंभीरता से विचार किया जाएगा जिसमें अर्थशास्त्री, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, विषयविज्ञानी और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ शामिल होंगे।

विनिवेश

दसवीं योजना में सरकार गैर-जरूरी सामान और सेवाओं के उत्पादक के रूप में अपने-आप को उत्पादन गतिविधियों से अलग कर लेगी। घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों के बंद होने तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के तेजी से विनिवेश से जो अनुत्पादक संपत्तियां मुक्त होंगी उन्हें उच्च

प्राथमिकता वाले अधिक कार्यकुशल क्षेत्रों में नियोजित किया जाएगा जहां उनसे आर्थिक विकास में योगदान मिलने की संभावना है।

योजना के लिए संसाधनों की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक त्यागपत्र योजना और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की जाएंगी। इसके लिए सार्वजनिक उपक्रम वाणिज्यिक ऋण लेंगे। उम्मीद है कि जब इन उपक्रमों की वित्तीय स्थिति सुधर जाएगी तो वे इन ऋणों को चुकता कर सकेंगे। पर्यटन क्षेत्र में जिन सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश किया जा रहा है उन्होंने विनिवेश से मिलने वाली राशि को स्वैच्छिक त्यागपत्र योजना/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए रख दिया है। वस्त्र क्षेत्र में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मुंबई के मध्य स्थित मिलों के बंद होने के विवादास्पद मुद्दे से निपटने के लिए एक नया तरीका खोजा गया है। इन रुग्ण मिलों में फंसी भारी संपत्ति के बंटवारे के लिए महाराष्ट्र सरकार और स्थानीय निकाय के साथ परामर्श करके एक स्वीकार्य फार्मूला तैयार किया गया है। इसी तरह के सफल मॉडलों को अन्य स्थानों पर भी अपनाने का प्रयास किया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र

छह बीमा कंपनियों और दो वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर देश में केंद्र के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की 250 इकाइयां हैं। इनमें करीब 2,75,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। ऐसे में जिन उपक्रमों के विनिवेश में अधिक समय लग सकता है उनके प्रबंधन का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सार्वजनिक उपक्रमों को नई प्रबंधन संस्कृति के तहत लाने की योजना है। इस नई संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं : संशोधित समझौते का ज्ञापन, विश्वस्तरीय आकलन, जवाबदेही, नवरत्न कंपनियों की तरह स्वत: सूचीकरण/विसूचीकरण तथा अलग-अलग कंपनियों के लिए उन्हें चालू रखने के उपायों का खाका तैयार करना। राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों में भी काफी पैसा निवेश हुआ है। दसवीं योजना में उन सार्वजनिक उपक्रमों के हस्तांतरण का प्रस्ताव है जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है और जिन्हें अधिक कार्यकुशल प्रबंधन प्रणाली अपनाकर फिर से चालू किया जा सकता है।

विदेशी निवेश

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में किसी तरह का ऋण नहीं लिया जाता और ये स्थायी भी नहीं होते। इनसे होने वाला मुनाफा इस निवेश से खड़ी की जाने वाली परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन पर निर्भर करता है। इस कारण अन्य किस्म के विदेशी वित्त के मुकाबले इन्हें अधिक प्राथमिकता दी जाती है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा ज्ञान, कौशल और टेक्नोलॉजी के स्थानांतरण में भी आसानी होती है। भारतीय संदर्भ में तो यह उत्प्रेरक भूमिका अपने-आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 1993-97 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सकल आवधिक पूंजी निर्माण के 1 प्रतिशत और 4 प्रतिशत के बराबर रहा था। पूंजी निर्माण कुल मिलाकर दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं तक सीमित रहा। अन्य देशों, खासतौर पर चीन की तुलना में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आमंत्रित करने में भारत का कार्यनिष्पादन निराशाजनक रहा है। उम्मीद की जाती है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी समिति की सिफारिशों को लागू करने से स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

पूंजी उत्पादन अनुपात में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति और घरेलू बचत के अनुमानित स्तर के मद्देनजर सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 8 प्रतिशत रखने के लक्ष्य से संकेत मिलता है कि चालू खाते के घाटे में 2.2 प्रतिशत की बचत होने की संभावना है। इस अंतर को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से भरा जा सकता है। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश और विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने के नए प्रयासों से दसवीं पंचवर्षीय योजना में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह 4.3 अरब डालर के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 7.5 अरब डालर वार्षिक के स्तर पर पहुंच जाने की संभावना है।

क्षेत्रवार वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लक्ष्य

क्रम संख्या	क्षेत्र	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य (अरब डालर में)
1.	दूरसंचार	1.2
2.	बिजली	1.0
3.	वित्तीय सेवाएं	0.8
4.	तरल प्राकृतिक गैस और तेल खोज	0.6
5.	साफ्टवेयर और आई टी संबंधी सेवाएं	0.5
6.	खाद्य और पेय पदार्थ	0.4
7.	परिवहन	0.3
8.	वस्त्र	0.3
9.	बंदरगाह	0.3
10.	रसायन और पेट्रो रसायन	0.2
11.	होटल और पर्यटन	0.2
12.	अन्य	1.6

एंटी-डम्पिंग व्यापार प्रतिबंधों का मूल औजार बनने जा रहा है। इस कारण विकासशील देशों में कई छोटे और मंझोले उद्यम अपने हितों की रक्षा करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। इसका कारण यह है कि नई प्रणाली में बड़ी जटिलताएं हैं और जांच-पड़ताल की कार्रवाई का पालन करने में बहुत लागत आती है। उदाहरण के लिए कनाडा और अमेरिका में निर्यातकों द्वारा 500,000 डालर से अधिक की लागत उठाना कोई असामान्य बात नहीं है। परिणामस्वरूप निर्यात करने वाली छोटी फर्में इस स्थिति में नहीं होतीं कि वे उन प्रक्रियाओं और अधिकारों का वास्तव में लाभ उठा सकें जो उनके लिए सिद्धांत: उपलब्ध हैं।

आधारभूत ढांचा

औद्योगिक विकास के लिए एक कार्यकुशल भौतिक आधारभूत ढांचा पूर्व शर्त है। दसवीं योजना में इस क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए नई पहल करने का प्रस्ताव किया गया है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी से संसाधन जुटाने के अभिनव मॉडल विकसित किए हैं। इन उपायों की एक विशेषता यह है कि इसमें विशेष उद्देश्यों के लिए खास तरीके विकसित किए गए हैं जिसमें उद्योगों को विशेष भूमिका निभानी है। इसी से आधारभूत ढांचे को उपयोक्ताओं द्वारा स्वयं संचालित करने योग्य बनाया जा सकेगा। इस प्रोत्साहन से यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि जिन परिसंपत्तियों को जुटाया गया है वे टिकाऊ हों। यह एक ऐसी बात है जो पिछली योजनाओं में नहीं थी।

कार्यक्रम संबंधी नई पहल

दसवीं योजना में निम्नलिखित नई पहल की गई है :

- परिधान पार्क
- वस्त्र क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन निधि योजना
- निर्यात के आधारभूत ढांचे के विकास और इससे संबद्ध गतिविधियों के लिए राज्यों को सहायता
- बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए पहल
- स्वचालन उद्योग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास
- औद्योगिक बस्ती अनुसंधान और विकास सहायता कोष
- कृषि निर्यात क्षेत्र
- चमड़ा उद्योग विकास कार्यक्रम

योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि विश्व अर्थव्यवस्था में कितना सुधार होता है, विकासशील देश तकनीकी और शुल्क संबंधी प्रतिबंधों से प्रभावित हुए बिना विकसित देशों के बाजारों तक अपनी पहुंच किस सीमा तक बना पाते हैं, विकसित देशों से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का विकासशील देशों को प्राथमिकता के आधार पर हस्तांतरण होता है या नहीं और एक समान अवसर एवं सही तौर-तरीकों के बारे में नियमों का कड़ाई से पालन होता है या नहीं। अगले दशक में भारतीय उद्योगों की प्रगति इन सब बातों के अलावा इस बात पर निर्भर रहेगी कि सरकार जमीनी स्तर पर विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे की सुविधा वाला सही अर्थों में प्रतिस्पर्धा, बाधारहित और निवेशकों को आकृष्ट करने वाला नीतिगत माहौल बना पाती हैं या नहीं। अगर ये शर्तें पूरी हो जाती हैं तो अगले दशक में प्रति व्यक्ति आमदनी को दुगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा विनिर्माण क्षेत्र बड़ा ही विविधतापूर्ण और उत्पादक हैं। अगर समग्र दृष्टि से विचार करें तो कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दौर से गुजर रही है उसे दीर्घावधि तेजी का दौर कहा जा सकता है। 1970 के दशक में हमारी विकास दर बहुत कम रही और हमने 3.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विकास किया। 1980 के दशक में हमने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया की दिशा में धीरे-धीरे कदम बढ़ाने शुरू किए। 1990 के दशक में सुधार की रफ्तार तेज हुई। पहली सीढ़ी के आर्थिक सुधारों के बाद आठवीं योजना अवधि में हम सकल घरेलू उतपद में विकास की दर को 7 प्रतिशत के बहुत पास पहुंचाने में सफल रहें।

यह बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1990 के दशक में सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था वाले दुनिया के दस देशों में शामिल होने के बावजूद भारत की पहचान इस रूप में ठीक तरह से नहीं की गई। औद्योगीकृत देशों में वास्तविक ब्याज दरों की स्थिति को देखते हुए हमें केवल सावधानी से एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। तभी हम आने वाले समृद्धि के दौर का फायदा उठा सकेंगे।

आज जब हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था से प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं तो कम से कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तो राज्य को नियामक और निगरानी करने वाले के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी ही होगी। ये क्षेत्र हैं—रासायनिक दवाएं और औषधियां, बायोटेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम एवं खनिज, जनोपयोगी तथा अन्य भौतिक आधारभूत ढांचा। इन क्षेत्रों में राज्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।

जब हम भविष्य के बारे मे सोचते हैं तो एक अधूरी कार्यसूची हमारे सामने होती है। इस कार्यसूची के शीर्ष में यह सुनिश्चित करने का कार्य है कि दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार रफ्तार पकड़ें, इनका असर पूरे देश में फैले और इनका लाभ चारों ओर पहुंच कर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इससे ऐसी सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होगी जो अपने-आप को स्वयं सुदृढ़ कर सकेगी और इससे देश में विकास की गति और आर्थिक विकास जोर पकड़ेगा। ❑

(श्री आर. सी. झमटानी योजना आयोग, नई दिल्ली में सलाहकार हैं।)

प्रतियोगिता साहित्य *पढ़ो वही जो है सही*

सामान्य अध्ययन 2003

प्रमुख आकर्षण • विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम् घटनाओं से सम्बन्धित प्रामाणिक तथा अद्यतन जानकारी एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल सहित • भारत में सामाजिक प्रासंगिकता के महत्वपूर्ण विषयों (जैसे, जनसांख्यिकिक एवं मानव संसाधन, समाज कल्याण तथा उनसे सम्बन्धित समस्याएं, मानव अधिकार, शिक्षा, साम्प्रदायिक सद्भाव, आन्तरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संरक्षण आदि) से सम्बन्धित अद्यतन सामग्री • 12वें वित्त आयोग का परिचय • विगत 5 वर्षों (1998 से 2002 तक) के परीक्षा प्रश्न–पत्र व्याख्यात्मक हल सहित • मानचित्र आधारित प्रश्न, कथन एवं कारण सम्बन्धी प्रश्न • 5 आदर्श प्रश्न–पत्र व्याख्यात्मक हल सहित • विषय–विशेषज्ञ एवं प्रतिष्ठित लेखकों द्वारा सरल तथा रोचक भाषा–शैली में सारगर्भित पाठ्य–सामग्री।

विषय सूची • सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा तैयारी हेतु मार्गदर्शन • वर्ष 1998 से 2002 तक के परीक्षा प्रश्न–पत्र हल सहित • सामान्य विज्ञान • इतिहास (विश्व एवं भारतीय इतिहास) • भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन • भारतीय राजव्यवस्था • विश्व एवं भारत का भूगोल • भारतीय अर्थव्यवस्था • सामान्य मानसिक योग्यता • खेलकूद • प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान (राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय) • सामान्य ज्ञान • भारत की सामाजिक व्यवस्था • समसामयिकी (राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं) • कौन, क्या, कहां? • 5 प्रतिदर्श प्रश्न–पत्र हल सहित।

Rs. 665/-

संघ/राज्य लोक सेवा आयोग (प्रा.) परीक्षा वैकल्पिक प्रश्न-पत्र हेतु

इतिहास/डॉ. ए. के. मित्तल	300/-	इतिहास प्रेक्टिस वर्कबुक	80/-	राजनीति विज्ञान/डॉ. फड़िया	240/-
लोक प्रशासन/डॉ. बी. एल. फड़िया	280/-	लोक प्रशासन प्रेक्टिस वर्कबुक	120/-	अर्थशास्त्र/डॉ. अनुपम अग्रवाल	200/-
समाजशास्त्र/प्रो. गुप्ता एवं शर्मा	280/-	समाजशास्त्र प्रेक्टिस वर्कबुक	60/-	विधि/पवन बड़ाया	200/-
भूगोल/प्रो. दीपक माहेश्वरी	300/-	दर्शनशास्त्र/डॉ. एस. सी. मिश्रा	260/-	पाश्चात्य दर्शन	50/-
नीतिशास्त्र : भारतीय एवं पाश्चात्य	80/-	तर्कशक्ति	90/-	भारतीय दर्शन	80/-
वाणिज्य/डॉ. पुरोहित, तातेड़ एवं शाह	200/-	वस्तुनिष्ठ अंकगणित	175/-	PUBLIC ADMINISTRATION/Dr. B.L.Fadia	350/-

...एक अध्ययन

उत्तर प्रदेश ... एक अध्ययन	50/-	उत्तरांचल ... एक अध्ययन	30/-	मध्य प्रदेश ... एक अध्ययन	50/-
छत्तीसगढ़ ... एक अध्ययन	50/-	बिहार ... एक अध्ययन	35/-	झारखण्ड ... एक अध्ययन	30/-
राजस्थान ... एक अध्ययन	80/-	दिल्ली ... एक अध्ययन	25/-	कृषि ... एक अध्ययन	80/-

अन्य उपयोगी पुस्तकें

ऐतिहासिक मानचित्रावली	50/-	सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति परीक्षण	100/-	सामान्य बुद्धि परीक्षण	60/-
भारत का संविधान	100/-	भारत का संविधान	30/-	सामान्य ज्ञान	280/-
संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन	35/-	INDIAN POLITY	100/-	सामान्य ज्ञान	75/-
OBJECTIVE ENGLISH	70/-	वस्तुनिष्ठ हिन्दी	70/-	सामयिक हिन्दी निबन्ध एवं पत्र लेखन	50/-
CURRENT ESSAYS & LETTER WRITING	40/-	भारतीय कला एवं संस्कृति	65/-	वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान	40/-

यू.जी.सी. नेट/स्लेट/जे.आर.एफ.

शिक्षक अभिरुचि एवं शोध	120/-	हिन्दी/डॉ. अशोक तिवारी	320/-	संस्कृत/डॉ. एम. एल. अग्रवाल	240/-
इतिहास/डॉ. एम. एल. गुप्ता	160/-	राजनीति विज्ञान/डॉ. फड़िया	140/-	राजनीति विज्ञान/डॉ. फड़िया	320/-
समाजशास्त्र/गुप्ता एवं शर्मा	240/-	अर्थशास्त्र/डॉ. जे. पी. मिश्रा	170/-		

Please send me a catalogue of books for Competitive Examination Yojana Feb02

Name ..... Address .....

City ..... Pin ..... Distt. ..... State .....

I am preparing for ..... Examination.

Prices are subject to change without notice

प्रतियोगिता साहित्य

HOSPITAL ROAD, AGRA 282 003 Phone 215 1665 Fax 0562 - 215 1568

सफलता का स्मार्ट तरीका

आधारभूत सुविधाओं से राजस्थान में शहरों का कायाकल्प

○ पी.आर. त्रिवेदी

आधारभूत सुविधाएं प्रदेश की शहरी आबादी की ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं होती है जो रोजगार की तलाश में ग्रामीण आबादी के शहरों की ओर पलायन से अप्रत्याशित रूप से असन्तुलित होते शहरों में बड़े संकट का रूप धारण कर लेती हैं। राजस्थान में इस संकट से निजात पाने के लिए छह सम्भाग मुख्यालयों पर नागरिक सुविधाओं के विस्तार, स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण और उनकी क्षमता वृद्धि के लिए 1529 करोड़ रुपये की 'राजस्थान शहरी आधारभूत सुविधा विकास परियोजना' शुरू की गई है।

'आधारभूत सुविधाएं' प्रदेश की शहरी आबादी की ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं होती है जो रोजगार की तलाश में ग्रामीण आबादी के शहरों की ओर पलायन से अप्रत्याशित रूप से असन्तुलित होते शहरों में बड़े संकट का रूप धारण कर लेती हैं। इनके अभाव में शहरी सामाजिक ढांचा चरमराने लगता है तथा सरकार के सभी विकास कार्यों पर पानी फिर जाता है। इस संकट से राजस्थान में निजात पाने के लिए छह सम्भाग मुख्यालयों पर नागरिक सुविधाओं के विस्तार, स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण और उनकी क्षमता में वृद्धि के लिए 1529 करोड़ रुपये की 'राजस्थान शहरी आधारभूत सुविधा विकास परियोजना' शुरू की गई।

परियोजना की आवश्यकता

शहरों में गांवों की तुलना में अधिक विकास एवं प्रगति होती है तथा रोजगार के साधन भी अधिक होते हैं— यह सार्वभौमिक सत्य है। फिर भी इस परियोजना के गांवों की बजाय शहरों में केंद्रित होने के कई कारण हैं। सर्वप्रथम तो रोजगार की तलाश में गांवों की आबादी का शहरों की ओर बेतहाशा पलायन होता है जिसकी वजह से शहरी संसाधन एवं आबादी का अनुपात गड़बड़ा जाता है। दूसरे, शहरी सुविधाएं अपर्याप्त होती हैं। सीवर लाईन पूर्ण रूप से प्रदेश के किसी भी शहर में नहीं डाली गई तथा केवल 6-7 शहरों में ही इसकी आंशिक स्थापना है। सीवरेज उपचार संयंत्र तो केवल जयपुर शहर में अवस्थित है जो मात्र 15 प्रतिशत आबादी तक सीमित है। प्रदेश में सीवरेज व्यवस्था के अभाव के कारण बेतहाशा गन्दा पानी यत्र-तत्र फैल कर न केवल जल स्रोतों को प्रदूषित करता है बल्कि बीमारियां भी फैलाता है।

उल्लेखनीय है कि सीवरेज योजना के अभाव में शहरों के घरों में निजी तौर पर 'सोकपिट' बनाए जाते हैं जिसकी कुल लागत सीवर योजना से कई गुना अधिक बैठती है। शहरों के लिए ठोस कचरा प्रबन्धन तथा चिकित्सकीय अपशिष्ट निस्तारण भी एक विकट समस्या है। शहरी पेयजल आपूर्ति, सड़कें, विद्युत आपूर्ति, पुल निर्माण, आवास, चिकित्सा, यातायात की आवश्यकताओं की मांग भी हमेशा मुंह बाए खड़ी रहती है। वर्षा की एकीकृत जल निकासी भी शहरों की एक विकट समस्या है तथा अनियंत्रित आबादी-विस्तार ने भी इस समस्या को कई गुना बढ़ाया है। प्रदेश के किसी भी शहर का विस्तृत नक्शा नहीं है जिससे वहां की विकास योजनाएं बनाने में कठिनाई आती है। अत: आधारभूत सुविधाओं के अभाव के मद्देनजर इस योजना को शहरों में लागू किए जाने का निर्णय लिया गया।

विकास कार्यों का चिह्निकरण

एशियन विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित इस योजना के लिए बैंक द्वारा नियुक्त सलाहकारों ने 'फीजिबिलिटी रिपोर्ट' संबंधित विभागों से विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात तैयार की। तत्पश्चात वर्ष 2000 में प्रदेश के प्रत्येक शहर से संबंधित विभागीय प्रतिनिधियों एवं जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में परियोजना के लिए प्रस्तावित विकास कार्यों की सूची को अंतिम रूप दिया गया तथा

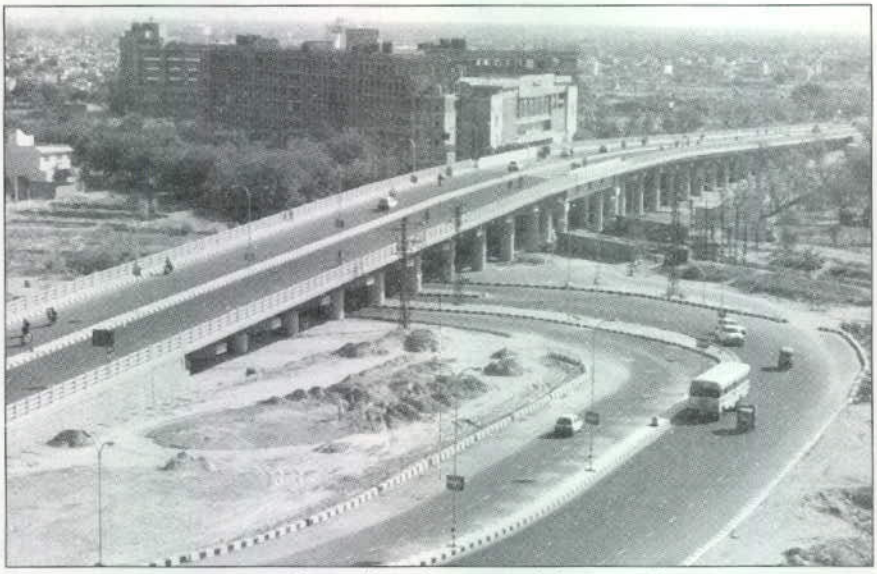

आधारभूत संरचना विकास योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का दृश्य

वर्ष 2001 में उनके साथ पुनः प्रस्तावित विकास कार्यों की सूची का आदिनांक किया गया। सलाहकारों ने इन विकास कार्यों से संबंधित सर्वेक्षण करवा कर उनके उचित पाए जाने पर ही संबंधित शहर स्तरीय समिति तथा प्रदेश की उच्चाधिकार प्राप्त समिति से स्वीकृति प्राप्ति के पश्चात ही विकास कार्य कराने का निर्णय लिया।

परियोजना के कार्य

शहरी विकास के लिए जलप्रदाय योजनाओं के पुनर्वसन एवं क्षमता में अभिवृद्धि, शहरों की पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार, कच्ची बस्ती विकास, शहरी परिवहन एवं यातायात व्यवस्था में सुधार तथा स्थानीय निकायों एवं अन्य शहरी संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि एवं सामुदायिक भागीदारी के कार्यों को जन अपेक्षा के अनुरूप प्राथमिकता से करवाया जाना है। अन्य प्रस्तावित कार्यों में परियोजना द्वारा स्थानीय निकायों का सुदृढ़ीकरण एवं उनकी क्षमता में अभिवृद्धि प्रस्तावित है। इसी प्रकार निकायों की आय में वृद्धि के लिए राजस्व बढ़ोत्तरी के लिए बनाई गई कार्ययोजना को लागू करना तथा कर्मिकों की दक्षता में अभिवृद्धि भी इसमें शामिल है।

सम्भाग मुख्यालयों के विस्तृत नक्शे तैयार करने के लिए हैदराबाद स्थित 'नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी' की सेवाएं ली गई हैं। इस क्रम में हवाई सर्वेक्षण तो पूर्ण भी हो चुका है तथा अधिकांश नक्शे भी तैयार किए जा चुके हैं। साथ ही परियोजना के मुख्य सलाहकार में लुईस बर्जर इंटरनेशनल सहित अन्य सलाहकार फर्मों द्वारा राज्य में किए जाने वाले विकास कार्यों के सर्वेक्षण, डिजाइन एवं पर्यवेक्षण का कार्य भी प्रगति पर है। निर्माण में एक करोड़ रुपये से कम राशि के कार्य स्थानीय ठेकेदार द्वारा संपूर्ण करवाए जाने की स्वीकृति ए.डी.बी. से प्राप्त की जा चुकी है तथा 18 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित कराकर कई कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं।

गौरतलब है कि एक से 25 करोड़ रुपये तक के विकास कार्य 'लोकल कांपीटिटिव बिडिंग' प्रक्रिया से संपन्न होंगे। इससे अधिक लागत के कार्यों की विस्तृत परिकल्पना विभिन्न विभागों के सहयोग से की गई तथा उनके डिजाइन, सर्वेक्षण, तकमीने का कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही 125 करोड़ रुपये की निविदाएं जारी करके वर्ष 2002 तक निविदा कार्य पूर्ण करने का अनुमान है। परियोजना के सभी कार्यों की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से कार्यों के 'स्पेसिफिकेशन्स' एवं 'क्वालिटी एंश्योरेंस' तथा 'क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल' बनाया गया। ठोस कचरा प्रबंधन, अग्निशमन उपकरण तथा पानी के मीटर की आवश्यकता के लिए संबंधित विभाग एवं सलाहकार के साथ विचार-विमर्श के पश्चात मामला तय किया गया।

भावी विकास परिदृश्य

इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के छह संभाग मुख्यालयों पर कुल 1528.71 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जानी है जिसमें से अजमेर में 164.95 करोड़ रुपये; बीकानेर में 175.20 करोड़ रुपये; कोटा में 231.86 करोड़ रुपये; जयपुर में 546.99 करोड़ रुपये; जोधपुर में 249.24 करोड़ रुपये; तथा उदयपुर में 160.47 करोड़ रुपये व्यय होने हैं। परियोजना के कुल बजट में से 253.07 करोड़ रुपये जलापूर्ति, पुनर्वास एवं विस्तार पर व्यय करने के साथ-साथ शहरी पर्यावरण सुधार के लिए 296.30 करोड़ रुपये उत्सर्जित जल-प्रबंधन पर, 31.77 करोड़ रुपये ठोस कचरा-प्रबंधन पर, 77.86 करोड़ रुपये जल निकासी पर, 18.61 करोड़ रुपये अग्निशमन सेवा पर, 71.39 करोड़ रुपये ऐतिहासिक साईट विकास एवं पर्यावरण प्रबंधन पर तथा 53.10 करोड़ रुपये कच्ची-गंदी बस्ती सुधार पर व्यय किए जाने हैं।

इसी प्रकार 'शहरी यातायात प्रबंधन' के लिए 75.95 करोड़ रुपये गलियों पर, 137.67 करोड़ रुपये पुलों पर, 4.22 करोड़ रुपये ट्रक/बस-टर्मिनल एवं वाहन-पार्किंग पर व्यय किए जा रहे हैं। मुख्य परियोजना के तहत सामुदायिक जागरण एवं भागीदारी पर 16.38 करोड़ रुपये, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 60.07 करोड़ रुपये तथा आकस्मिक कार्य के लिए 246.48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जबकि 185.84 करोड़ रुपये परियोजना की क्षमता के निर्माण सहायता क्रियान्वयन पर व्यय होने हैं। विशेष तौर पर जयपुर की 'कन्टिजेंसी' में 20

(शेष पृष्ठ 29 पर)

शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन की भूमिका

○ सी. जयन्ती

10 दिसम्बर, 2002 को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने मानव गरिमा की रक्षा के लिए गरीबी-उन्मूलन और शिक्षा के जरिए मानव मात्र को अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया।

भारत एक अरब लोगों का देश है और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने जिस तरह के कदम उठाए हैं उनके परिणाम प्रभावकारी रहे हैं। तथापि, समस्या के स्वरूप को देखते हुए ये उपाय बौने साबित हुए हैं। भारत की आधी से अधिक आबादी युवाओं की है। सरकार द्वारा जुटाया गया ढांचा और समस्या-समाधान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता अत्यन्त व्यापक है। मानव संसाधन मंत्रालय के तहत माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के आयोजना, निगरानी और सांख्यिकी प्रभाग द्वारा प्रकाशित सलेक्टिड एजुकेशन स्टेटिस्टिक्स में उपलब्ध आकड़ों के अनुसार वर्ष 1951-52 में सकल घरेलू उत्पाद में शिक्षा खर्च 0.64 प्रतिशत था, जो 1 प्रतिशत से थोड़ा कम था। इसकी तुलना में वर्ष 2000-2001 में यह बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 4.11 प्रतिशत हो गया, जो वर्ष 1999-2000 से पहले इससे थोड़ा ज्यादा यानी सकल घरेलू उत्पाद का 4.31 प्रतिशत था। हालांकि यह दिलासा देने वाली बात है कि सरकारों द्वारा शिक्षा के लिए बजट आवंटन में निरंतर वृद्धि की जाती रही है, किन्तु निरक्षरता के परिमाण और देश में औपचारिक शिक्षा के अभाव को देखते हुए यह आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 10 प्रतिशत होना चाहिए था। दक्षिण पूर्व एशिया की भूतपूर्व 'सशक्त अर्थव्यवस्थाओं' को कई वर्ष पहले एक ताकत समझा गया था जब उन्होंने शिक्षा में भारी निवेश किया था। हालांकि विश्वव्यापी मंदी ने विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है, लेकिन यह उम्मीद की जा सकती है कि सिर्फ वही अर्थव्यवस्थाएं इस मंदी के दुष्प्रभाव पर काबू पा सकेंगी जिनके पास उच्च शिक्षित और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति होगी। अत: भारत को इस क्षेत्र में कमर कसनी होगी।

भारत सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करके सही दिशा में कदम उठाया है। यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए समान अवसर का अधिकार प्राप्त हो। यह महत्त्वपूर्ण है कि केन्द्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य सरकारें लोगों के इस मौलिक अधिकार-शिक्षा और समान अवसर के अधिकार को लागू करने की दिशा में पहल करें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार असम और दिल्ली अपने बजट का 30 प्रतिशत से अधिक धन शिक्षा पर खर्च करते हैं। फिर भी यह आश्चर्य की बात है कि ये राज्य विकसित नहीं हैं। आंध्र प्रदेश और आश्चर्यजनक है कि बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और चंडीगढ़ अपने बजटीय खर्च का 20 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करते हैं। उत्तर प्रदेश और पश्चिम

विश्वव्यापी मंदी ने यद्यपि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है, लेकिन यह उम्मीद की जा सकती है कि वे अर्थव्यवस्थाएं इस मंदी के दुष्प्रभाव पर काबू पा सकेंगी जिनके पास उच्च शिक्षित और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति होगी। अत: भारत को इस क्षेत्र में कमर कसनी होगी।

बंगाल बड़े राज्य हैं जो अपने कुल खर्च का 20 प्रतिशत से कुछ कम धन शिक्षा पर खर्च करते हैं। दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव शिक्षा पर 10 प्रतिशत से कम धन खर्च करते हैं।

विकास के स्तर को देखते हुए असम की स्थिति सर्वाधिक चौंकाने वाली है। दिल्ली की स्थिति भी आश्चर्यजनक है, हालांकि देश की राजधानी होने के नाते शिक्षा पर खर्च कुल बजट राशि का 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए था। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की हालत अत्यन्त निराशाजनक है। जिस राज्य ने देश को सबसे अधिक प्रधानमंत्री दिए हों, वह अपने को पिछड़ेपन और अपकर्ष से बाहर नहीं निकाल पाया। जब तक शिक्षा का समान प्रसार नहीं होगा, तब तक उत्तरी भारत में विद्यमान सामन्तवाद समाप्त नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से आम स्त्री-पुरुष को बुनियादी मौलिक अधिकार और मानव गरिमा तक प्राप्त नहीं हो सकी है। बिहार को देखकर थोड़ा आश्चर्य इसलिए होता है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि धन और बाहुबल के प्रभाव से राज्य की सत्ता की बागडोर हथिया लिए जाने से आम आदमी को उसका न्यायोचित हक नहीं मिल पाता और एक तरह से लगता है राज्य में प्रशासनिक तंत्र विफल हो चुका है।

राजधानी और तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे कई दक्षिणी राज्यों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि कई प्राइवेट कंपनियों ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधार कायम कर लिया है और अधिकतर औद्योगिक घराने लाभकारी उद्यम के रूप में शिक्षा संस्थान खोलने पर विचार कर रहे हैं, खासकर इस बात को देखते हुए कि हमारे देश में युवाओं की आबादी अधिक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि होती है। इसमें कहा गया है, 'पिछले 5 दशकों में देश में प्राथमिक स्कूलों की संख्या में तीन गुणा वृद्धि हुई है, जबकि उच्चतर प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में क्रमशः 15 गुणा और 17 गुणा वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1950-51 में, 'विश्वविद्यालयों की संख्या 27 थी जबकि 2000-2001 में यह संख्या बढ़कर 254 हो गई।' इस संख्या में समकक्ष विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान भी शामिल हैं। व्यावसायिक कालेजों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1950-51 में व्यावसायिक शिक्षा देने वाले कालेजों की संख्या 208 और सामान्य शिक्षा देने वाले कालेजों की संख्या 370 थी।

भारत में करीब 30 करोड़ निर्धन लोग हैं जिनकी पहुंच बुनियादी शिक्षा, कौशल, अवसरों या नौकरियों तक नहीं है। अतः इस बात की पक्की व्यवस्था करना जरूरी है कि इन उपेक्षित वर्गों का उत्थान किया जाए। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

2000-2001 में व्यावसायिक शिक्षा कालेजों की संख्या बढ़कर 2223 हो गई और सामान्य शिक्षा कालेजों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ। इनकी संख्या भी 2223 पर पहुंच गई।

चिकित्सा और इंजीनियरी जैसे कुछ क्षेत्रों में शिक्षा एक वाणिज्यिक उद्यम बन गया है। अकेले कर्नाटक में 172 मेडिकल कॉलेज हैं जो ऐलोपैथी, आयुर्वेद, होमियोपैथी, यूनानी, नर्सिंग और फार्मेसी में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। महाराष्ट्र में इंजीनियरी, तकनीकी और वास्तुशिल्प की शिक्षा देने वाले 167 कॉलेज हैं जबकि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप में एक भी ऐसा कालेज नहीं है। अतः शेष भारत की भांति विषमताएं बहुत अधिक हैं। ये विषमताएं दूर करनी होंगी, ताकि शैक्षिक संसाधनों का समान प्रसार हो सके और प्रत्येक राज्य को शिक्षा के प्रति अधिकतम प्रतिबद्ध बनाया जा सके।

भारत में करीब 30 करोड़ निर्धन लोग हैं जिनकी पहुंच बुनियादी शिक्षा, कौशल, अवसरों या नौकरियों तक नहीं है। अतः इस बात की पक्की व्यवस्था करना जरूरी है कि इन उपेक्षित वर्गों का उत्थान किया जाए। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मुक्त विश्वविद्यालयों और स्कूलों की प्रणाली का विस्तार समूचे देश में होना चाहिए। मुक्त विश्वविद्यालयों और स्कूलों के लिए भारी ढांचागत आधार आवश्यक नहीं होता। इसलिए भारत के समूचे ग्रामीण क्षेत्र का कायाकल्प किया जा सकता है। हमें आवश्यकता है लक्ष्य और नीति की, जिससे कठिनाइयों पर काबू पाया जा सके और यह उम्मीद पूरी की जा सके कि न केवल शहरी क्षेत्रों में विशिष्ट वर्ग के मुट्ठी भर लोगों को बल्कि समूचे देश को प्रौद्योगिकी के विकास और स्थाई वृद्धि एवं विकास के लिए शिक्षा के उपयोग का लाभ पहुंचाया जा सके।

संतोष की बात है कि शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी निरन्तर बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 5 दशकों में, 'प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तरों और उच्चतर शिक्षा स्तर पर यह भागीदारी बढ़कर क्रमशः 28.1 प्रतिशत से 43.7 प्रतिशत, 16.1 प्रतिशत से 40.9 प्रतिशत और 13.30 प्रतिशत से 38.6 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से 36.89 प्रतिशत पर पहुंच गई।' रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी अभी भी 50 प्रतिशत से कम है। चूंकि भारत में

एक परम्परागत समाज है और महिलाओं को अक्सर उनके जीवन के बारे में फैसलों का अधिकार नहीं होता, फिर भी इसे प्रगति समझना चाहिए कि भले ही 50 प्रतिशत का आंकड़ा उन्होंने पार न किया हो लेकिन स्कूल-कालेजों में उनका प्रवेश बढ़ रहा है। महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में एकीकृत होना होगा क्योंकि कुल मिलाकर भारत में उन्हें समानता प्राप्त नहीं है। अगर उन्हें सामाजिक या आर्थिक विकास करना है तो समानता के लिए संघर्ष जारी रखना होगा।

सितम्बर 1995 में चीन में बीजिंग (पेइचिंग) में चौथे विश्व महिला सम्मेलन में 'कार्रवाई के लिए एक मंच' तय किया गया था। इसमें यह सिफारिश की गई कि 'सरकारों, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों, द्विपक्षीय और बहु-राष्ट्रीय दानकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा महिला-निरक्षरता दर में 1990 के स्तर में कम से 50 प्रतिशत कमी लाने के लिए 'कार्रवाई करनी होगी' और उसमें ग्रामीण महिलाओं, प्रवासी, शरणार्थी और आंतरिक दृष्टि से विस्थापित महिलाओं और अपंग महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करना होगा; ताकि वर्ष 2000 तक सभी लड़कियों की पहुंच प्राथमिकता शिक्षा तक हो और उसमें लिंग की समानता सुनिश्चित की जा सके; बुनियादी और कामकाजी साक्षरता में लिंग अन्तराल समाप्त हो सके... महिलाओं के लिए खासकर युवा महिलाओं और श्रम बाजार में पुन: प्रवेश करने वाली महिलाओं के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण नीतियों का विकास और कार्यान्वयन किया जाए, श्रम बाजार के बदलते स्वरूप की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें अपेक्षित कौशल प्रदान किया जाए, परिवर्तित सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में अपेक्षित जरूरतें पूरी करने के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार के वास्ते महिलाओं को कुशल बनाया जा सके; शैक्षिक प्रणाली में लड़कियों और महिलाओं को अनौपचारिक शिक्षा के अवसरों की जानकारी देना और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और सतत शिक्षा पाठ्यक्रमों की उपलब्धता और फायदों की जानकारी देने के लिए कदम उठाने होंगे।'' महिलाओं की दशा सुधारने और उन्हें अधिकार प्रदान करने के लिए उपर्युक्त उपायों के अलावा और भी बहुत से सुझाव दिए गए ताकि जीवन के सभी क्षेत्रों में निर्णय-प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल किया जा सके।

हालांकि, जैसाकि 'कार्रवाई के लिए तय मंच' के अंतर्गत सिफारिश की गई थी, वर्ष 2000 तक प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में लिंग की समानता का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका, किन्तु महिलाओं की साक्षरता दर में निरन्तर सुधार हुआ है जो एक शुभ संकेत है। रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2016 तक आबादी 126.35 करोड़ पर पहुंच जाएगी, जिसका अर्थ यह है कि शिक्षा के बारे में सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन अधिक तेजी से करना होगा। कक्षा 1 से 10 तक बीच में ही शिक्षा छोड़ देने वाले बच्चों की दर सबसे अधिक सिक्किम में (85.33 प्रतिशत) है। पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है (82.58 प्रतिशत) और बिहार तीसरे स्थान पर (81.30 प्रतिशत) है। इससे पता चलता है कि भारत को अभी लम्बा सफर तय करना है। स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वालों में महिलाओं की दर ऊंची है क्योंकि उन्हें पुरुष-प्रधान समाज में आर्थिक बोझ माना जाता है और उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है। कमला भसीन द्वारा लिखित और काली द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'ह्वाट इज पेट्रिआकि?' में कहा गया है, ... गुलामों के अंतर्हित सहयोग के अभाव में दासप्रथा कभी समाप्त होने वाली नहीं थी। महिलाओं के बारे में भी यह सही है। वे व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्त्व प्रतिपादित किया है, वे पितृसत्ता विचारधारा से मुक्त नहीं हैं, और जैसा कि हमने पहले कहा उन्हें इससे कुछ स्वाभाविक लाभ भी मिले हैं। संबंधसूत्रता का एक समान जटिल समूह उनके सहयोग—अथवा सह-अपराधिता, जैसा कि महिलावादियों ने इसे नाम दिया है को सक्रिय रखता है। ग्रेडा लर्नर के अनुसार: 'यह सहयोग अनेक साधनों से हासिल किया जाता है; जैसे लिंग संबंधी उपदेश देकर; शिक्षा से वंचित रखकर; महिलाओं

को उनके इतिहास की जानकारी न प्रदान करके, महिलाओं की यौन गतिविधियों के अनुसार उन्हें 'सम्माननीय' और 'पथभ्रष्ट' परिभाषित करते हुए एक-दूसरे से अलग करके; नियंत्रण में रखकर या सीधे बलपूर्वक दबाकर; आर्थिक संसाधन और राजनीतिक अधिकारों तक पहुंच में भेदभाव करके; और सदृश महिलाओं को वर्ग विशेषाधिकार प्रदान करके....' हालांकि इसे एक अतिवादी विचार कहा जा सकता है, किन्तु लड़के और लड़कियों की साक्षरता/शिक्षा बीच में ही छोड़ देने की दर में अन्तर को इससे काफी हद तक समझा जा सकता है। पितृसत्तात्मक विचारधारा के कारण भारत को मादा भ्रूण की हत्या के अनर्थ का सामना भी करना पड़ा है क्योंकि समाज हमेशा महिला से लड़का होने की ही उम्मीद अधिक रखता है।

शिक्षा लोगों की मानसिकता और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने में भी बड़ी भूमिका अदा करती है। इसलिए रिपोर्ट के आंकड़े इस दृष्टि से उत्साहवर्द्धक हैं कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित होने के बावजूद महिलाओं की साक्षरता दर और नौकरियों/श्रम बाजार में उनकी भागीदारी निरन्तर बढ़ रही है। इसका यह अर्थ भी है कि अनेक बाधाओं के बावजूद महिलाओं ने उन फैसलों में शिरकत करना आरम्भ शुरू कर दिया है जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं और यह सब सरकारी नीतियों में महिलाओं का रचनात्मक पक्ष लिए जाने के कारण संभव हुआ है। स्वाभाविक है कि हमें लंबी दूरी तय करनी है। किन्तु एक रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ और जैसा कि पेइचिंग कार्रवाई मंच में कहा गया है, ''इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि असमानताएं जारी रहते हुए भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लिंग परिदृश्य के एकीकरण के लिए रोजगार नीति पर पुनर्विचार करना अनिवार्य है और साथ ही व्यापक दायरे में अवसरों पर ध्यान केन्द्रित करना और काम तथा रोजगार की मौजूदा प्रवृत्तियों में लिंग के नकारात्मक प्रभावों को दूर करना भी जरूरी है। अर्थव्यवस्था में स्त्री-पुरुष की पूरी तरह समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समाज में महिलाओं और पुरुषों दोनों के कार्य, अनुभव, ज्ञान और मूल्यों के प्रभाव को समान रूप से मान्यता देने और उसका मूल्यांकन करने के लिए सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता है।''

अत: शिक्षा पुरुष और महिला की गरिमा बनाए रखते हुए बुनियादी मानवाधिकारों के प्रति वचनबद्धता और विश्वास को फिर से कायम करती है। आजादी के 55 वर्ष पूरे करने के बाद आज हम एक शक्तिशाली राष्ट्र हैं, किन्तु आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लाभ निर्धनतम तक पहुंचाने की आवश्यकता है। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की सरकार की वचनबद्धता इस दिशा में एक सही कदम है। आवश्यकता इस बात की है कि नीतियों को तेजी से लागू किया जाए। ❑

(लेखिका 'एजुकेशन टाइम्स' (नई दिल्ली में) संपादक हैं।)

(पृष्ठ 25 का शेष)

करोड़ रुपये सांगानेर एवं 10 करोड़ रुपये अम्बेर के लिए व्यय होने हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर 5 प्रतिशत राशि का स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर तथा परियोजना से बची राशि को राज्य के पर्यटक स्थल—जैसलमेर, माउंट आबू, सवाई माधोपुर एवं पुष्कर के विकास पर व्यय होगी।

परियोजना संगठन

इस परियोजना के क्रियान्वयन, समन्वयन, निर्देशन एवं नियंत्रण का जिम्मा 'कार्यपालन एजेंसी' नगरीय विकास विभाग को सौंपा गया है तथा इस विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति गठित की गई है। समिति में अनेक विभागों के सचिवों को सदस्य एवं परियोजना निदेशक को सदस्य-सचिव बनाया गया है। राज्यस्तरीय परियोजना स्टीयरिंग समिति का गठन परियोजना की क्रियान्विति प्रगति की परीवीक्षा एवं समीक्षा, आवश्यक मार्गदर्शन, विभागों के मध्य समन्वयन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। समिति के सदस्य स्थानीय निकायों के मेम्बरों/अध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों को भी बनाया गया है। इसी की तर्ज पर शहरी समितियों जिला कलेक्टरों (जयपुर को छोड़) की अध्यक्षता में गठित की गई है।

परियोजना के क्रियान्वयन, समन्वय, पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से मुख्य दायित्व वाली 'परियोजना प्रबंधन इकाई' (पी.एम.यू.) परियोजना निदेशक के नेतृत्व में नगरीय विकास विभाग के अधीन कार्य करते हुए कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रही है। इसी उद्देश्य से शहरों में 'परियोजना क्रियान्वयन इकाई' (पी.आई.यू.) स्थापित की गई है। पी.एम.यू. की सहायता तथा तकनीकी मार्गदर्शन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार संगठन मे. लूईस बर्जर इंटरनेशनल, इन्का, यू.एस.ए. की सेवाएं ली जा रही हैं।

अंत में कहा जा सकता है कि ग्रामीण बेरोजगारी दूर करना राज्य की सर्वप्रमुख आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में 'आधारभूत ढांचा विकास निगम' बनाने की ठान ली है तथा निगम की रूपरेखा बनाने एवं सुझाव देने के लिए मंत्रीमंडलीय उपसमिति का गठन भी कर दिया गया है। यह निगम आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यों में गठित निगमों के आधार पर ही बनेगा। प्रस्तावित निगम प्रदेश में सीवरेज, पेयजल, विद्युत, पुल, सड़क, पार्किंग, दूरसंचार सहित विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही गांवों में अधिकाधिक रोजगार के साधन सृजित किए जा सकेंगे। ❑

(स्वतंत्र लेखक)

LAST YEAR RELIANCE INDUSTRIES SET UP OVER TWO MILLION NEW PLANTS.

As a step towards preserving the environment, Reliance Industries has set up an extensive green belt of nearly 850 acres around its Jamnagar complex, sheltering over two million trees of various species.

Reliance
Industries Limited
Growth is Life
www.ril.com

Reliance an ISO 14001 company

Mudra:RIL.9287

राष्ट्रीय जल-ग्रिड कितना आवश्यक?

○ कुंवर सुनील सत्यम

भारत में वर्तमान में सुर्खियों में आई 'राष्ट्रीय जल ग्रिड' की संकल्पना कोई नई चीज नहीं है। सर्वप्रथम देश की प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने का विचार प्रसिद्ध समाजवादी चिन्तक राम मनोहर लोहिया ने सामने रखा था। राष्ट्रहित में आवश्यक है कि देश का प्रत्येक राज्य तथा विभिन्न क्षेत्रीय एवं राजनैतिक दल राष्ट्रीय जल-ग्रिड निर्माण के लिए व्यापक सहमति एवं सहयोग की भावना प्रदर्शित करें।

दिसम्बर 1971 एवं मार्च 1972 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की एक टीम भारत में राष्ट्रीय जल-ग्रिड निर्माण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के औचित्य एवं आवश्यकता संबंधित पहलुओं का अध्ययन करने हेतु आमंत्रित की गई थी। टीम ने इस योजना के विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों एवं लाभों का मूल्यांकन क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर किया एवं इसके पक्ष में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें कहा गया था 'भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास एवं वृद्धि के समक्ष आगामी 30 वर्षों के दौरान जल-संकट की समस्या होगी। भविष्य में जल की मांग पर ध्यान देने से सन् 2000 तक राष्ट्रीय जल-ग्रिड की अधिक आवश्यकता होगी। इस जटिल तथा कठिन खोज की प्रारंभ करने में अधिक समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।'

कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में वर्तमान में सुर्खियों में आई 'राष्ट्रीय जल ग्रिड' की संकल्पना कोई नई चीज नहीं है। सर्वप्रथम देश की प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने का विचार प्रसिद्ध समाजवादी चिन्तक राम मनोहर लोहिया ने सामने रखा था। उनके विचार के फलस्वरूप ही आजादी के समय यह तय किया गया था कि देश के विभिन्न भागों को बाढ़ एवं सूखे से निजात दिलाने के लिए भारत की प्रमुख नदियों को 14 वर्ष तो क्या, आजादी के 55 वर्ष बाद भी यह महायोजना क्रियान्वित नहीं हो पाई है। 1960 के दशक में दस्तूर ने देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने की परिकल्पना को आगे बढ़ाया। इसके बाद 1972 में तात्कालीन सिंचाई मंत्री के. एल. राव ने गंगा एवं कावेरी नदी को 2640 कि.मी. लंबी लिंक नहर से जोड़ने की एक स्पष्ट योजना प्रस्तुत की। इसके बाद इस संबंध में अनेक कमेटियां गठित की गईं लेकिन परिणाम शून्य ही रहा। छठी पंचवर्षीय योजना में इस योजना पर पुनः विचार किया गया। मोरारजी देसाई सरकार के कार्यकाल में इस दिशा में कुछ पहल की गई लेकिन जल्द ही इस सरकार के पतन के बाद यह योजना फिर से ठंडे बस्ते में डाल दी गई।

आजादी के 55 वर्षों बाद भी देश में कालाहांडी जैसे क्षेत्र हैं जहां भूख से मौत होना आम बात है यद्यपि सरकार इन मौतों को भूख से हुई मौत मानने को तैयार नहीं है। इस वर्ष भी पलामू (झारखण्ड), शिवपुरी (मध्य प्रदेश) तथा बारां (राजस्थान) आदि जनपदों में भूख से हुई मौत की घटनाओं ने अखबारों को सुर्खियां प्रदान की। सच्चाई कुछ भी हो, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि देश का एक बड़ा भू-भाग प्रतिवर्ष सूखे की समस्या से ग्रस्त रहता है। इसके विपरीत कुछ हिस्से प्रायः बाढ़ के कारण जान-माल की हानि उठाते रहते हैं। अर्थात भारत में जल का प्रकृति-वितरण समान नहीं है। एक ओर जहां पूर्वोत्तर भारत यथा— असम, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल एवं पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में 200 से.मी. वार्षिक से अधिक वर्षा होती है वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ एवं सौराष्ट्र क्षेत्र तथा

पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित वृष्टिछाया प्रदेश में 10-50 सें.मी. तक ही वर्षा होती है। फलस्वरूप देश के एक भाग में जलाधिक्य बना रहता है तो दूसरे में अभाव।

भारत का समस्त भू-भाग प्रतिवर्ष वर्षा से लगभग 400 बिलयन क्यूबिक मीटर (बी.सी.एम.) वर्षा प्राप्त करता है जिसका लगभग 75 प्रतिशत मानसून के तीन महीनों में ही प्राप्त हो जाता है। इसमें भी अधिकांश वर्षा 100 घंटों की अवधि में प्राप्त हो जाती है। अधिकांश जल के तेजी से बह जाने, भूमिगत हो जाने एवं त्वरित वाष्पीकरण (उच्च तापमान के कारण) के कारण अनुमानित जल-संसाधन 1900 बी॰सी॰एम॰ ही प्राप्त है। इसका दो-तिहाई भाग गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, मेघना, थाले द्वारा आपूरित किया जाता है जो देश के लगभग एक-तिहाई भौगोलिक क्षेत्रफल में विस्तृत है। देश की विशालता एवं भौगोलिक संरचना का भारत के जल-संसाधन वितरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। भारत के उत्तर में हिमाच्छादित हिमालय की चोटियों से निकलकर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि अनेक सदावाही नदियों से प्रचुर मात्रा में जल की प्राप्ति होती है। इसलिए वर्षाकाल में यहां प्राय: जलाधिक्य हो जाता है। समन्वित जल प्रबंधन न होने के कारण अधिकांश जल बहकर समुद्र में चला जाता है। साथ ही इन नदियों की गति भी तेज है जिससे ये मृदा अपरदन द्वारा प्रतिवर्ष अरबों रुपये की आर्थिक क्षति करती है। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वर्षापूरित हैं। इनमें वर्षाकाल में तो प्रचुर जल रहता है लेकिन वर्षारहित दिनों में ये लगभग सूख जाती हैं जिस कारण सिंचाई एवं पेयजल का संकट गहरा जाता है। पश्चिमी भारत एवं मध्य भारत की नदियां भी वर्षापूरित ही हैं। देश में निरंतर आने वाली बाढ़ एवं सूखा इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि हम अपने जल-संसाधनों का समुचित प्रबंधन करने में असफल रहे हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद देश को 14 अगस्त के अपने प्रथम सम्बोधन में महामहिम राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम ने इस बात पर बल दिया था कि 'देश को सूखा एवं बाढ़ से छुटकारा दिलाने के लिए प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ा जाना चाहिए।' इसके पश्चात भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों के मध्य जल-बंटवारे को लेकर बढ़ते विवाद के मद्देनजर केन्द्र सरकार को 30 सितंबर, 2002 को निर्देश दिया कि देशभर की नदियों को आपस में जोड़ने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं तथा दस वर्षों के अंदर देशभर की नदियों को आपस में जोड़ने का काम पूरा कर लिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने संसद में सुझाव दिया है कि वह संविधान की प्रथम अनुसूची की 56वीं प्रविष्टि के तहत कानून बनाए और यह सुनिश्चित करें कि इस योजना को पूरा करने में कोई भी राज्य इंकार या आपत्ति जाहिर न करें।

संकल्पना

जलाभाव एवं जलाधिक्य वाले स्थानों में समुचित जल प्रबंधन करना। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि सिंचाई हेतु जलापूर्ति तथा जलाधिक्य (वर्षाकाल में) वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त जल का कृत्रिम जलाशयों में संचय, जो अनुमानत: 2,25,000 मिलयन घनमीटर है।

- सूखाग्रस्त क्षेत्रों की 35 मिलयन हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई सुविधाएं सृजित करके उत्पादन बढ़ाना।
- जल ग्रिड के अन्तर्गत बनने वाले बांधों से 34,000 मेगावाट का अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करना।

परियोजना के संघटक

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) द्वारा तैयार इस परियोजना के 2 प्रमुख संघटक निम्न हैं :-

- उत्तर के नदी-बेसिनों को दक्षिण के नदी-बेसिनों से जोड़ना।
- पूरब के बेसिनों को पश्चिम के बेसिनों से जोड़ना।

इसके द्वारा भारत के पूरब से पश्चिमी राजस्थान के शुष्क भागों, गुजरात के कच्छ एवं सौराष्ट्र तथा उत्तर से दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के शुष्क भागों तक जल पहुंचाया जा सकेगा। राष्ट्रीय जल-ग्रिड के इन दो के अतिरिक्त अन्य कुछ गौण संघटक भी हैं। उदाहरणार्थ पश्चिम तटीय मैदान की नदियों का जल सुरंगों द्वारा पश्चिम

घाट के पूर्व में स्थित वृष्टिछाया प्रदेशों में पहुंचाया जाएगा।

बाधाएं एवं समस्याएं

राष्ट्रीय जल-ग्रिड परियोजना की राह में अनेक रोड़े हैं। यह अत्यंत खर्चीली परियोजना है। 18 नवंबर, 2002 को लोकसभा में दिए गए एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय जल-संसाधन मंत्री अर्जुन चरण सेठी ने बताया कि देश की बड़ी नदियों को आपस में जोड़ने पर वर्ष 2002 के मूल्य स्तर पर पांच लाख साठ हजार रुपये की लागत आएगी। यह एक विशाल राशि है जिसे जुटाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए भारत सरकार ने विशाल राशि जुटाने में जिस इच्छाशक्ति, सूझबूझ एवं प्रबंधन का परिचय दिया है, उसे देखकर लगता है कि सरकार इस राशि को जुटाने में कामयाब होगी। एक अन्य समस्या यह है कि विभिन्न राज्यों में प्रमुख नदियों के जल को लेकर आपसी विवाद होते रहे हैं जो अभी भी जारी हैं, यथा—कावेरी जलविवाद। राज्यों में नदी जल को लेकर वोटों की राजनीति होती है। कोई भी राज्य अतिरिक्त जल दूसरे राज्य को नहीं देना चाहता। ऐसे में राष्ट्रीय जल-ग्रिड परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए विभिन्न राज्यों एवं राजनीतिक दलों के मध्य व्यापक सहमति अनिवार्य है। 20 नवंबर को संसद में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि 'देश को सूखे से स्थायी रूप से निजात दिलाने के लिए प्रमुख नदियों को जोड़ने के मुद्दे पर युद्धस्तर पर विचार किए जाने की आवश्यकता है', उन्होंने यह वादा भी किया कि इसके लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी इसके तुरंत बाद

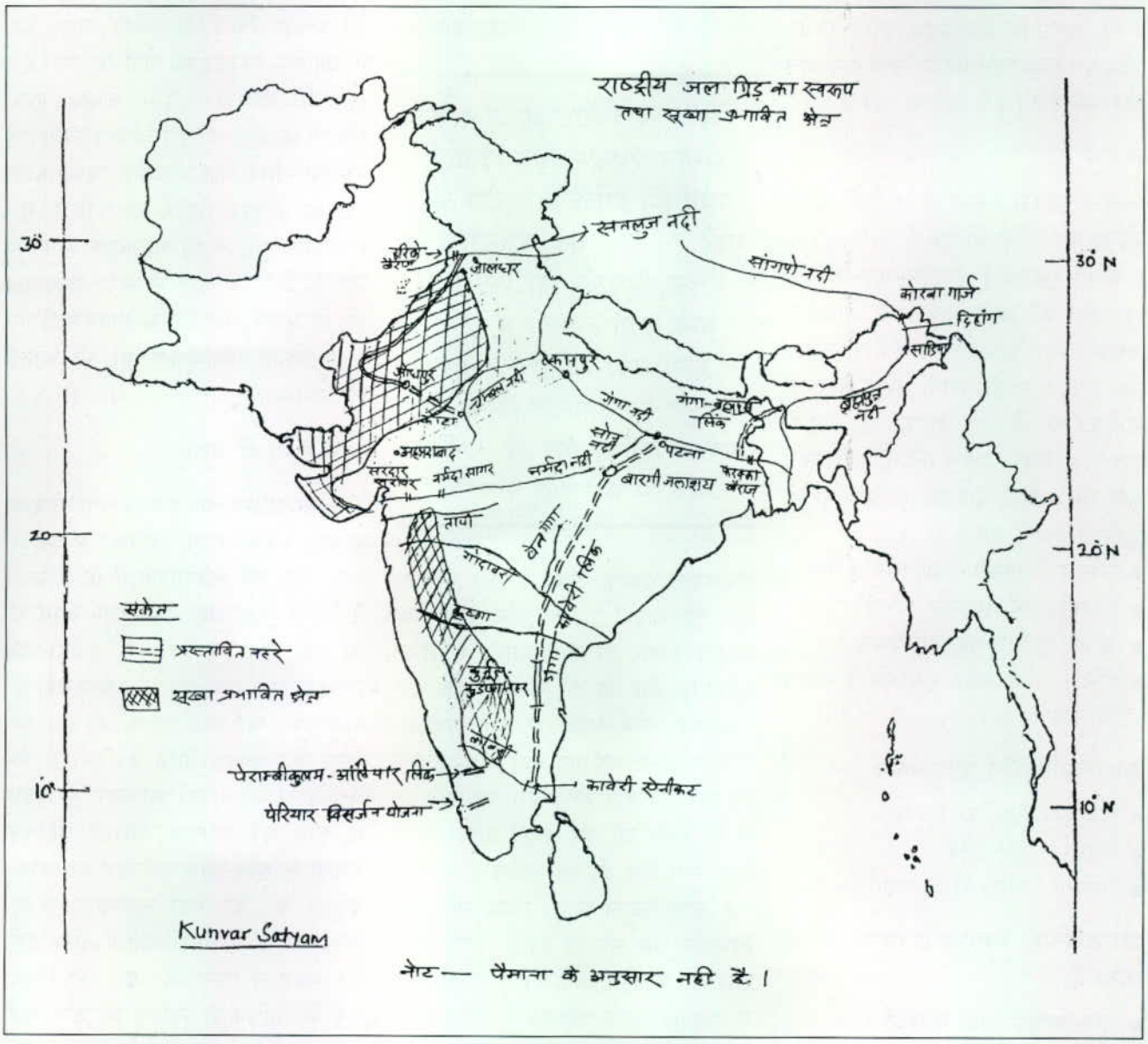

विपक्ष की नेता श्रीमति सोनिया गांधी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इससे लगता है कि इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों में सहमति बनाई जा सकती है।

अन्य बाधाएं एवं समस्याएं भी इस परियोजना से संबंधित हैं। यथा, देश की विषम भौगोलिक दशाएं, परियोजनान्तर्गत निर्मित जलाशयों एवं बांधों के कारण उत्पन्न विस्थापन एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं।

लेकिन उचित प्रबंधन एवं इच्छाशक्ति के सामने ये समस्याएं घुटने टेकने पर विवश होंगी। रही परियोजना लागत के अधिक होने की बात, तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि यह राशि (560000 करोड़ रुपये) सूखा एवं बाढ़ राहत पर हर साल होने वाले खर्च को देखते हुए अधिक नहीं है।

स्वरूप

केन्द्र सरकार देशभर में 30 ऐसी नदियों की पहचान की है जो एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती हैं। राष्ट्रीय जल-ग्रिड के तहत देश की प्रमुख नदियों का 'गलहार' बनाया जाएगा अर्थात उन्हें लिंक नहरों द्वारा एक-दूसरे से जोड़ा जाएगा। इससे भारत के मानचित्र पर जो दृश्य उभरेगा वही 'राष्ट्रीय जल ग्रिड' होगा। राष्ट्रीय जल-ग्रिड के तहत कुछ छोटी-छोटी योजनाएं तो पूर्ण भी हो चुकी हैं जिनमें प्रमुख हैं :-

- पेरियार विशाखन (डाईवर्जन) योजना,
- पेराम्बीकुलम अलियार परियोजना,
- कुर्नूल-कुड्प्पा नहर परियोजना,
- इन्दिरा गांधी नहर (राजस्थान नहर) परियोजना।

कुछ निर्माणाधीन परियोजनाएं

- राजस्थान नहर का विस्तार,
- व्यास-सतलुज लिंक,
- रामगंगा से गंगा में विशाखन।

परियोजनाएं जिनका निर्माण किया जाना है:

- गंगा-कावेरी लिंक परियोजना,
- ब्रह्मपुत्र-गंगा लिंक नहर,
- नर्मदा-गुजरात तथा पश्चिम राजस्थान लिंक नहर परियोजना,
- चम्बल राजस्थान लिंक।

गंगा-कावेरी लिंक राष्ट्रीय जल-ग्रिड का सर्वप्रमुख संघटक होगा जिसकी कुल लंबाई 2640 कि.मी. होगी। इसके द्वारा गंगा नदी के मानसूनकालीन अतिरिक्त जल को पटना के पास से गंगा-कावेरी लिंक हेतु उठाया जाएगा तथा सोन, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा एवं पेन्नर घाटियों के सहारे कावेरी बेसिन तक पहुंचाया जाएगा। यहां से (पटना के पास से) गंगा के 1680 क्यूमैक्स जल को लगभग 150 दिनों (मानसूनकालीन) हेतु उठाया जाएगा। इसमें से 290 क्यूमैक्स जल की आपूर्ति दक्षिणी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिणी बिहार के गंगा बेसिन में स्थित सूखाग्रस्त क्षेत्र को की जाएगी। शेष जल राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश पहुंचाया जाएगा। गंगा जल को कावेरी तक लाने हेतु विन्ध्य पर्वत को पार करना होगा। इसके लिए गंगा जल को अधिकतम 550 मीटर तक ऊपर उठाना होगा। नर्मदा-सोन जल विभाजक तक सोन के सहारे निर्मित लिंक द्वारा जल प्रवाहित किया जाएगा। सोन लिंक से जल को बारगी जलाशय में संचित किया जाएगा जो नर्मदा पर लगभग 425 मी. की ऊंचाई पर मध्य प्रदेश के मांडला-जबलपुर में बनाया गया है। यहां से जल को वेनगंगा, प्राणहिता तथा गोदावरी के सहारे निर्मित जलाशय से होकर कृष्णा एवं पेन्नर नदियों को पार करके कावेरी नदी में उतारा जाएगा।

> ***राष्ट्रीय जल-ग्रिड के संभावित प्रभाव एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इसके द्वारा देश को सूखे एवं बाढ़ की आपदाओं से मुक्ति मिलेगी, खाद्यान्न एवं अन्य कृषि उत्पादों में वृद्धि होगी तथा अतिरिक्त जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।***

प्रभाव

राष्ट्रीय जल-ग्रिड के संभावित प्रभाव एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इसके द्वारा देश को सूखे एवं बाढ़ की आपदाओं से मुक्ति मिलेगी। खाद्यान्न एवं अन्य कृषि उत्पादों में वृद्धि होगी। अतिरिक्त जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। देश की चारों दिशाओं— उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के बीच की दूरी घटेगी। सस्ती एवं पर्यावरण-मित्र जल परिवहन व्यवस्था का विकास होगा। राष्ट्रीय जल-ग्रिड भू-राजनैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा जो देश के विभिन्न भागों में सैन्य आवागमन हेतु भी सुलभ होगा जिससे आतंकवादी एवं अलगाववादी गतिविधियों पर भी अंकुश लग सकेगा।

अन्य देशों में प्रयोग

अन्तर-बेसिन जल-स्थानांतरण परियोजनाएं कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, स्पेन, चीन एवं आस्ट्रेलिया में भी अस्तित्व में है तथा कुछ जगह ये योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इन देशों में नदियों को सफलतापूर्वक एक-दूसरे से जोड़ा गया है। फलस्वरूप कई सूखे इलाकों को हरा-भरा बनाने में सफलता मिली है। रूस ने जब साईबेरिया की नदियों को नहरों से मैदान में लाने की कोशिश की तो आर्थिक बर्बादी के साथ-साथ पर्यावरण एवं जीव-जंतुओं को भी भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन रूस की परिस्थितियां अन्य देशों एवं भारत से भिन्न थीं। यहां की नदियां वर्ष के अधिकांश महीनों में जम जाती

हैं। फलस्वरूप जल-ग्रिड की वहां दुर्गति हुई।

भारत में जल-ग्रिड की अवधारणा नई नहीं है। पहले से ही पश्चिमी यमुना नहर, एवं आगरा नहर हिमालय से पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के मैदानों में शताब्दियों से जल परिवहित कर रही हैं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना भी इसका अच्छा उदाहरण है।

विश्लेषण

राष्ट्रीय जल-ग्रिड को लेकर कई आपत्तियां भी हैं। मुख्य आपत्ति जलाधिक्य वाले राज्यों की है। इन राज्यों का कहना है कि उनके पास जलाधिक्य नहीं है। यदि उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय मदद दी जाए तो वे जल का समुचित उपयोग कर सकती हैं। इसलिए ये राज्य अन्तर-बेसिन जल-हस्तांतरण के मूल विचार से सहमत नहीं हैं। इन राज्यों को स्वतंत्र एवं स्वस्थ समझौता-वार्ताओं द्वारा तैयार किया जा सकता है ताकि ये राष्ट्रहित में अधिशेष जल के हस्तांतरण को तैयार हो जाएं। बदले में इन राज्यों को आर्थिक सहायता एवं कृषि उत्पादन एवं सृजित जलशक्ति में एक निश्चित अंश प्रदान करके क्षतिपूर्ति की जा सकती है।

परियोजना के कुछ विरोधियों का मानना है कि यह परियोजना भविष्य की सिंचाई आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है जबकि जल-उपलब्धता को बढ़ाने एवं सुधारने के अन्य उपाय भी हैं जो इस खर्चीली परियोजना की अपेक्षा मितव्ययी एवं पर्यावरण-मित्र भी सिद्ध होंगे। यथा, उचित जल-प्रबंधन आर्थिक रूप से महंगी इस ग्रिड व्यवस्था से अधिक लाभदायक होगा। उनका मानना है कि वाष्पीकरण पर नियंत्रण, जल उपयोग क्षमता में सुधार एवं जल-पुनर्चक्रण व्यवस्था द्वारा मांग-प्रबंधन करके आवश्यक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। परियोजना विरोधियों का मानना है कि जल-ग्रिड पर भारी मात्रा में निवेश की अपेक्षा अन्य औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों में निवेश अधिक लाभकारी होगा। खाद्यान्न जरूरत को आयात द्वारा पूरा किया जा सकता है। लेकिन विरोधी यह भूल जाते हैं कि खाद्यान्न जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता राष्ट्रहित में नहीं है। यह सामरिक दृष्टि से हानिकारक सिद्ध हो सकती है। हमें याद है कि गत शताब्दी के मध्य में अमेरिका से पी.एल.-480 फंड के अंतर्गत हमें मिलने वाली खाद्यान्न सहायता को उसने भारत को अपने पक्ष में झुकाने हेतु किस प्रकार प्रयोग करना चाहा था। वैसे भी वर्तमान खाद्यान्न व्यापार संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की उदर-पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं है जबकि जनसंख्या में भी दिन-प्रतिदिन वृद्धि की प्रवृत्ति विद्यमान है। भारत जैसा विकासशील विशाल देश खाद्यान्न आवश्यकता हेतु अन्य देशों का मोहताज नहीं रह सकता हमें स्वयं अपनी जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ बनना होगा।

राष्ट्रहित में आवश्यक है कि देश का प्रत्येक राज्य तथा विभिन्न क्षेत्रीय एवं राजनैतिक दल राष्ट्रीय जल-ग्रिड निर्माण के लिए व्यापक सहमति एवं सहयोग की भावना प्रदर्शित करें। निस्संदेह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के साथ-साथ राष्ट्रीय जल-ग्रिड परियोजना भी देश के आर्थिक विकास का साधन सिद्ध होगी।

मानसून की आंख-मिचौली एवं वैश्वीकरण की चुनौतियों ने भारतीय कृषि पर दूरगामी एवं प्रतिकूल प्रभाव डाले हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि-भूमि में निरंतर कमी आ रही है। हरित-क्रांति के कारण कृषियोग्य भूमि में अधिकतम विस्तार हो चुका है। गत 50 वर्षों में भारत में कृषि योग्य भूमि में 13-14 गुना वृद्धि हो चुकी है जिसमें और वृद्धि की संभावना बहुत ही कम है। ऐसे में जल-उपलब्धता बढ़ाकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता बढ़ाकर ही उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। जल-उपलब्धता द्वारा ही सूखाग्रस्त क्षेत्रों, यथा, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र एवं कच्छ तथा सौराष्ट्र क्षेत्र में कृषि भूमि का कुछ हद तक विस्तार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल-ग्रिड के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों हेतु भी जल सुलभ हो सकेगा जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन एवं जल प्राप्ति से औद्योगिक गतिविधियों में पीछे छूट गए क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को भी बल मिल सकता है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे।

राष्ट्रीय जल-ग्रिड की सफलता पर संदेह करने वालों को इन्दिरा गांधी नहर (राजस्थान नहर) परियोजना से समझ लेना चाहिए कि यह परियोजना देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। राजस्थान के गंगानगर एवं जैसलमेर जनपद का जो क्षेत्र कभी बड़े-बड़े 'बरखानों' (रेत के टीले) का मैदान हुआ करता था, आज वहां हरे-भरे वन एवं खेत लहलहा रहे हैं। साथ ही अनेक औद्योगिक गतिविधियां भी प्रारंभ हो सकी हैं।

राष्ट्रहित में आवश्यक है कि देश का प्रत्येक राज्य तथा विभिन्न क्षेत्रीय एवं राजनैतिक दल राष्ट्रीय जल-ग्रिड निर्माण के लिए व्यापक सहमति एवं सहयोग की भावना प्रदर्शित करें। निस्संदेह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के साथ-साथ राष्ट्रीय जल-ग्रिड परियोजना भी देश के आर्थिक विकास का साधन सिद्ध होगी। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

वर्मीकल्चर से पर्यावरण-मित्र खाद

○ बजरंगलाल जेठू

भारत में प्रतिवर्ष 200 करोड़ टन फसल-अपशिष्ट सहित 2000 करोड़ टन ठोस एवं द्रवयुक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इस अपशिष्ट के अनियमित निपटान से भू-प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। ठोस अपशिष्ट के उचित निस्तारण के अंतर्गत इससे कार्बनिक खाद प्राप्त की जाती है। ठोस अपशिष्ट से खाद प्राप्त करने में 'वर्मीकल्चर' विधि भी बहुत उपयोगी रहती है।

वर्मीकल्चर विधि से खाद बनाने के लिए केंचुओं का प्रयोग किया जाता है। खाद बनाने में केंचुओं का प्रयोग एक क्रांतिकारी कदम है। इस विधि को सर्वप्रथम 1970 में कनाडा में अपनाया गया था। विश्व में केंचुओं की लगभग 7000 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें से भारत में केवल 40 प्रजातियां देखी गई हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां वर्मीकल्चर हेतु पाली जाने वाली भी हैं। भारतीय केंचुए की लंबाई 10-20 सेमी. तथा मोटाई 4-5 मिमी. होती है। आस्ट्रेलियाई केंचुआ 125-335 सेमी. लम्बा होता है। केंचुए के गति हेतु पैर नहीं होते। इनके शरीर के अभार (शुक या सीटी) गति का कार्य करते हैं। केचुओं का भोजन मिट्टी है। एक सिरे (मुख) से निगलकर आहार-नाल में पचित वही मिट्टी वापस दूसरे सिरे (गुदा द्वार) से बाहर निकलती है। इस प्रकार प्राप्त मिट्टी में अनेक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं।

प्रकृति ने केंचुओं को कचरा पाचन की अद्भुत क्षमता प्रदान की है। केंचुओं की विष्ठा बहुपयोगी एवं संपूर्ण खाद है। इसी को 'वर्मी खाद' कहा जाता है।

रासायनिक उर्वरकों में सिर्फ एक या दो ही पोषक तत्व पाए जाते हैं जबकि केंचुओं द्वारा निर्मित वर्मी-खाद में गोबर खाद की तुलना में 5 गुना नाइट्रोजन, 8 गुना फास्फोरस, 11 गुना पोटाश एवं 3 गुना मैग्नेशियम पाया जाता है। पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में केंचुओं का विशेष महत्व है। केंचुए भोजन के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं फलत: इनके मल के रूप में वर्मी खाद स्वयं तैयार कर आप बागीचे हेतु पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। फर्टिलाइजर एशोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार—केंचुए न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं बल्कि वे डीडीटी एवं अन्य कीटनाशकों के प्रभाव को भी कम करते हैं। प्रयोगों में पाया गया है कि केंचुए के मल में सामान्य मिट्टी की अपेक्षा 3 गुना चूना, 3 गुना मैग्नेशियम, 5 गुना नाइट्रोजन, 11 गुना पोटेशियम और साढ़े सात गुना फास्फोरस पाया जाता है। केंचुए के कारण मृदा में बैक्टीरिया-वृद्धि भी कई गुना बढ़ जाती है। वर्मी खाद पेड़-पौधों, फसलों, वृक्षों एवं सब्जियों के लिए एक संपूर्ण प्राकृतिक खाद का कार्य करती है। इस खाद में एक्टिनोमाइसिटिज द्वारा एंटीबायोटिक पदार्थ का सृजन होता है जिसके कारण इस खाद के उपयोग से पौधों में कीट एवं बीमारी से बचाव की क्षमता बढ़ती है। फलत: यह खाद उर्वरकों, कीटनाशकों एवं खरपतवारनाशकों की आवश्यकता समाप्त कर देती है। सामान्य वर्मी-खाद में नाइट्रोजन की 2-3 प्रतिशत, फास्फोरस की 1.5-2.4 प्रतिशत एवं पोटेशियम की 1.4-2.0 प्रतिशत मात्रा के साथ-साथ अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में भी पर्याप्त मात्रा होती है।

वर्मी खाद की निर्माण प्रक्रिया में रबर,

वर्मीकल्चर विधि से खाद बनाने के लिए केंचुओं का प्रयोग किया जाता है जो एक क्रांतिकारी कदम है। रासायनिक उर्वरकों में सिर्फ एक या दो ही पोषक तत्व पाए जाते हैं जबकि केंचुओं द्वारा निर्मित वर्मी-खाद में गोबर खाद की तुलना में 5 गुना नाइट्रोजन, 8 गुना फास्फोरस, 11 गुना पोटाश एवं 3 गुना मैग्नेशियम पाया जाता है।

प्लास्टिक, कांच आदि पदार्थों को छोड़कर तमाम प्रकार का कूड़ा-कचरा, घास-फूस, सड़े-गले अपशिष्ट पदार्थ काम में लिए जा सकते हैं। इससे इस खाद में उर्वरा शक्ति के साथ-साथ जल सोखने की एवं वायु-संचार की क्षमता का विकास भी होता है। यहां यह ध्यान देने की बात है कि वर्मी खाद पर एक विशेष प्रकार की 'पेराट्रोपिक झिल्ली' होती है जिससे जल के वाष्पीकरण में कमी होती है। फलत: सिंचाई के रूप में जल की कम आवश्यकता होती है।

केंचुओं की यह विशेषता है कि इनके शरीर के लाभदायक जीवाणुओं की मृत्यु नहीं होती, बल्कि वे वापस बाहर आ जाते हैं। केंचुए मिट्टी को ऊपर-नीचे भी करते रहते हैं जिससे मृदा में कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता रहता है। केचुओं की आंतों में पी.एच.मान, तापक्रम एवं आक्सीजन समुचित रूप में होने से सूक्ष्मजीवी प्रक्रियाएं आस-पास की भूमि की अपेक्षा 1000 गुना अधिक होती हैं। फलत: अपघटन तेजी से होकर खाद बनने की प्रक्रिया शीघ्र संपन्न होती है। इस प्रकार केंचुए न केवल वर्मी खाद बनाते हैं बल्कि कृषिकरण में भी उपयोगी होते हैं। कृषिकरण में केंचुओं का पहला प्रभाव यह है कि ये मिट्टी में छेदन, भेदन एवं मृदा-घटन को ढीला करने का कार्य करते हैं और पौधों के अवशेषों को मृदा के भीतर ले जाकर अपघटित करते हुए निगली हुई मिट्टी को कृमि मल के रूप में बाहर निकालकर खाद का रूप देते हैं। इनका कृषिकरण में दूसरा प्रभाव यह है कि ये मृदा के कार्बनिक पदार्थों के विघटन को गति प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इनसे प्राप्त खाद खरपतवार-बीज रहित होती है। वस्तुत: वर्मी खाद अत्यंत उपयोगी है इसीलिए संभवत: जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन (1881) ने केंचुए को सभ्यता का प्रवर्तक कहा था। वैज्ञानिकों के अनुसार, खाद तैयार करने के लिए मुख्यत: तीन तरह के केंचुए काम में आते हैं जिन्हें— एपीजेइक, इंडोजेइक और डयाजेइक कहा जाता है। ऐपीजेइक केंचुए खाद हेतु ज्यादा उपयोगी हैं। ये सतह के 5-10 सेमी. नीचे तक रहते हैं तथा वृद्धि भी ज्यादा संख्या में करते हैं। इंडोजेइक केंचुए मिट्टी में सुराख करते हैं एवं उसे नरम करते हैं।

आगे तालिका में विभिन्न प्राकृतिक खादों में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्वों की मात्राएं दिखाई गई हैं।

तालिका से स्पष्ट है कि वर्मी खाद पेड़-पौधों, फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं फसलों के लिए संतुलित आहार है। इससे फलों, सब्जियों एवं अनाजों के स्वाद में भी सुधार होता है। यह पेड़-पौधों और फसलों को कीड़ों तथा बीमारियों से बचाने की अद्भुत क्षमता रखती है। यह भूमि की सान्द्रता और जलरोधन क्षमता में वृद्धि करती है। सिंचाई की भी बचत करती है एवं खर-पतवार रोकती है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति प्रतिवर्ष सुधरती है तथा रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता में कमी होती जाती है।

खाद-निर्माण

वर्मी खाद तैयार रहने के लिए छायादार स्थान एवं पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। छायादार स्थान का आकार उपलब्ध कार्बनिक ठोस अपशिष्ट की मात्रा पर निर्भर करता है। इस छायादार स्थान में एक से अधिक क्यारियां बनाई जा सकती हैं। एक सामान्य क्यारी अर्थात खड्डा 2.5 मी.×1.5 मी.×1 मी. का बनाया जाता है।

स्थान तय करने एवं तैयार करने के पश्चात् वर्मी खाद बनाने के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, रसोई की छीजन, सब्जी के छिलके, घास-फूस, पेड़-पौधों की पत्तियां, चाय आदि लिए जाते हैं तथा उचित संख्या में केंचुए लिए जाते हैं।

सबसे पहले तैयार खड्ढे को 5 सेमी. ऊंचाई तक रेत से भरा जाता है। रेत के ऊपर 15 सेमी. ऊंचाई तक दोमट मिट्टी एवं गोबर की तह लगाकर उसे गीलाकर देते हैं। यही सतह केंचुओं के लिए शयन-कक्ष का कार्य करती है। इस सतह पर ही लगभग 1500 केंचुए (आइसीनिया फीटिडा) डाल दिए जाते हैं। केंचुए डालने के बाद इस सतह पर 5 सेमी. ऊंचाई तक कार्बनिक अपशिष्ट, भूसा एवं पत्तियां आदि डालकर जल का हल्का छिड़काव कर दिया जाता है और ऊपरी हिस्से को सूखी घास या फिर टाट से ढंक देते हैं। उसके भीतर केंचुए पनपते हैं और वर्मी खाद बननी शुरू होती है। एक माह बाद घास या टाट को हटाकर पुन: कार्बनिक अपशिष्ट की 5 सेमी. मोटी तह बना देते हैं और जल का छिड़काव कर देते हैं। एक-एक दिन के अंतराल से यह क्रिया क्यारी (खड्ढे) के भरने तक करते रहते हैं। खड्ढे के भरने के पश्चात् भरे हुए पदार्थ को उलट-पुलट देते हैं। इस प्रकार के खड्ढे में लगभग 45 दिन में खाद तैयार हो जाती है। छ: माह के समय तक तो केंचुए पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं और इसके बाद क्यारी में अपशिष्ट एवं जल की उपयुक्त मात्रा डालकर लगातार वर्मी खाद प्राप्त की जा सकती है। इस विधि में केंचुए 1000 टन कार्बनिक अपशिष्ट को लगभग 300 टन जैविक खाद में बदल सकते हैं।

राजस्थान की जलवायु में वर्मी खाद बनाने के लिए छायादार स्थान में 3 मीटर × 1.5 मीटर की क्यारी बनाई जाती है। इसकी

पोषक तत्वों की उपलब्धता (प्रतिशत में)

पोषक तत्व	गोबर खाद	नेडेप खाद	गोबर गैस खाद	वर्मी खाद
नाइट्रोजन	0.4-1.0	0.5-1.5	1.8-2.5	2.0-3.0
फास्फोरस	0.4-0.8	0.5-0.9	1.0-1.2	1.5-2.9
पोटेशियम	0.8-1.2	1.2-1.4	0.6-1.8	1.4-2.0

सतह को पहले नम कर दिया जाता है। नम सतह पर 15 सेमी. ऊंचाई तक भूसा, घास-फूस बिछाकर उसके ऊपर गोबर की 7.5 सेमी. मोटी तह बना देते हैं। घास-फूस एवं गोबर की इस सम्मिलित तह को नम कर देते हैं। इसी सम्मिलित तह पर 2000-3000 केंचुए पूरी क्यारी (3 मी. × 1.5 मी.) में बराबर डाल देते हैं। इसके बाद इस परत पर ठोस अपशिष्ट की 30-45 सेमी. मोटी परत बना देते हैं। इस परत को नम करने के पश्चात सूखी घास या टाट से ढक देते हैं। प्रति दो दिन पर टाट हटाकर जल का छिड़काव जारी रखते हैं। उचित वातावरण में केंचुए वर्मी खाद का निर्माण करते हैं तथा स्वयं की संख्या में भी वृद्धि करते हैं। चूंकि केंचुए अपशिष्ट को खाकर उसे खाद में बदलते हैं फलत: ये ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। सारे अपशिष्ट के वर्मी खाद में बदलने पर ये केंचुए भी टाट की निचली सतह पर आकर चिपक जाते हैं जो सारे अपशिष्ट के खाद में परिवर्तित होने का सूचक है। इस स्थिति में जल छिड़काव बंद कर ऊपर के ढेर को सूखने देना चाहिए। ऐसा होने पर केंचुए नीचे की नम सतह की तरफ मुड़ जाएंगे। तैयार खाद की ढेरी बनाकर उठा लेते हैं। भूरे रंग का दानेदार हल्का-हल्का यह वर्मी खाद खेत के लिए तैयार हो जाता है। चूंकि ऊपर से सूखने के कारण केंचुए आधार सतह की तरफ जाकर सुरक्षित हैं अत: पुन: नए अपशिष्ट को उसी प्रकार डालकर वर्मी खाद का चक्र प्रारंभ किया जाता है जो एक पर्यावरण-मित्र खाद है।

भारत में वर्मी खाद के लिए सबसे पहले पुणे के डॉ. एम.आर. भिंड ने 'वर्मी कंपोस्टींग' प्रणाली विकसित की। बड़े पैमाने पर वर्मी खाद बनाने की बजाय घरेलू स्तर पर छोटे पैमाने पर भी वर्मी खाद तैयार की जा सकती है।

घरेलू बागवानी

एक स्वनिर्भर परिवार के लिए घरेलू बगीचे में 4-5 फलदार पौधे (नींबू, केला, अनार, अमरूद, आम, पपीता आवश्यकता एवं जलवायु के अनुरूप), 3-4 फूल एवं सुगंधित पौधों के गमले एवं 10 वर्गमीटर क्यारी में सब्जियां उगाना लाभप्रद रहता है। अगर क्यारियों के लिए जगह की कमी है तो गमलो में ही सब्जियां, पोदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च आदि उगाकर पारिवारिक आवश्यकता बहुत सीमा तक पूरी की जा सकती है। घरेलू बागवानी में रसायनरहित सब्जियां उगाकर हम स्वास्थ्य खतरों से भी बचे रहेंगे। घरों की छतों पर भी सब्जियां उगाना महानगरों में बढ़ता जा रहा है। घरेलू बागवानी की यह अभिरूचि आत्मसंतोष के साथ ही पर्यावरण संवर्धन में भी लाभदायी है।

वर्मी खाद तैयार करने के लिए घरेलू कचरे (रसोई कचरा, लान की कटिंग, बागवानी की पत्तियां) का उपयोग किया जा सकता है। हमारे देश में घरेलू कचरा लगभग 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदन अनुमानित है। इस कचरे में कार्बनिक पदार्थ 60 प्रतिशत आंका गया है। इस तरह प्रति परिवार 1.5 किलो घरेलू कचरा प्रतिदिन प्राप्त हो सकता है। वर्ष भर में यह मात्रा लगभग 5 क्विंटल बैठती है। लगभग 1600-1700 केंचुए इस कचरे को प्रतिदिन पचाकर वर्ष भर में 2.5-2.75 क्विंटल वर्मी खाद तैयार कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद दो क्विंटल वर्मी खाद बेचकर 600 रुपये की आर्थिक आमदनी भी प्राप्त हो सकती है। वर्मी खाद स्वयं तैयार करना एक लाभप्रद अभिरूचि बन सकती है।

तैयार करने की विधि

वर्मी खाद स्वयं तैयार करने के लिए प्लास्टिक की ढक्कन वाली बाल्टी, कनस्तर या पुराना मटका काम में लिया जा सकता है। अगर जमीन की कमी नहीं है तो बगीचे के एक कोने में छायादार जगह पर 2 मी. × 1 मी. × 0.3 मी. का गड्ढा बनाकर वर्मी खाद तैयार कर सकते हैं।

प्लास्टिक की बाल्टी बाजार में उपलब्ध बड़ी प्लास्टिक की बाल्टी (ढक्कन सहित) काम में ली जा सकती है। ढक्कन में दो गोलों पर चार-चार छेद (गर्म छड़ द्वारा) 5 मिलीमीटर व्यास में करें। इन छिद्रों से हवा के आवागमन से केंचुओं को श्वास क्रिया में सहायता मिलेगी। बाल्टी के पेंदे से 75 मिलीमीटर एवं 100 मिलीमीटर ऊंचाई पर भी दो वृत्तों में चार-चार छेद अधिक पानी की निकासी हेतु करें। बाल्टी में सबसे नीचे छोटे-छोटे कंकड़ (10-12 मिलीमीटर व्यास) बिछाकर उसके ऊपर लकड़ी का बुरादा एवं रेत 100 मिलीमीटर ऊंचाई तक भर दें। इसके ऊपर लकड़ी का गोलाकार टुकड़ा रखें। लकड़ी के टुकड़े के ऊपर रसोई का कचरा (सब्जी आदि के छिलके), पौधों की पत्तियां बिछा दें। यह सतह 50-75 मिलीमीटर की रखें। इसके ऊपर 200 केंचुए डाल दें, ताकि दुर्गंध न आए। ध्यान रखें कि बाल्टी लगभग 50 मिलीमीटर खाली रहे। क्योंकि रसोई के कचरे में जल की मात्रा अधिक होती है अत: ऊपर से जल तभी डालें, जब यह मिश्रण सूखने लगे। लगभग 30 प्रतिशत नमी रखना आवश्यक है। बाल्टी को छायादार जगह पर रखें। केंचुओं का विकास 26 डिग्री से 35 डिग्री तापक्रम में अधिक होता है। खाद बनाने के लिए चाय की पत्ती, सब्जी के टुकड़ों, फलों के छिलके, कागज के टुकड़े, बचा हुआ खाना, सूखी पत्तियां, लान की घास आदि डाली जा सकती है। जल्दी खाद तैयार करने के लिए बारीक टुकड़ों का प्रयोग करें। बीच में 10-15 दिन बाद ऊपर का मिश्रण नीचे लकड़ी द्वारा हिला दें। लगभग 30-45 दिन में खाद बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह से तैयार हुई खाद दुर्गंध रहित, भूरे रंग की एवं बिखरी हुई होगी। इसे 12 मिलीमीटर जाली वाली छलनी से छान लें।

बचा हुआ मिश्रण पुन: खाद बनाने के लिए सक्रिय पदार्थ का काम देगा। एक परिवार के लिए तीन बाल्टियां काफी रहेंगी ताकि खाद बनाने का क्रम अनवरत चलता रहे।

टिन का कनस्तर 15 किलो के टिन के कनस्तर भी वर्मी खाद बनाने के काम में लिए जा सकते हैं। ढक्कन के ऊपर गोलाकार छिद्र प्लास्टिक की बाल्टी की भांति ही बनाएं। पानी के निकास के लिए भी छिद्र बनाकर रखें। पेंदें में कंकड़, बुरादा एवं रेत के ऊपर जाली रखे और उस पर रसोई का कचरा उपर्युक्त विधि से भरकर वर्मी खाद तैयार की जा सकती है। एक परिवार के लिए 4-6 कनस्तरों में अनवरत रूप से खाद तैयार की जा सकती है। एक कनस्तर में 100-150 केंचुए काफी रहेंगे। ये केंचुए तीव्र गति से बढ़ते हैं। 6 माह से 1 साल में एक केंचुआ 247 केंचुए तैयार कर सकता है। शीघ्र खाद बनाने वाले केंचुए (आईसिनिया फीटिडा प्रजाति) प्राकृतिक खाद बनाने वाले विक्रेताओं से प्राप्त किए जा सकते हैं।

पुराने मटके यह तरीका सबसे आसान एवं सस्ता है। अगर पुराने मटकों में एक दो छेद हो गए हों, तब भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि मटकों में जल का निकास रन्ध्रों द्वारा होता रहता है, अत: इनमें छेद करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पेंदे में एक-दो छेद करके उस पर नारियल की जूट की जाली बिछाकर रख दें। पेंदे में कुछ कंकड़ 4-4 मिलीमीटर सतह तक बिछा दें। इसके ऊपर कचरा डाल दें और 100-150 केंचुए भी छोड़ दें और ऊपर से भी कचरा डालते रहें। मटके पर ढक्कन हमेशा लगाकर रखें एवं ढक्कन से 50 मिलीमीटर जगह श्वास लेने के लिए खाली छोड़कर रखे। 4-6 मटकों द्वारा अनवरत रूप से खाद बनाई जा सकती है। मटके ठंडे भी रहते हैं अत: केंचुओं के विकास के लिए समुचित वातावरण रहता है।

लकड़ी अथवा गत्ते के डिब्बे लकड़ी के पुराने पैकिंग बॉक्स अथवा गत्ते के बॉक्स (60 सेमी. × 50 सेमी. × 50 सेमी.) में उपर्युक्त विधि द्वारा वर्मी खाद तैयार की जा सकती है। इस बॉक्स के पेंदे में पोलिथिन बिछाकर खाद बनाएं ताकि बॉक्स जल्दी सड़कर खराब न हो। जल के निकास के लिए पेंदे में 4-6 छेद रखें। बॉक्स को कचरे से भरकर टाट (जूट) से ढककर रखें। जल टाट के ऊपर ही देते रहें। एक बाक्स में 200 केंचुए पर्याप्त रहेंगे। डिब्बे को छायादार जगह में रखें।

उपर्युक्त सभी विधियों में यदि राख उपलब्ध हो तो जरूर डालें राख आरंभ में अम्लीय मिश्रण को समायोजित रखेगी साथ ही खाद में पोटाश की मात्रा भी बढ़ेगी। अगर नीम की पत्तियां उपलब्ध हों तो वे भी अवश्य डालें, ताकि दीमक नहीं पनप सके। इस तरह वर्मी खाद स्वयं तैयार कर बगीचे हेतु पोषक तत्वों की पूर्ति प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। वर्मी खाद बनाते समय हाथ के दस्तानों का उपयोग करें। सभी प्राकृतिक खादों में टिटनेस के कीटाणु होते हैं, और यदि हाथ कहीं से कटा हुआ हो तो वे कीटाणु नुकसान पहुंचा सकते हैं। ❑

(लेखक रा.उ.मा. विद्यालय, लाडनू (नागौर) में व्याख्याता पद पर कार्यरत हैं।)

DIAMOND GRADING (4-C)
GEMOLOGY COURSES
JEWELLERY DESIGNING

हीरा व रत्न-विज्ञान का कोर्स

Courses Starts every month in First Week

COURSE NAME	DURATION	COURSE CODE
✱ Diamond Grading	2 MONTH	ISDG - (4C)
✱ Navratan (Identification)	1 MONTH	NVI - (BR)
✱ Diamond Grading + Nav Ratan	3 MONTH	NVI - (BR) + ISDG - (4C)
✱ Diamond Grading + Nav Ratan Jewellery Designing Course	5 MONTH	NVI - (BR) + ISDG - (4C) + JMD - (BR)
✱ Jewellery Designing Course	2 MONTH	JMD - (BR)

Gem Testing Lab. Facility available

Offered by :

DIAMOND GEMS TRAINING SOCIETY

5F, Ist Floor, Kamla Nagar, Delhi - 110007
Tel. : 91-11-23683825 (Off.), 011-27253897

affiliated by :

BHARAT RATAN-VIGYAN KENDRA

277, Anarkali Complex Jhandewalan Extn.
(near Videocon Tower), Delhi-55

www.bharatratanvigyankendra.com
e-mail : aps@bharatratanvigyankendra.com

कहानी रालेगण सिद्धी की

○ मनोज कुमार पाण्डेय

महाराष्ट्र में एक गांव है रालेगण सिद्धी जो अहमदनगर जिले के पारनेर तालुके में पुणे से लगभग 80 कि.मी. दूर पुणे-औरंगाबाद राजमार्ग पर 4 कि.मी. अंदर छोटी-छोटी टेकरियों के बीच बसा है। आज से कुछ वर्ष पूर्व तक यह गांव भी आम भारतीय गांव की तरह निर्धनता, अशांति, अज्ञानता, दुख, बेचैनी एवं बीमारियों के जाल में फंसा था। यहां वर्षा बहुत कम, महज 300-600 मिमी. औसत होती थी। टेकरियां नंगी और पथरीली होने के कारण यहां पानी रुकता नहीं था। भूमि में पत्थर के टुकड़े होने एवं मैदानों और खेतों की मेड़ों में झाड़ नहीं होने के कारण उपजाऊ मृदा बड़ी तेजी से पानी के बहाव के साथ बहकर नाले में चली जाती थी। अत: खेतों में अन्न नाममात्र को ही होता था। पशुओं को चरने के लिए चारे की भी कमी थी। पीने का पानी पूरा नहीं पड़ता था जो आस-पास के गांवों से लाना पड़ता था। गांव के लोग रोजी-रोटी के लिए आस-पास के समृद्ध गांवों या शहरों की ओर चले जाते थे। कुछ लोग अपनी रोजी-रोटी शराब बनाकर और बेचकर चलाते थे, जिनकी संख्या 25-30 के करीब थी। यहां कुछ पान की दुकानें थीं जिनमें बीड़ी-सिगरेट तथा तम्बाकूमिश्रित गुटका बिकता था। गांव के लोग बीड़ी-सिगरेट तथा गुटका के अभ्यस्त हो गए थे। लोगों का जीवन-स्तर दयनीय था।

कुल 1982 की जनसंख्या एवं 971.56 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले इस दीन-हीन गांव रालेगण सिद्धी में सामाजिक सरोकार रखने वाला 'अन्ना हजारे' नामक एक व्यक्ति आगे आया और गांव का विकास शुरू हुआ। अन्नाजी के नेतृत्व में गांव में सहयोग, समरसता, समझदारी और श्रमदान के अनूठे प्रयोग ने टिकाऊ विकास की एक सुप्रबंधित रणनीति द्वारा क्षेत्र विकास के साथ सामुदायिक विकास का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया।

अन्ना हजारे वर्ष 1965 के युद्ध के बाद सेना छोड़कर गांव आ गए। गांव आने के पश्चात वह गांव की दयनीय स्थिति को देखते हुए गांव के लोगों से गांव के विकास के बारे में चर्चा करने लगे, मगर गांव के लोग उनकी बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं थे। वे कष्टों के कारण टूट चुके थे और काम से वापस आने पर मनोरंजन के लिए नशा-पानी में मस्त रहते थे। गांव के विकास हेतु लोगों का सहयोग आवश्यक था। इसके लिए अन्नाजी ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए सर्वप्रथम गांव में स्थित पुराने मंदिर की मरम्मत अपने भविष्य-निधि से प्राप्त पैसों से करा दी। मंदिर के पुनरूद्धार से लोगों का विश्वास अर्जित करके लोगों को अपने साथ जोड़कर, उन्हें समझाकर गांव के विकास के बारे में चर्चा आरंभ की ताकि लोग अपनी रोजी-रोटी गांव में ही कमा सकें।

सर्वप्रथम अन्नाजी ने वर्षा के पानी को अधिकाधिक मात्रा में रोकने के उपायों की चर्चा की। गांव वालों ने एकमत से अपनी सहमति दी। गांव वालों ने अन्ना जी के नेतृत्व में खुद ही गांव की जरूरत के अनुसार योजनाएं बना लीं और उन पर अमल आरंभ किया। मगर लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। अत: उन्होंने श्रमदान से कार्य करने का संकल्प किया और कार्य शुरू कर दिया। मगर शराब बेचने और पीने के कारण श्रमदान का कार्य कमजोर रहा। अन्नाजी ने गांव के लोगों से सलाह-मशविरा की और कहा कि शराब उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। शराब के कारण गांव का प्रत्येक घर एवं कीमती पैसा बर्बाद हो रहा था और लोग आलसी तथा कामचोर हो रहे हैं। शराब गांव के विकास में बाधक साबित हो रही थी। अत: उन्होंने शराब बनाने, बेचने और पीने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। परिणामत: गांव वालों ने शराब का धन्धा बन्द कर दिया। साथ ही बीड़ी-सिगरेट तथा गुटखा बेचना भी बन्द हो गया। उत्साहित गांववालों ने इस नशीले पदार्थों की होली जलाई।

इसके बाद जनसहयोग से जल-संरक्षण कार्य संचालित किया गया। इसके लिए 'चोटी से घाटी' (रिज टू वैली) नामक अभियान चलाया गया। बहते पानी को रोकना तथा रुके पानी को भूमि के अन्दर भेजना— यह मंत्र टेकरियों के ढाल पर पेड़-पौधे लगाकर, खाईयां खोदकर, सख्ती से चराईबन्दी लागू करके तथा पत्थरों, मिट्टी से बांध (गल्ली लग) बनाकर पूरे मनोयोग तथा श्रमदान द्वारा अपनाया गया। इससे जल-बहाव समय

2 घंटे से बढ़कर 12 घंटे हो गया। परिणामस्वरूप, भूमि के अन्दर जल-रिसाव बढ़ा और भूमि-कटाव रुका। जहां 8-10 कुओं में तीन माह मुश्किल से पानी मिलता था, 55 हेक्टेयर भूमि में केवल एक बरानी फसल होती थी तथा गर्मी में पीने का पानी भी नहीं रहता था, वहीं अब 500 हेक्टेयर में दो-दो फसलें ली जाती हैं; 100 कुओं में वर्ष भर पानी रहता है। टेकरियां हरी-भरी हो गईं और चारे की घास आवश्यकता से अधिक होने लगी। पैदावार बढ़ी, दुग्ध उत्पादन बढ़ा और गांव में आर्थिक समृद्धि आई।

उचित वाटरशेड द्वारा जल-संरक्षण, उचित फसल-चक्र द्वारा जल का उचित उपयोग सुनियोजित करके तथा वैज्ञानिक तरीके अपनाकर मृदा-कटाव रोककर, गोबर की खाद डालकर जल तथा जमीन का संरक्षण किया गया। लोगों को समझा-बुझाकर चराई बंदी का कड़ाई से पालन किया गया। कम उत्पादक पशुओं के स्थान पर उत्तम नस्ल के पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से पालन करके जानवरों का तथा वृक्षारोपण और जल-संरक्षण द्वारा जमीन का संरक्षण किया गया। वहां की भूमि प्याज के लिए उपयुक्त थी। अत: वे प्याज उगाने लगे और आज यह गांव 50 लाख रुपये तक के प्याज बाहर भेजता है। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें अन्य धन्धा करने हेतु प्रेरित किया गया। अत: ऐसे लोग अकेले या समूह बनाकर छोटे-छोटे धन्धे करने लगे। लोगों की आय अब इतनी अच्छी हो गई है कि वहां हर घर में टेलीविजन सेट, फोन तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

यहां प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। गांव वालों ने बिना किसी बाहरी सहयोग और सहायता से 25 लाख रुपये की लागत से 'यादव बाबा विद्यालय' के भवन तथा छात्रावास का निर्माण कर डाला। कम खर्च में इतना बड़ा कार्य करने से लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा और उनके मनोबल में वृद्धि हुई। इस विद्यालय की विशेषता यह है कि यहां उन छात्रों को दाखिला दिया जाता है जिन्हें अन्यत्र प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात फेल हुए बच्चों को यहां सहर्ष दाखिल किया जाता है। बाहर के बच्चों के लिए छात्रावास की व्यवस्था है।

विकास कार्यों के साथ यहां के लोगों की विचारधारा भी बहुत विकसित हो गई है। आपस में भाईचारा इतना अधिक बढ़ गया है कि वहां जाति-प्रथा लगभग टूट-सी गई है। यहां शादियां सामूहिक रूप से एक ही मंडप के नीचे संपन्न की जाती हैं और विवाह-भोज भी सामूहिक होता है। गांव के तरूण-मण्डल द्वार प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को 'ग्राम जन्म दिन' मनाया जाता है जिसमें गांव के सबसे वृद्ध स्त्री और पुरुष को 'ग्राम माता' तथा 'ग्राम पिता' के रूप में पूजा तथा सम्मान देना, बीते वर्ष के दौरान गांव में जन्में सभी बच्चों का बिना भेदभाव के नए कपड़े सिलवाना, गांव के नाम को रोशन करने वाले युवकों, बच्चों (बोर्ड परीक्षा या खेलों में) को पुरस्कृत करना आदि कार्यक्रम रखा जाता है। परिणामस्वरूप गांववासी प्यार के बंधन में बंध जाते हैं।

गांव वालों ने सौर-ऊर्जा की मदद से बिजली की व्यवस्था कर ली है। इनका उत्साह और उद्यम देखकर सरकार और बाहरी संस्थाएं भी इनकी मदद हेतु आगे आने लगी हैं। यहां एक प्रशिक्षण-केन्द्र भी स्थापित किया गया है जिसमें ग्राम-विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है।

विकास का अनूठा रास्ता अपनाकर रालेगण सिद्धी ने पहले महाराष्ट्र में, फिर भारत तथा आज विश्व में एक मुकाम बना लिया है। अब यह गांव एक उदाहरण बन गया है क्योंकि अत्यंत कठिन परिस्थितियों से उबरकर अब यह एक उन्नत और आदर्श गांव हो गया है। इस गांव को देखने के लिए लोग देश-विदेश से आते रहते हैं। अन्नाजी की सफलता से प्रेरित होकर अन्य प्रदेश के लोग भी उन्हें मार्गदर्शन देने हेतु बुलाने लगे हैं। वह न केवल देश में, वरन् विदेश में भी सम्मान पाने लगे हैं।

आइए, रालेगण सिद्धी से प्रेरणा लेकर हम सभी अन्नाजी के पथ पर चलकर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार कर भारत को गौरवशाली बनाने के कार्य में प्रयासरत हों। ❑

जहां चाह, वहां राह

'जहां चाह, वहां राह' नामक अपने इस नए स्तंभ द्वारा हम ग्रामीण विकास के कार्य से जुड़ी सफलता की उन रोचक कहानियों के प्रकाशन के इच्छुक हैं जिन्हें पढ़कर अन्य क्षेत्रों के लोग भी प्रेरणा ग्रहण कर सकें। अत: अपने आस-पास के किसी भी कस्बे, गांव, तहसील अथवा जिले में चल रहे निजी अथवा संस्थागत उन कार्यों के संबंध में लेख लिखकर हमें प्रेषित करें जो कुछ मायनों में सामान्य से हटकर यानी अनुपम किस्म के हों और जिनके द्वारा पूरा समुदाय लाभान्वित होता हो।

प्राप्त रचनाओं में से चयनित कहानियों को 'योजना' के उपर्युक्त स्तंभ में स्थान दिया जाएगा। इसके लिए मानदेय का भी प्रावधान है। लेख अधिकतम 1000-1500 शब्दों का होना चाहिए। लेख की दो टंकित प्रतियां स्वपता लिखे, टिकट लगे लिफाफे के साथ भेजें ताकि अस्वीकृति की स्थिति में वह आपको लौटाई जा सके।

रचनाओं के चयन में 'संपादक-मंडल' का निर्णय अंतिम होगा।

बहरापन : आवश्यकता है बेहतर समझ एवं प्रशिक्षण की

○ डा. जगदीश गुप्ता

आज जहां शारीरिक अक्षमता दूर करने के लिए अनेकानेक उपचार मौजूद हैं, वहीं शासकीय, सामाजिक एवं पारिवारिक जागरुकता भी बढ़ी है। आज किसी भी प्रकार की विकलांगता सामाजिक अभिशाप मानी जाती है। श्रवणबाधिता भी इसी तरह की एक सामाजिक समस्या है। इस विकलांगता का एक अन्य दुष्प्रभाव भी है। वह यह कि श्रवणबाधिता जन्मजात है तो बच्चा मूक यानीगूंगा रह जाएगा क्योंकि ध्वनि सुनाई देने पर ही बोल पाना संभव है।

किसी बच्चे में श्रवणबाधिता से तात्पर्य है कि श्रवणेन्द्रिय यानी कान के किसी भी भाग में किसी कारणवश कुछ खराबियां उत्पन्न होने से ध्वनि ग्रहण करने में कठिनाई का अनुभव होना। इस समस्या को समझने के लिए कान के बारे में जानना आवश्यक है क्योंकि यही अंग व्यक्ति को आवाज की दुनिया से जोड़ता है।

कान को मुख्यतया: तीन भागों में बांट सकते हैं : बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण एवं आंतरिक कर्ण। साधारण बोलचाल में हम जिसे कान कहते हैं वह बाह्य कर्ण ही है। कार्टिलेज के बने इस भाग का कार्य आने वाली ध्वनियों को एकत्रित कर अंदर भेजता है।

पर्दे तक पहुंचने वाली नली बाह्य नलिका कहलाती है। यह करीब ढाई सें.मी. लंबी होती है। इसमें चिकनाई वाली ग्रंथियां, मोम ग्रंथियां एवं रोम पाए जाते हैं। पर्दा बाह्यकर्ण को मध्यकर्ण से अलग करता है। मध्यकर्ण में पर्दे के अलावा तीन कर्ण अस्थियां पाई जाती हैं। ये ध्वनि-चालन का कार्य करती हैं। मध्यकर्ण का एक अन्य भाग यूस्टेशियन नली है जो मध्यकर्ण गुहा को गले से जोड़ती है। जुकाम होने पर कान में सुनाई न देना या अन्य तकलीफें इसी नली में संक्रमण से होती हैं। लंबे समय तक संक्रमण बना रहने पर पर्दे में छेद होने की संभावना बनती है।

अन्त:कर्ण में तीन अर्धवृत्त नलिकाएं एवं कोक्लियां पाई जाती हैं। ये नलिकाएं संतुलन का कार्य करती हैं। हममें से अनेकों को यह पता नहीं होगा कि कान मात्र श्रवण का कार्य नहीं करता। चलते वक्त खड़े होने पर संतुलन का कार्य भी कान ही करता है। कर्ण-अस्थियों से ध्वनि ग्रहण करने का कार्य कोक्लिया में उपस्थित तरल पदार्थों का है। यहां से तंत्रिकाएं ध्वनि को मस्तिष्क तक ले जाती हैं जहां इनकी पहचान होती है।

कान के श्रवण कार्य में अनेकों प्रकार से बाधाएं पहुंचती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन

किसी बच्चे में श्रवणबाधिता से तात्पर्य है कि श्रवणेन्द्रिय यानी कान के किसी भी भाग में किसी कारणवश कुछ खराबियां उत्पन्न होने से ध्वनि ग्रहण करने में कठिनाई का अनुभव होना। इस समस्या को समझने के लिए कान के बारे में जानना आवश्यक है क्योंकि यही अंग व्यक्ति को आवाज की दुनिया से जोड़ता है।

की रिपोर्ट के अनुसार बधिरता के निम्न वर्ग बनाए गए हैं :

श्रवण संवेदनशीलता में दुर्बलता (आंशिक बहरापन) : ऐसे व्यक्ति एक मीटर की दूरी पर होने वाली सामान्य बातचीत सुन सकते हैं। इनकी श्रवण-संवेदनशीलता 26 से 40 डेसीबल होती है।

श्रवण संवेदनशीलता में मध्यम दुर्बलता : यदि व्यक्ति एक मीटर की दूरी से आने वाली 41 से 60 डेसीबल तक ही आवाज सुन पाए तो उसकी श्रवण संवेदनशीलता को मध्यम दुर्बलता की श्रेणी में रखा जाता है।

श्रवण संवेदनशीलता में कमी : इस श्रेणी में उन व्यक्तियों को रखा जाता है जिनकी श्रवण संवेदनशीलता का स्तर 61 से 80 डेसीबल हो। ऐसे व्यक्तियों को कान के पास जोर से बोले जाने पर ही सुनाई देता है।

श्रवण संवेदनशीलता में अति कमी : जो व्यक्ति जोर से बोले जाने पर भी न सुन सके उन्हें पूर्ण बधिर या उनकी श्रवण संवेदनशीलता को अत्यंत कम माना जाता है।

बधिरता के कारण

1. **चालन-बधिरता :** बाह्य एवं मध्यकर्ण में खराबी आने से इस प्रकार का दोष पैदा होता है जिससे ध्वनि पूरी तरह कान में नहीं पहुंचती। यह दोष चिकित्सा द्वारा ठीक किया जा सकता है।
2. **संवेदी-तंत्रिकीय बधिरता :** यह श्रवण दोष अंत:कर्ण या आठवीं तंत्रिका में होता है। इससे ध्वनियों में विभेदन करना संभव नहीं होता।
3. **मिश्रित बधिरता :** जैसा कि नाम से ही विदित है कि श्रवण दोष बाह्य, मध्य एवं अंत:— तीनों कर्ण में होता है।
4. **केन्द्रीय बधिरता :** इसमें खराबी कान में न होकर मस्तिष्क के श्रवण-नियंत्रण क्षेत्र में होती है।
5. **बधिरता का ढोंग :** इसमें कान और मस्तिष्क दोनों के पूर्णतया ठीक होने पर भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कभी-कभी बधिरता का नाटक करता है।

श्रवण-दोष जन्म-पूर्व से भी हो सकते हैं। कुछ दोष वंशानुगत होते हैं, जैसे कोक्लिया की संवेदी कोशिकाओं या श्रवण तंत्रिका में क्षति। माता के आर.एच. नेगेटिव होने का भी कभी-कभी श्रवण दुष्प्रभाव होता है। गर्भावस्था के दौरान पेट पर चोट लगने से या माता द्वारा ज्यादा दवाईयों या नशे के सेवन से भी श्रवण दोष की संभावना बनती है। माता-पिता का निकटतम रक्त-संबंधी होना भी एक कारण हो सकता है।

बच्चे के जन्म के दौरान हुई गड़बड़ियां भी श्रवण समस्या पैदा करती हैं जैसे ऑक्सीजन की कमी, सिर में किसी औजार के लग जाने से चोट पहुंचना, समय पूर्व प्रसव आदि। शिशु को पीलिया या ब्रेन-ट्यूमर होने से कान को क्षति पहुंच सकती है।

बाल्यावस्था के दौरान हुए अनेक रोग जैसे— मम्स, जर्मन-मीजल्स, कुकुर खांसी, मस्तिष्क ज्वर, टायफाइड तथा बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण भी श्रवण क्षमता को दुष्प्रभावित करते हैं। कान में अत्यधिक मैल का जमना या लंबे समय तक कान का बहना भी कारण होते हैं। दुर्घटना, दहन, गंभीर चोट, नशा, डिप्रेशन या ट्रॉमा, ध्वनि प्रदूषण आदि भी कान को नुकसान पहुंचाते हैं।

पालकों को चाहिए कि श्रवण विकलांगता का शीघ्रताशीघ्र पता लगाएं ताकि उचित उपचार द्वारा विपरीत परिणामों की शीघ्रता कम की जा सके। दरअसल भाषा-विकास प्रक्रिया में भाषा-कौशल प्राप्त करने के लिए पहले भाषा को सुना-समझा जाता है फिर बोला जाता है। इसलिए जब सुनने में कठिनाई होती है तो वाणी पर भी प्रभाव पड़ता है वाणी अस्पष्ट हो जाती है। अत: वाणी एवं भाषा-विकास के लिए आवश्यक है कि भाषा की पर्याप्त आवृत्ति हो, यानी बच्चे को सुनने के साथ-साथ पढ़ना एवं ओष्ठ संचालन भी सिखना चाहिए। श्रवण-अक्षम बच्चे को अवशेष श्रवण-क्षमता को उचित श्रवण-यंत्र देकर उसमें भाषा एवं वाणी विकास के साथ-साथ श्रवण-कौशल विकसित करना भी आवश्यक होता है।

बच्चा श्रवण-दोष के कारण ठीक से बातचीत नहीं कर पाता इसलिए उसमें कुंठा भर जाती है। वह लोगों के बीच रहने में संकोच करने लगता है। इस प्रकार वह सामाजिक विकास से वंचित हो जाता है। अत: बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार आवश्यक है कि वह किसी प्रकार की हीन भावना से पीड़ित न हो और उसका सामाजिक विकास अन्य बच्चों के समान हो।

समस्या की पहचान

अपने बच्चे पर विशेष ध्यान देने पर अनेक बातें परिलक्षित हो सकती हैं जैसे बच्चे का ध्यान कम होना, बच्चा अत्यंत धीमा या तेज बोलता हो, पीछे से पुकारने पर बच्चा प्रतिक्रिया नहीं करता हो, बच्चा पूछी गई बात का विसंगत जवाब देता हो, उच्चारण दोषपूर्ण हो, बच्चा प्रश्न बार-बार दोहराने का आग्रह करता हो, कान दर्द की शिकायत करता हो, हमेशा सर्दी-खांसी बनी रहती हो, बातचीत के समय बोलने वाले के चेहरे एवं होठो की तरफ विशेष ध्यान देता हो या समूह में शांत बैठा रहता हो एवं बोलने में संकोच करता हो।

उपर्युक्त में से कुछ जवाब भी यदि 'हां' में हों तो बालक में श्रवण समस्या की संभावना बनती है। ऐसी स्थिति में शीघ्र ही नाक-कान-गला विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।

श्रवणबाधित बच्चों का शिक्षण भी विशेष होना चाहिए। उनके शिक्षक विशेष प्रशिक्षित

होने चाहिए। शिक्षकों को भी कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए :

1. बोलते समय शिक्षक के चेहरे पर पूर्ण रोशनी होनी चाहिए।
2. सरल, स्पष्ट एवं सुवाच्य शब्दों का प्रयोग करें।
3. बच्चे के सामने से ही बोला जाए।
4. बच्चे को स्वर एवं व्यंजनों के लिए होठो का संचालन समझाया जाए।
5. बात को समझाने के लिए चित्र एवं मॉडलों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए।
6. बच्चे एवं शिक्षक में पूरा सामंजस्य हो ताकि बच्चा बात आसानी से समझ सके।
7. समय-समय पर अभिभावक से संपर्क कर बच्चे की कठिनाई पर चर्चा करें।
8. बच्चों के लिए केवल जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम ही रखा जाए।
9. पढ़ाते समय बच्चों के साथ बीच-बीच में बातचीत करें ताकि यह पता चले कि बच्चा कितना सीख पाया है।

बच्चे को श्रवण-यंत्र की आवश्यकता हो तो उसे उसका उपयोग सिखाना चाहिए। वर्तमान में तरह-तरह के सुविधाजनक साइज के यंत्र उपलब्ध हैं। अत: उचित यंत्र का चुनाव करना चाहिए। प्रारंभ में बच्चा असुविधा महसूस करेगा। धीरे-धीरे आदत पड़ जाएगी।

किसी भी प्रकार की अक्षमता बच्चे एवं अनेकों बार बच्चे के पालकों में भी हीन भावना भर देती है। अत: आवश्यक है कि बच्चे को न तो अपेक्षा, न ही दया का पात्र समझा जाए। विकलांग बच्चे के साथ सामान्य बच्चों जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों में हमेशा किसी न किसी किस्म की विशेष प्रतिभा देखी गई है। उसे ढूंढ कर उभारना आवश्यक है। बच्चे को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाना चाहिए। उसके पालकों को उससे संबंध होने का अभिमान महसूस करना चाहिए न कि किसी प्रकार की हीन भावना। तभी ऐसे बच्चे बड़े होकर अच्छे वयस्क एवं सुयोग्य नागरिक बन सकेंगे। ❑

द क्वेस्ट
AN IAS INSTITUTE with a difference
IAS, PCS प्रारंभिक परीक्षा (विशेष बैच) 2003-04 हेतु नामांकन जारी
समस्या इतिहास ...द क्वेस्ट के साथ
एक प्रख्यात शिक्षक द्वारा
- सिविल सेवा परीक्षा की जरूरतों एवं एप्रोच पर सघन चर्चा
- मॉडल उत्तर कैसे लिखें?
- मानचित्र अध्ययन पर विशेष जोर- मानचित्र विशेषज्ञ द्वारा
- इतिहास का अध्ययन-इसकी समग्रता में
- इतिहास की मूल आत्मा से साक्षात्कार
- प्रारम्भिक परीक्षा हेतु विशेष जाँच परिक्षाएं

इतिहास के आयामों पर विस्तृत एवं सघन परिचर्चा
प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे रविवार को
केवल पूर्वानुमति द्वारा

सामान्य अध्ययन
Ravi R. Kumar और विशेषज्ञों द्वारा
- अधिक अंकों के लिए एक सफल रणनीति क्या हो?
- GS के नए आयामों का विस्तृत विश्लेषण
- क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें?
- सत्र के अन्त में विशेष Orientation Classes
- समय प्रबंधन-एक आवश्यक तत्त्व
- प्रारम्भिक परीक्षा हेतु विशेष जाँच परिक्षाएं

सामान्य अध्ययन में अधिक अंक प्राप्ति के लिए तैयारी कैसे करें (निःशुल्क परिचर्चा)
प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे रविवार को
केवल पूर्वानुमति द्वारा

हॉस्टल सुविधा उपलब्ध
प्रवेश: यथाशीघ्र करें

बिहार, झारखंड, उ.प्र., म.प्र.
हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल
PCS के लिए विशेष बैच

हिन्दी साहित्य, पालि, भूगोल एवं लोक प्रशासन
व अन्य विषय भी उपलब्ध
(सभी विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में)

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:
Rajnish Kr. Pandey
Director (HRD)
Ravi R. Kumar
Director (Academics)

2274, हडसन लाईन्स, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली-110009
Ph. :011-27452271, 27458079, 9811136772
E-mail : thequest_ias-gs@indiatimes.com

भंगिमा

अत्यावश्यक है विकलांगों के लिए रोजगार

पुस्तक : **विकलांगों के लिए रोजगार**; लेखक : **विनोद कुमार मिश्र**; प्रकाशक : **भारतीय प्रकाशन संस्थान, 24/4855, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002**; पृष्ठ संख्या : **176**; मूल्य : **175 रुपये**।

विकलांगों के कल्याण में पिछले 18 वर्षों से कार्यरत एवं स्वयं भी पोलियोग्रस्त होने के बावजूद अत्यंत सफल, साहसी एवं सम्मानपूर्ण जीवन जीने वाले श्री विनोद कुमार मिश्र ने विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं पर एक अनूठी पुस्तक 'विकलांगों के लिए रोजगार' प्रस्तुत की है जो विकलांग साहित्य की कड़ी में एक और 'मील का पत्थर' साबित होगी।

विकलांगों के लिए रोजगार विकलांग पुनर्वास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। विकलांग आबादी देश की कुल आबादी का 8 से 10 प्रतिशत है। समाज के कमजारे वर्गों को ऊपर उठाने की अपनी प्रतिबद्धता के क्रम में भारत सरकार विकलांगों के पुनर्वास हेतु समय-समय पर आवश्यक कदम उठाती रही है ताकि उन्हें समाज की मुख्य-धारा से जोड़ा जा सके।

उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण के इस युग में कार्य-प्रणालियां बहुत तेजी से बदल रही हैं और यही वजह है कि विकलांगों के लिए रोजगार की स्थिति पर भी नए सिरे से विचार आवश्यक हो गया है। बदलते परिदृश्य में सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कम हो रही हैं, अधिकाधिक जिम्मेदारियां निजी क्षेत्र को सौंपी जा रही हैं। इसके मद्देनजर विकलांगों के लिए रोजगार के अवसर अब निजी क्षेत्र में तलाशने की अधिक जरूरत है। बढ़ते तकनीकी विकास ने जहां विभिन्न कार्यों में शारीरिक श्रम की आवश्यकता कम की है, वहीं बेहतर कृत्रिम अंगों एवं नए-नए उपकरणों का विकास करके विकलांगों की कार्यक्षमता को भी आगे बढ़ाया है। यही नहीं, कम्प्यूटर तथा संचार-माध्यमों ने उनकी उच्च शिक्षा प्राप्ति की राह के रोड़े भी हटाए हैं। बुक-स्कैनर की सहायता से आज नेत्रहीन सामान्य पुस्तकें पढ़ सकते हैं; वायस सिंथेसाइजर की सहायता से कम्प्यूटर में दर्ज हर जानकारी सुन भी सकते हैं। अत: विकलांग रोजगार की किसी भी योजना में उच्चशिक्षित एवं अल्पशिक्षित/अशिक्षित दोनों ही वर्गों के विकलांगों की आवश्यकता पर विचार करना होगा। पुस्तक में विभिन्न प्रकार की सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों की कार्यप्रणाली की विवेचना के साथ विकलांगों के योग्य सुगम नौकरियों की विस्तृत चर्चा की गई है। शहरी, ग्रामीण, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्र में स्वरोजगार के कौन से अवसर विकलांगों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, इस पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

आम मान्यता है कि विकलांग व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तुलना में कम दक्ष होते हैं। लेखक ने इस बात से पूर्ण असहमति व्यक्त करते हुए सफल विकलांग व्यक्तियों के उदाहरण से इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को बखूबी प्रस्तुत किया है कि अक्सर अंगहीन व्यक्ति अपनी अपंगता से जूझने हेतु अन्य अंगों की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि करने में सफल होते हैं। 'अब तक किए गए शोध और अनुभवों से यह स्थापित हो चुका है कि आमतौर पर विकलांग व्यक्ति सामान्य कर्मचारियों से बेहतर प्रदर्शन कर लेते हैं। वे पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा से कार्य करते हैं (पृ. 10)' - लेखक का यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत नहीं होता। 'विकलांग व्यक्ति हर काम कर सकते हैं' अध्याय में यह आत्मविश्वास उन्होंने और भी मजबूती से प्रस्तुत किया है।

विकलांग-कल्याण से जुड़े उद्योग जगत, राष्ट्रीय संस्थान, स्वयंसेवी संगठन और स्वयं विकलांग युवक-युवतियों के लिए भी पुस्तक एक उत्कृष्ट संदर्भ-ग्रंथ का कार्य करेगी, इसमें संदेह नहीं।

पुस्तक के अंतिम दो अध्याय विकलांगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। पहले में रिहैबिलिटेशन काउंसिल आफ इंडिया द्वारा मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों और उन्हें चलाने वाली संस्थाओं की राज्यवार सूची दी गई है तथा दूसरे में विकलांगों को प्राप्त सुविधाओं के लिए जिन कार्यालयों/अधिकारियों से संपर्क किया जाना है, उनकी सूची शामिल की गई है जो प्रत्येक विकलांग व्यक्ति के लिए इस पुस्तक को अत्यंत उपादेय बनाती है।

पुस्तक की आवरण-सज्जा उत्कृष्ट है; मूल्य 175 रुपये अधिक नहीं। हां, प्रकाशन में एक बड़ी त्रुटि दृष्टिगत हुई। पृ. 65 से 80 पुस्तक में गायब हैं; पृ. 113-128 दोहराए गए हैं। कारण जो भी रहा हो, इस ओर ध्यान आकृष्ट करना उचित प्रतीत हुआ। इस कमी की अनदेखी कर दी जाए तो यह हर प्रकार से एक उच्चस्तरीय एवं पठनीय पुस्तक है जिसे लिखने के लिए श्री विनोद मिश्र बधाई के पात्र हैं। ❑

समीक्षक : अंजनी भूषण

वर्ष-2002 में प्रकाशित लेखों की सूची

उद्योग और औद्योगिक विकास

1. भारत में चीनी उद्योग—दशा एवं दिशा (मार्च-2002)
2. भारत में कोयला उद्योग—समस्याएं एवं सुझाव (मार्च-2002)
3. भारतीय ग्रेनाइट एवं संगमरमर उद्योग (अक्तूबर-2002)
4. औद्योगिक विकास में राज्य वित्तीय निगमों का योगदान (नवंबर-2002)
5. साइकिल उद्योग (दिसम्बर-2002)

वन और पर्यावरण

1. निर्वाह के लिए संयुक्त वन-प्रबंध (जनवरी-2002)
2. पर्यावरण प्रदूषण और अम्ल वर्षा (जून-2002)
3. खतरे में पड़ा गजराज (जुलाई-2002)
4. पर्यावरण-पर्यटन की योजनागत तैयारी (अगस्त-2002)
5. पर्यावरण-पर्यटन : समस्याएं और संभावनाएं (अगस्त-2002)
6. पर्यावरण-पर्यटन और पर्वतमालाएं (अगस्त-2002)
7. पर्यावरण-पर्यटन और हिमालय (अगस्त-2002)
8. पर्यावरण-पर्यटन : भूमि का समुचित प्रबंध (अगस्त-2002)
9. पर्यावरण-पर्यटन और पर्वत (अगस्त-2002)
10. ओजोन-परत का पर्यावरण-संरक्षण में महत्व (सितंबर-2002)
11. जहां चाह, वहां राह—'जंगली ने किया जंगल में मंगल' (अक्तूबर-2002)
12. पॉलीथीन प्रदूषण और महिलाएं (दिसम्बर-2002)

मुद्रा, बैंकिंग और व्यापार

1. दोहा सम्मेलन : कितना सफल, कितना असफल? (फरवरी-2002)
2. यूरो मुद्रा तथा भारत (फरवरी-2002)
3. मौजूदा खामियां दूर करके ही सफल हो पाएगी 'वैट' प्रणाली (मार्च-2002)
4. यथार्थवादी और साहसिक बजट (अप्रैल-2002)
5. सुविधा, संरक्षा और सुरक्षा को समर्पित एक संतुलित रेल बजट (अप्रैल-2002)
6. नई निर्यात-आयात नीति (मई-2002)
7. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी-पर्याप्तता (मई-2002)
8. कैसे तैयार होता है बजट? (मई-2002)
9. प्रिंट मीडिया में विदेशी निवेश कितना सार्थक? (सितंबर-2002)
10. भारतीय बैंकिंग के समक्ष उभरती चुनौतियां एवं संभावनाएं (दिसम्बर-2002)
11. भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (दिसम्बर-2002)

अर्थतंत्र, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास

1. अर्थशास्त्र में नोबेल (मार्च-2002)
2. देश की आर्थिक स्थिति का दर्पण (अप्रैल-2002)
3. सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश चुनौतियां एवं प्रभाव (मई-2002)
4. जापान की आर्थिक प्रगति में प्रबंधन की 'जेन' शैली का योगदान (नवंबर-2002)
5. उत्तरांचल की अर्थव्यवस्था (दिसंबर-2002)

पर्वतारोहण एवं पर्वतीय विकास

1. एक साहसिक खेल है पर्वतारोहण (जून-2002)
2. पर्वतारोहण, ट्रैकिंग और साहसिक खेलकूद (अगस्त-2002)
3. भारतीय हिमालय पर्वतमाला—एक नजर (अगस्त-2002)
4. स्थाई पर्वत विकास (अगस्त-2002)
5. पर्वतों का रहस्यवाद, रोमांस और निमंत्रण (अगस्त-2002)
6. पर्वतीय क्षेत्रों में भ्रमण (अगस्त-2002)

पर्यटन एवं परिवहन विकास

1. राजस्थान ने पर्यटन-नीति बनाकर देश में पहल की (फरवरी-2002)
2. राजस्थान का पर्यटन परिदृश्य : तथ्य और चुनौतियां (फरवरी-2002)
3. भारतीय रेल—शानदार सेवा के डेढ़ सौ साल (मार्च-2002)
4. उत्तरांचल में पर्यटन विकास एवं संभावनाएं (जून-2002)
5. यातायात का सुलभ साधन : दिल्ली मेट्रो रेल (जुलाई-2002)
6. भारत के सर्वाधिक लुभावने समुद्र-तट (अगस्त-2002)
7. समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण की आवश्यकता (नवंबर-2002)
8. धर्म-आधारित पर्यटन का उत्कृष्ट उदाहरण : माता वैष्णव देवी (नवंबर-2002)

विज्ञान और तकनीकी

1. अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान (मई-2002)
2. जहां चाह, वहां राह—चमत्कारी 'जेबी' कंप्यूटर और ग्रामीण समाज (दिसम्बर-2002)

स्वास्थ्य

1. पोलियो से मुक्ति अगले साल तक (फरवरी-2002)
2. सूक्ष्म जीवाणुओं की विलक्षण क्षमता (मार्च-2002)
3. मन चंगा तो कठौती में गंगा (अप्रैल-2002)
4. योग : स्वस्थ जीवन का दिव्य मार्ग (अप्रैल-2002)
5. स्वास्थ्य और पर्यावरण (अप्रैल-2002)
6. धूम्रपान पर पाबंदी (मई-2002)
7. कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट और ईएसआई अस्पताल (जून-2002)
8. मंदबुद्धी व्यक्तियों के लिए नेशनल ट्रस्ट कानून : लाभ कब मिलेगा? (जून-2002)

महिला, बालिका और शिशु कल्याण

1. राजस्थान में स्त्री-अधिकार : जन्म लेने और पढ़ने का हक (फरवरी-2002)
2. महिला सशक्तिकरण : वायदे और क्रियान्वयन (अप्रैल-2002)
3. क्या महिलाओं की स्थिति में सुधार संभव है? (मई-2002)
4. महिलाओं की स्थिति एवं विकास (जुलाई-2002)
5. महिला उद्यमी—सीमाएं एवं संभावनाएं (अक्तूबर-2002)
6. बड़ों की व्यस्तता : बच्चों का बोझ (नवंबर-2002)
7. बाल साहित्य : मौजूदा परिदृश्य और चुनौतियां (नवंबर-2002)
8. देश में बाल संरक्षण एवं कल्याण की रणनीति और प्रभाव (नवंबर-2002)
9. काम के बोझ तले दबा बचपन-कारण एवं निवारण (नवंबर-2002)
10. किशोर कहते हैं वे अब बच्चे नहीं रहे (दिसम्बर-2002)
11. महिला उत्पीड़न का सिलसिला कब तक? (दिसम्बर-2002)

शिक्षा, व्यक्तित्व

1. राजस्थान में साक्षरता और 'शिक्षा आपके द्वार' योजना (फरवरी-2002)
2. नदारद है खेल, प्राथमिक शिक्षा फेल! (मई-2002)
3. स्वतंत्रता की वर्दी 'खादी' अब फैशन की वर्दी (मई-2002)
4. भारतीय शिक्षा के नए संकट (जून-2002)
5. एक जंग शिक्षा के नाम (जुलाई-2002)
6. मूल्योन्मुख शिक्षा का दर्शन (सितम्बर-2002)
7. मूल्योन्मुख शिक्षा—शिक्षकों की भूमिका (सितम्बर-2002)
8. मूल्योन्मुख शिक्षा कैसी हो? (सितम्बर-2002)
9. मूल्योन्मुख शिक्षा (सितम्बर-2002)
10. निजीकरण की ओर अग्रसर उच्च-शिक्षा (सितम्बर-2002)
11. युग पुरुष हैं वे (अक्तूबर-2002)

खाद्यान्न एवं खाद्य सुरक्षा

1. खाद्य सुरक्षा और सामुदायिक खाद्यान्न बैंक (जनवरी-2002)
2. उत्पादन में तालमेल तो सबके लिए खाद्य तेल (मार्च-2002)
3. खाद्यान्न अतिरेक और भुखमरी का विरोधाभास (जून-2002)

कृषि, जल संसाधन और ग्रामीण विकास

1. ग्रामीण पुनर्निर्माण (जनवरी-2002)
2. भारतीय कृषि—सिंहावलोकन तथा पूर्वेक्षण (जनवरी-2002)
3. कृषि क्षेत्र का निर्यात, वैश्वीकरण और प्रतियोगिता (जनवरी-2002)
4. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और भारतीय कृषि (जनवरी-2002)
5. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ग्रामीण पुनर्निर्माण (जनवरी-2002)
6. ग्रामीण पुनर्गठन और अपारम्परिक ऊर्जा (जनवरी-2002)
7. कैसी हो ग्रामीण विकास की दिशा (जनवरी-2002)
8. विकास का महत्वपूर्ण उत्प्रेरक—ग्रामीण ऋण (जनवरी-2002)
9. ग्रामीण शिक्षा और ग्रामीण पुनर्निर्माण (जनवरी-2002)
10. ग्रामीण संचार में भागीदारी की ओर (जनवरी-2002)
11. ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत के मकान (जनवरी-2002)
12. बालुई धरती पर आत्मविश्वास के जमते कदम (फरवरी-2002)
13. ग्रामीण उत्थान ही देश का उत्थान (मार्च-2002)
14. गांवों के विकास की कीमत पर बचेंगे शहर (फरवरी-2002)
15. गांधी ग्राम योजना : ग्रामीण विकास का अभिनव प्रयोग (फरवरी-2002)
16. सूखा, जोहड़ और आत्मनिर्भरता (अप्रैल-2002)
17. 'बीमाग्राम' : ग्रामीण विकास की अभिनव योजना (अप्रैल-2002)
18. बी.टी. काटन—तीसरी कृषि क्रांति के बीज (जून-2002)
19. प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से बदलती गांव की तस्वीर (जुलाई-2002)
20. स्वास्थ्य एवं समृद्धि हेतु जैविक खेती (जुलाई-2002)
21. जहां चाह, वहां राह—मध्य प्रदेश का बहुमुखी 'पानी रोको' अभियान (सितम्बर-2002)
22. सिक्किम : पनबिजली उत्पादन की दिशा में बढ़ते कदम (अक्तूबर-2002)
23. आमदनी बढ़ाने के लिए मखाने की खेती (नवम्बर-2002)
24. राजस्थान की जल-संग्रहण परंपराएं (दिसम्बर-2002)
25. कोयल-कारो परियोजना और जनविरोध (दिसम्बर-2002)

श्रम और रोजगार

1. बेरोजगार युवक रोजगार देने वाले बनें (मार्च-2002)
2. रोजगार आधारित आर्थिक विकास (अप्रैल-2002)
3. जहां चाह, वहां राह-महिलाओं को घर बैठे वैकल्पिक रोजगार (नवम्बर-2002)

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी

1. डिजिटल लाइब्रेरी (मई-2002)
2. ज्ञानदूत परियोजना—सूचना क्रांति से जनक्रांति (जुलाई-2002)

आदिवासी, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग एवं गरीबी निवारण

1. आदिवासी विकास के प्रयास (मार्च-2002)
2. पिछड़ी जातियों में सामाजिक गतिशीलता (जून-2002)
3. आदिवासी बोलियों के संरक्षण के प्रयास (सितम्बर-2002)
4. महात्मा गांधी और सामाजिक समता (अक्तूबर-2002)
5. भंगियों का उत्थान—एक राष्ट्रीय जरूरत (अक्तूबर-2002)

पंचायती राज प्रणाली

1. ग्रामीण पुनर्निर्माण में पंचायत की भूमिका (जनवरी-2002)
2. पंचायती राज प्रणाली का सुदृढ़ीकरण विकास का एकमात्र विकल्प (जून-2002)
3. पंचायत घर राजनीतिक नेतृत्व की पौधशाला है (अक्तूबर-2002)

जनसंख्या एवं मानवाधिकार

1. भारत की जनांकिकीय प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (फरवरी-2002)

2. परिवार कल्याण एवं जनसंख्या स्थिरीकरण के नए प्रयास (अप्रैल-2002)
3. मानवाधिकार और जनजातीय समुदाय (अक्तूबर-2002)

संस्कृति विकास

1. प्रागैतिहासिक काल से ही कला और संस्कृति का संगम है मध्य प्रदेश (जुलाई-2002)

अन्य

1. दुधारु पशु संसाधनों की देखभाल (जनवरी-2002)
2. स्वयंसेवी क्षेत्र : नए आयाम (फरवरी-2002)
3. विकास योजनाएं तथा आपदा प्रबंधन (मार्च-2002)
4. बांग्लादेश में सूक्ष्म ऋण संस्थाएं (मार्च-2002)
5. वर्चुअल संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन (अप्रैल-2002)
6. गोवा की विरासत (अप्रैल-2002)
7. वृद्धजन संबंधी राष्ट्रीय सरोकार (मई-2002)
8. समुद्र में कशीदाकारी : प्रवाल भित्तियां (मई-2002)
9. जहां चाह, वहां राह—उत्तरांचल में बिजली क्रांति की दस्तक (मई-2002)
10. जीवन का उल्लास—संगीत (जून-2002)
11. जहां चाह, वहां राह—दक्षिण बिहार में 'आहर' और 'पईन' का जीर्णोद्धार (जून-2002)
12. जिला सरकार के दो वर्ष : एक मूल्यांकन (जुलाई-2002)
13. इंदौर तंग बस्ती सुधार परियोजना (जुलाई-2002)
14. मध्य प्रदेश के रंगीन चित्र (जुलाई-2002)
15. राष्ट्रीय विकास में लोक सेवाओं की भूमिका (जुलाई-2002)
16. जहां चाह, वहां राह—उफरैखाल में जल और जंगल की खेती (जुलाई-2002)
17. 'न दैन्यं न पलायनम्' (सितम्बर-2002)
18. इक्कीसवीं सदी में भारत (सितम्बर-2002)
19. भाषिक अस्मिता का संघर्ष और प्रशासनिक हिन्दी (सितम्बर-2002)
20. आधुनिक मैक्रो इकनॉमिक्स के जनक (सितम्बर-2002)
21. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
22. प्राकृतिक आपदा प्रबंधन (अक्तूबर-2002)
23. खतरे में पड़ी गंगा की गाय (अक्तूबर-2002)
24. भारतीय खेल : दशा एवं दिशा (नवंबर-2002)
25. राष्ट्रीय विकास में स्वयंसेवी क्षेत्र की भूमिका (दिसम्बर-2002)
26. भारत में पेशेवर प्रबंध की बढ़ती मांग (दिसम्बर-2002)

सदस्यता कूपन

❑ नई सदस्यता ❑ नवीनीकरण ❑ पता बदलने के लिए

(जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिन्ह लगाएं।

मैं.....(पत्रिका का नाम एवं भाषा)

का ❑ वार्षिक (70 रुपये) ❑ द्विवार्षिक (135 रुपये) ❑ त्रिवार्षिक (190 रुपये) सदस्य बनने का इच्छुक हूं।

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या..... तारीख.....

नाम .....

वर्ग ❑ विद्यार्थी ❑ शिक्षक ❑ संस्था ❑ अन्य

पता :.....

.....

.....

पिन .....

नवीनीकरण/पता बदलने के लिए कृपया अपनी सदस्य संख्या यहां लिखें [ ]

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ निम्न पते पर भेजें :

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066,

दूरभाष : 26100207, 26105590

पहली प्रति की प्राप्ति हेतु आठ से दस हफ्ते का समय दें।

विकास समाचार

153 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी

विनिवेश और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री अरुण शौरी ने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की सिफारिश पर 153 करोड़ रुपये के 20 प्रत्यक्ष विदेशी प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें वाहन उपस्करों, वस्त्र मशीनरी और स्पिनिंग रिंग फ्रेम्स तथा निर्माण और मैटीरियल-हैण्डलिंग मशीनरी का उत्पादन और पर्यटन एवं साफ्टवेयर विकास संबंधी प्रस्ताव प्रमुख हैं।

निर्यात जोनों/विशेष आर्थिक जोनों द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन

इस समय आठ कार्यरत निर्यात संसाधन जोनों/विशेष आर्थिक जोनों में 666 इकाइयां काम कर रही हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान निर्यात संसाधन जोनों/विशेष आर्थिक जोनों की इकाइयों द्वारा 9,189,55 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया जो देश के कुल निर्यात का 4.5 प्रतिशत है।

निर्यात संसाधन जोनों/विशेष आर्थिक जोनों की इकाइयों मे 54,461 पुरुषों और 32,185 महिलाओं समेत कुल 86,646 लोगों का नियोजन किया गया है।

तैयार वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि

देश में तैयार वस्त्रों का निर्यात 9.45 प्रतिशत बढ़कर 299 करोड़ 90 लाख डालर हो गया। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया कि अप्रैल से दिसम्बर 2002 के बीच अमेरिका को 147 करोड़ 50 लाख डालर का निर्यात किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान यूरोपीय संघ को 138 करोड़ 50 लाख डालर तैयार वस्त्र का निर्यात किया गया। कनाडा को 13 करोड़ 83 लाख रुपये का निर्यात हुआ।

इस्पात उत्पादन बढ़ाने के उपाय

सरकार ने इस्पात उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार तथा निजी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता के सर्जन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय अपनाने जैसे कई कदम उठाए हैं। इस्पात की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय इस्पात उत्पादकों ने भी कदम उठाए हैं। इन कदमों में प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पादकता सुधार, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उत्पाद-मिश्र अपनाना शामिल है।

सरकार निजी क्षेत्र में इस्पात उद्योग के निष्पादन की मॉनिटरिंग आंकड़े एकत्र करती है और भारतीय इस्पात उद्योग के विकास में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने में सहायक के रूप में भूमिका अदा करती है।

पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क शून्य करने का सुझाव

कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज (सीआईआई) ने अपने पूर्व बजट ज्ञापन में पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क को शून्य स्तर पर लाने की सलाह दी है। इसके अलावा चेम्बर ने कहा है कि पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क की पांच प्रतिशत दर को और कम किया जाना चाहिए ताकि देशी निर्माताओं को इसका उचित लाभ मिल सके।

पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क अत्यधिक लगने के कारण विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में भारतीय उद्योग काफी प्रभावित हो रहा है। इस उद्योग के उपकरणों पर 16 से 26 प्रतिशत तक का बिक्री कर लगा हुआ है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के वस्तुओं का लागत मूल्य बढ़ गया है। इन सब कारणों से पूंजीगत वस्तुओं का क्षेत्र अब मंदी की चपेट में आ गया है और इसकी स्थापित क्षमता का प्रयोग नहीं हो पा रहा है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सड़क निर्माण

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 12 ठेके अनन्य रूप से विदेशी कंपनियों द्वारा तथा 35 ठेके भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम भागीदारों के रूप में निष्पादित किए जा रहे हैं। विदेशी निवेशकों को सड़क क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जाती है। इन परियोजनाओं के लिए ठेकों का कुल मूल्य लगभग 12,505 करोड़ रुपये है। भूमि अधिग्रहण, धीमी गति से सामग्री जुटान, खनन समस्याओं, वृक्षों की कटाई, गुजरात में आए भूकम्प आदि से संबंधित समस्याओं के कारण ठेकों में विलंब होता है।

ये ठेके पूरा होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और अनेक कंपनियां विलंब की भरपाई करने और समय पर परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। इसलिए विलंब के कारण लागत में संभावित वृद्धि का आकलन कर पाना अभी संभव नहीं है।

पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण तीन एजेंसियों अर्थात् राज्य लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

रजि. सं. डी. एल. 12036/2002 तथा डाक व्यय की अदायगी के साथ डाक में डालने के लिए लाइसेंस-प्राप्त
Reg. No. D.L. 12036/2002 Licenced to post with payment at RMS, Delhi.

पंजी सं. 951/5
R.N. 951/5

Information is Power : Be Informed.

Read YOJANA

A monthly journal, the only one of its kind, covering the whole gamut of development, socio-economic issues and current affairs.

Published in Assamese, Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu - reaching out to people country-wide.

Join the ranks of 5,00,000 discerning readers who opt for YOJANA.

YOJANA has incisive, authentic and well researched articles written by experts.

Have a cutting edge, be ahead of others. Subscribe today.

Subscription Rates : 1 Yr. - Rs.70/-; 2 Yrs. - Rs.135/-; 3 Yrs. - Rs.190/-.

Subscription by DD / MO / IPO in the name of Director, Publications Division, can be sent to :

The Advertisement & Circulation Manager, Publications Division, East Block-IV, Level-VII, R.K. Puram, New Delhi-110066. Tel. 6105590; Fax: 6175516 / 6193012.

Subscriptions will also be accepted at our sales emporia:

• Patiala House, Tilak Marg, **New Delhi**, Ph. 011-3387983; • Super Bazar, Connaught Circus, **New Delhi**, Ph. 011-3313308; • Hall No.196, Old Secretariat, **Delhi**, Ph. 011-3968906; • Rajaji Bhavan, Besant Nagar, **Chennai**, Ph. 044-4917673; • 8, Esplanade East, **Calcutta**, Ph. 033-2488030; • Bihar State Cooperative Building, Ashoka Rajpath, **Patna**, Ph. 0612-653823; • Press Road, **Thiruvananthapuram**, Ph. 0471-330650; • 27/6, Ram Mohan Rai Marg, **Lucknow**, Ph. 0522-208004; • Commerce House, Currimbhoy Road, Ballard Pier, **Mumbai**, Ph. 022-2610081; • State Archaeological Museum Building, Public Gardens, **Hyderabad**, Ph. 040-236393; • 1st Floor, F-Wing, Kendriya Sadan. Koramangala, **Bangalore**, Ph. 080-5537244; • C.G.O. Bhavan, 'A' Wing, A.B. Road, **Indore**; • 80, Malviya Nagar, **Bhopal**; • B-7/B, Bhawani Singh Road, **Jaipur**.

For Yojana Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Gujarati, Marathi, Bengali and Assamese, please enrol yourself with Editors of the respective magazines at the addresses given below:

Editor, Yojana (Marathi), Room No.38, 4th Floor, Yusuf Building, Veer Nariman Road, **Mumbai**, Ph. 022-2040461;

Editor, Yojana (Gujarati), Ambika Complex, 1st Floor, Above UCO Bank, Paldi, **Ahmedabad**, Ph. 079-6638670;

Editor, Yojana (Assamese), Naujan Road, Uzan Bazar, **Guwahati**, Ph. 0361-516792;

Editor, Yojana (Bengali), 8, Esplanade East, Ground Floor, **Calcutta**, Ph. 033-2482576;

Editor, Yojana (Tamil), 'A' Wing, Ground Floor, Shastri Bhavan, **Chennai**, Ph. 044-8272382;

Editor, Yojana (Telugu), 10-2-1, F.D.C. Complex, AC Guards, **Hyderabad**, Ph. 040-236579;

Editor, Yojana (Malayalam), 'Reshmi', 14/916, Vazhuthacadu, **Thiruvananthapuram**, Ph. 0471-63826;

Editor, Yojana (Kannada), 1st Floor, 'F' Wing, Kendriya Sadan, Koramangala, **Bangalore**, Ph. 080-5537244.

पी.एस. भटनागर, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110 001 से प्रकाशित एवं मुद्रित तथा तारा आर्ट प्रेस, बी-4, हंस भवन, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002 में मुद्रित। दूरभाष : 23378626, 23379686

कार्यकारी संपादक : अंजनी भूषण